

00442



सत्यमेव जयते

286

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
(आर्थिक क्षेत्र)

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए



हिमाचल प्रदेश सरकार
वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या 2

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
(आर्थिक क्षेत्र)

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए

हिमाचल प्रदेश सरकार
वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या 2



अनुक्रमणिका

विवरण	संदर्भ	
	परिच्छेद	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना		v
विहंगवावलोकन		vii-x
अध्याय-I: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यपद्धति		
परिचय	1.1	1
उत्तरदायित्व संरचना	1.2-1.4	1-2
हिमाचल प्रदेश सरकार की हिस्सेदारी	1.5	3
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश	1.6-1.7	3-5
वर्ष के दौरान विशेष सहायता तथा रिटर्न	1.8	5-6
वित्त लेखों के साथ मिलान	1.9	6-7
लेखों को अंतिम रूप देने में बकाया/शेष	1.10-1.12	7-8
पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण	1.13	8
लेखों को अंतिम रूप न दिये जाने का प्रभाव	1.14	8
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का उनके नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखों के अनुसार निष्पादन	1.15-1.18	9-11
अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का समापन	1.19-1.20	11
लेखा टिप्पणियां	1.21-1.22	11-13
लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया	1.23	13
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुगामी कार्रवाई	1.24-1.26	13-15
लेखापरीक्षा द्वारा सूचित करने पर की गई वसूलियां	1.27	15
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, पुनर्संरचना तथा निजीकरण	1.28	15
इस प्रतिवेदन की कवरेज	1.29	16
अध्याय-II: निष्पादन लेखापरीक्षा		
हिमाचल पथ परिवहन निगम		
हिमाचल प्रदेश राज्य के भीतर परिवहन सेवाओं का प्रावधान		
मुख्य बातें		17-18
परिचय	2.1	18
संगठनात्मक ढांचा	2.2	18-19
लेखापरीक्षा उद्देश्य	2.3	19
लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं कार्यपद्धति	2.4	19-20
लेखापरीक्षा मापदंड	2.5	20
लेखापरीक्षा निष्कर्ष	2.6	20
मार्ग विश्लेषण	2.7	20-21
किराया नीति	2.8	21-22
प्रदूषण नियंत्रण	2.9	22-23

सड़क सुरक्षा	2.10	23-24
निगम की वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम	2.11	24-25
प्रचालन निष्पादन	2.12	25
लोक परिवहन में निगम की हिस्सेदारी	2.13	25-26
प्रचालन में कुशलता एवं मितव्ययिता	2.14	26-27
क्षमता का उपयोग	2.15	27-28
ईंधन लागत	2.16	28
वाहनों का रख-रखाव	2.17	28-29
किराया रियायत/छूट के दावे तथा उनकी वसूलिया	2.18	29
कारोबार मॉडल का पुनर्संगठन	2.19	29
जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत बसें	2.20	30-31
आंतरिक नियन्त्रण	2.21	31-32
निष्कर्ष		32
सिफारिशें		32
अध्याय-III: लेन-देन की लेखापरीक्षा		
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित		
पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा	3.1	33-39
विद्युत प्रभारों की अवसूली	3.2	40-41
औद्योगिक उपभोक्ता को अधिक ब्याज भुगतान	3.3	41-42
संविदा के प्रवर्तन निबन्धनों में विलम्ब के कारण हानि	3.4	43-44
संविदाकार को अस्वीकार्य भुगतान	3.5	44-45
मांग प्रभार की अल्प वसूली	3.6	45-46
सरकार द्वारा प्रदत्त छूट पर कार्रवाही करने में विलम्ब के कारण निष्फल व्यय	3.7	46-47
हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित		
संविदाकार के साथ परस्पर समझौते के समय सभी भागों पर विचार करने में विफलता के कारण वसूली न होना	3.8	47-48
हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम		
लाभार्थियों को ऋणों की स्वीकृति तथा उनकी वसूलियों की लेखापरीक्षा	3.9	49-57
हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित		
संचरण परियोजनाओं को सौंपने व उनके निष्पादन की लेखापरीक्षा	3.10	57-60
हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित		
उत्पाद शुल्क का परिहार्य भुगतान	3.11	60-61

परिशिष्ट

परिशिष्ट संख्या	विवरण	संदर्भ से	
		परिच्छेद	पृष्ठ संख्या
1.1	सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों में राज्य सरकार द्वारा किये गये निवेश को दर्शाने वाली विवरणी जिनके लेखे बकाया में है	1.11	63
1.2	सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के नवीनतम अन्तिम वित्तीय विवरणों/लेखाओं के अनुसार सारांशित वित्तीय स्थिति एवं कार्य चालन परिणाम	1.11 और 1.15	64-67
2.1	निगम की मार्च 2016 को समाप्त पांच वर्षों की समेकित वित्तीय स्थिति	2.11.1	68
2.2	मार्च 2016 को समाप्त पांच वर्षों के लिए निगम के समेकित क्रियाशील परिणाम	2.11.2	69
2.3	मार्च 2016 को समाप्त पांच वर्षों के लिए निगम का समेकित प्रचालन निष्पादन	2.12	70
3.1	विभिन्न स्तरों पर कार्यों के अधिनिर्णीत करने में हुए विलंब के कारण मार्च 2016 तक नगर जहां कार्य पूर्ण नहीं हुए थे, का विवरण	3.1.9.1	71
3.2	सम्बंधित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों में परिकल्पित एकीकृत तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि के लक्ष्यों की उपलब्धि न होने के कारण हुई महत्वपूर्ण राजस्व की हानि का विवरण	3.1.9.1	72
3.3	महत्वपूर्ण राजस्व हानि तथा अनुदान के जब्त किए जाने का विवरण	3.1.9.2	73
3.4	संविदाकारों से वसूल न किए गए प्रारम्भिक कर का विवरण	3.1.11	74
3.5	निरर्थक व्यय का विवरण	3.1.12	75


यह प्रतिवेदन मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामों से सम्बंधित है।

सरकारी कम्पनियों (कम्पनी अधिनियम के अनुसार सरकारी कम्पनियों में निर्णित होने वाली कम्पनियां भी सम्मिलित हैं) के लेखों की लेखापरीक्षा नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) के अधिनियम, 1971 की धारा 19 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 और कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139 और 143 के प्रावधानों के अन्तर्गत की जाती है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके सम्बंधित विधान के अंतर्गत संचालित की जाती है।

सरकारी कम्पनी अथवा निगम से सम्बंधित लेखों से सम्बंधित प्रतिवेदन नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) के अधिनियम, 1971 की धारा 19-क के प्रावधानों के अन्तर्गत विधान सभा के समक्ष नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत करने होते हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम के सम्बंध में, जो एक सांविधिक निगम है, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एकमेव लेखापरीक्षक है। हिमाचल प्रदेश वित्त निगम के सम्बंध में उसे निगम द्वारा चयनित सनदी लेखाकारों द्वारा संचालित की जाने वाली लेखापरीक्षा के अतिरिक्त लेखों की लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। इन सभी निगमों के वार्षिक लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पृथक रूप से राज्य सरकार को अग्रेषित किये जाते हैं।

इस प्रतिवेदन में वर्णित उदाहरण वे हैं जो वर्ष 2015-16 के दौरान नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाये गए और इसके साथ-साथ वे हैं जो पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान पाये गए किन्तु विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किये जा सके थे, जहां कहीं अनिवार्य है 2015-16 से तद्नन्तर अवधि से सम्बंधित मामले भी सम्मिलित किये गए हैं।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।



विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में हिमाचल प्रदेश राज्य के भीतर परिवहन सेवाओं के प्रावधान पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा और नियमावली, निदेशों एवं प्रक्रियाओं की गैर-अनुपालना के कारण परिहार्य भुगतान, विद्युत प्रभारों की अवसूली/अल्प वसूली व निष्फल व्यय के मामलों से सम्बन्धित ₹ 258.14 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से युक्त 11 परिच्छेद सम्मिलित हैं जिसके परिणामस्वरूप कम्पनियों/निगमों को घाटा हुआ।

1 राज्य लोकोपक्रमों का कार्यचालन

हिमाचल प्रदेश राज्य में 20 कार्यकारी लोकोपक्रम (18 सरकारी कम्पनियां तथा दो सांविधिक निगम) तथा दो अक्रियशील कम्पनियां हैं तथा इनमें 34,457 कर्मी कार्यरत हैं। 31 मार्च 2016 को 22 लोकोपक्रमों में ₹ 10,820.11 करोड़ का निवेश (पूँजीगत व दीर्घकालिक ऋण) था। राज्य लोकोपक्रमों के कुल निवेश में से 99.27 प्रतिशत क्रियाशील लोकोपक्रमों में व शेष 0.73 प्रतिशत अक्रियाशील लोकोपक्रमों में था। कुल निवेश में 33.82 प्रतिशत पूँजीगत व 66.18 प्रतिशत दीर्घकालिक ऋण थे। लोकोपक्रमों के निवेश का मुख्य जोर विद्युत क्षेत्र में था जो कुल निवेश के 2011-12 (₹ 5,376.56 करोड़) के 82.36 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 (₹ 9,527.82 करोड़) में 88.06 प्रतिशत हो गया। इक्विटी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के प्रति बजट निर्गम 2011-12 के ₹ 722.69 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में ₹ 1027.70 करोड़ हो गया।

(परिच्छेद 1.1, 1.6, 1.7 एवं 1.8)

2 हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर परिवहन सेवाओं के प्रावधान पर निष्पादन लेखापरीक्षा

हिमाचल प्रदेश राज्य के भीतर परिवहन सेवाओं की निष्पादन लेखापरीक्षा में पाया गया कि खराब परिचालन क्षमता एवं उत्पादकता किराया ढांचा पर्याप्त रूप से परिचालन व्ययों के अनुरूप नहीं था और लाभकारी मार्गों के साथ अमितव्ययी मार्गों के समूहीकरण को बढ़ावा देने हेतु हिमाचल पथ परिवहन निगम (निगम) तथा निजी चालकों के मध्य मार्ग आबंटन से पहले मार्ग विश्लेषण के लिए तन्त्र की कमी के कारण 2011-16 की अवधि के दौरान निगम को ₹ 1,018.64 करोड़ के घाटे संचित हुए। निगम का परिचालन निष्पादन, पहाड़ी राज्यों के सम्बन्ध में वाहन उत्पादकता, निर्धारित किलोमीटरों तथा ईंधन लागत की उपलब्धि के सम्बन्ध में अखिल भारतीय औसत से कम था जिसके परिणामस्वरूप निगम ₹ 579.23 करोड़ संभावित राजस्व से वंचित रहा। कुछ प्रमुख बिन्दुओं का संक्षेपण निम्नवत् है:

यह सुनिश्चित करने हेतु कोई मानदण्ड निश्चित नहीं किया गया था कि निगम तथा निजी प्रचालकों को कौन से मार्ग आवंटित किए जाने थे। लेखापरीक्षा विश्लेषण में पाया गया कि जिला मुख्यालयों एवं पर्यटक स्थलों के मध्य नियमित यात्रियों के अधिकतम प्रवाह वाले मात्र 10 प्रतिशत मार्ग आवृत्तियां निगम को और 90 प्रतिशत निजी प्रचालकों को आवंटित की गई थी। यह सुनिश्चित करने हेतु कोई तन्त्र विद्यमान नहीं था कि निगम एवं निजी प्रचालकों द्वारा अमितव्ययी मार्गों का भार समान रूप से उठाया जा रहा था। आगे, मार्ग परमिट के मूल्य के औचित्य को सुनिश्चित करने हेतु कोई तन्त्र स्थापित नहीं किया गया था और वे तदर्थ आधार पर आवंटित किए जा रहे थे।

(परिच्छेद 2.7.1)

न्यायिक निर्णयों के साथ-साथ गति नियंत्रणों तथा वाहन ट्रेकिंग सिस्टमों के प्रतिष्ठापन से सम्बन्धित मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का कमजोर प्रवर्तन और अप्रभावी निगरानी से राज्य में सड़क सुरक्षा एवं प्रदूषण मानकों का अनुरक्षण प्रभावित हुआ।

(परिच्छेद 2.9 एवं 2.10)

2011-16 के दौरान निगम द्वारा प्राप्त की गई वाहन उत्पादकता अखिल भारतीय औसत से 16 से 54 किलोमीटर कम रही जिससे 2011-16 के दौरान निगम ₹ 313.29 करोड़ के संभावित ट्रैफिक राजस्व से वंचित हुआ।

(परिच्छेद 2.14.3)

आठ नमूना जांच की गई इकाइयों में अंतरराज्यीय बस टर्मिनल, दिल्ली तथा पार्किंग स्थलों, जगतपुर के मध्य 'डेड किलोमीटरों' के अभिलेखन में अनियमितताओं से मार्च 2016 को समाप्त पांच वर्षों की अवधि के दौरान अतिरिक्त डेड माइलेज के कारण ₹ 2.14 करोड़ का घाटा पाया गया।

(परिच्छेद 2.15.2)

निगम ने 2011-16 के दौरान अखिल भारतीय औसत की तुलना में 498.38 लाख लीटर ईंधन की अधिक खपत की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 240.02 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(परिच्छेद 2.16)

राज्य सरकार समाज के विभिन्न वर्गों हेतु छूट एवं निःशुल्क पासों के लिए निगम को क्षतिपूर्ति देती है। तथापि निगम ने अपने दावे वास्तविक आधार पर न करके मात्र आकलन आधार पर प्रस्तुत किये थे। 2011-16 के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 1,111.66 करोड़ के कुल आकलित दावों में से ₹ 895 करोड़ की प्रतिपूर्ति की थी तथा ₹ 216.66 करोड़ वसूली हेतु शेष थे।

(परिच्छेद 2.18)

3. लेन-देन की लेखापरीक्षा

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत निगम सीमित (कम्पनी) द्वारा निर्धारित समय के भीतर पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम को पूर्ण न किए जाने के परिणामस्वरूप परकल्पित घाटा कम करने के लक्ष्यों की अनुपलब्धि के कारण ₹ 73.06 करोड़ के सम्भावित राजस्व की हानि हुई, इसके अतिरिक्त ₹ 17.92 करोड़ के अनुदान की जब्ती हुई जोकि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित समय-सारणी के भीतर परियोजनाओं की सफल पूर्णता पर स्वीकार्य था। आगे कम्पनी संविदाकारों से प्रवेश कर काटने में विफल रही और कम्पनी को ब्याज एवं शास्ति सहित ₹ 8.64 करोड़ जमा करवाने होंगे जैसाकि कर प्राधिकारियों द्वारा मांग की गई थी। कम्पनी ने अपेक्षित औपचारिकताओं जैसे कि संविदा अनुबंध के अनुसार पी0ई0आर0टी0 चार्ट तथा निष्पादन बैंक प्रत्याभूति को प्रस्तुत न करने के आधार पर संविदाकारों से ₹ 2.43 करोड़ की शास्ति की वसूली नहीं की थी और संविदाकारों द्वारा सम्बद्ध निर्माण कार्यों की गैर-समक्रमिकता से ₹ 8.87 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

(परिच्छेद 3.1)

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित, सरकारी निर्देशों में निर्धारित राशि से कम राशि की बैंक प्रत्याभूति स्वीकृत करने और बार-बार की चूकों के बावजूद भी उपचारात्मक कार्रवाई करने में विलम्ब के कारण ₹ 18.46 करोड़ के विद्युत प्रभारों की वसूली में विफल रहा।

(परिच्छेद 3.2)

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत निगम सीमित द्वारा एक औद्योगिक उपभोक्ता को ₹ 39.49 लाख की वापसी पर देय साधारण ब्याज के स्थान पर मासिक चक्रवृद्धि आधार पर ब्याज का भुगतान करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.24 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

(परिच्छेद 3.3)

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित को संविदाकार की बैंक प्रत्याभूति के नकदीकरण हेतु समयोजित कार्रवाई न करने के साथ-साथ चूककर्ता परिसमाप्त क्षतियों की सम्पूर्ण राशि की वसूली न करने के कारण ₹ 41.58 लाख का परिहार्य घाटा हुआ।

(परिच्छेद 3.4)

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत निगम सीमित द्वारा गैल्वीनाइज्ड ऑयरन तार हेतु किलोग्राम आधार के स्थान पर संख्या आधार पर बोलियों के गलत मूल्यांकन के परिणामस्वरूप संविदाकार को ₹ 2.55 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

(परिच्छेद 3.5)

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत निगम सीमित दर सूचि के संदर्भ में संविदा मांग को वास्तविक संस्वीकृत मांग के 50 प्रतिशत तक सीमित रखने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप एक औद्योगिक उपभोक्ता से ₹ 56.70 लाख के निश्चित मांग प्रभारों की अल्प वसूली हुई।

(परिच्छेद 3.6)

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत निगम सीमित द्वारा अपनी क्षेत्रीय इकाइयों को जल विद्युत परियोजनाओं पर रियल टाइम ऑनलाइन वॉटर डिस्चार्ज मॉनिटरिंग सिस्टम के प्रतिष्ठापन हेतु राज्य सरकार द्वारा दी गई ब्रूट के सम्बन्ध में सूचित करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप ऐसे उपकरणों जिनकी आवश्यकता नहीं थी, के प्रतिष्ठापन पर ₹ 2.19 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(परिच्छेद 3.7)

संविदा में स्पष्ट प्रावधानों एवं माननीय न्यायालय के दिशा-निर्देशों के बावजूद एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल की खरीद से सम्बन्धित चूककर्ता फर्म के साथ एक परस्पर समझौता करते हुए वैकल्पिक स्रोत से जोखिम एवं लागत तथा उत्पादन हानि को ध्यान में रखने में हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 81.95 लाख की वसूली नहीं हुई।

(परिच्छेद 3.8)

हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम अल्पसंख्यक समुदाय एवं कमजोर वर्गों के पात्र लाभार्थियों तथा दिव्यांगों को सहायता वितरण का लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहा। कम्पनी अपेक्षित सरकारी प्रतिभूति का प्रबन्ध न होने के कारण ₹ 1.94 करोड़ के संस्वीकृत ऋण के वितरण में विफल रही और शीर्षस्थ संस्थान द्वारा ₹ 1.20 करोड़ के आबंटन के बावजूद महिला, समृद्धि योजना का

कार्यान्वयन नहीं कर सकी थी। आगे, सॉफ्टवेयर में चूककर्ताओं से सामान्य ब्याज की गणना का प्रावधान न होने से ₹ 1.44 करोड़ के ब्याज की अल्प वसूली हुई।

(परिच्छेद 3.9)

हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित ने परियोजना पर हुए वास्तविक व्यय के संदर्भ के बिना अधिक ऋण निधियों का आहरण किया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.52 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा। लागतों को बांटने के लिए उधार इक्विटी अनुपात के मापदण्डों की गैर-अनुपालना के परिणामस्वरूप ₹ 3.80 करोड़ प्रति वर्ष की इक्विटी पर प्रतिफल की हानि होगी। आगे ब्याज मुक्त मोबीलाइजेशन अग्रिम को स्वीकृति देने में उदासीन रवैये से ₹ 5.11 करोड़ की ब्याज हानि हुई।

(परिच्छेद 3.10)

हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित की एशियन विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई आबकारी शुल्क की छूट का दावा करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 36.11 करोड़ के आबकारी शुल्क का परिहार्य भुगतान हुआ।

(परिच्छेद 3.11)

अध्याय-I

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यपद्धति

अध्याय-I

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यपद्धति

1.1 परिचय

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य की सरकारी कम्पनियां तथा सांविधिक निगम सम्मिलित होते हैं। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियां चलाने के लिए स्थापित किए गए हैं तथा राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 31 मार्च 2016 तक, हिमाचल प्रदेश में 22 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे। इनमें से एक कम्पनी¹ दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (अप्रैल 1995) थी। वर्ष 2015-16 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम² बनाया गया और सार्वजनिक क्षेत्र का कोई भी उपक्रम बंद नहीं किया गया। हिमाचल प्रदेश में 31 मार्च 2016 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का ब्यौरा नीचे तालिका 1.1 में दिया गया है।

तालिका 1.1 31 मार्च 2016 तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुल संख्या

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रकार	क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ³	कुल
सरकारी कम्पनियां ⁴	18	2	20
सांविधिक निगम	2 ⁵	-	2
योग	20	2	22

क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सितम्बर 2016 को उनके अंतिम रूप दिए गये लेखों के अनुसार कुल टर्नओवर ₹ 7,565.74 करोड़ (परिशिष्ट 1.2) रही। यह टर्नओवर 2015-16 के लिए राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 6.79 प्रतिशत के बराबर थी। क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सितम्बर 2016 तक के नवीनतम अंतिम रूप दिए गये लेखों के अनुसार उनमें (-) ₹ 334.79 करोड़ (परिशिष्ट 1.2) की कुल हानि हुई। उनमें मार्च 2016 के अंत तक 34,457 कर्मचारी कार्यरत थे।

31 मार्च 2016 तक, दो अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे जो पिछले आठ से 16 वर्षों से विद्यमान हैं तथा जिनमें ₹ 78.79 करोड़ निवेशित हैं।

1.2 उत्तरदायित्व संरचना

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 139 तथा 143 से सम्बन्धित प्रावधानों द्वारा शासित होती है। अधिनियम की धारा 2(45) के अनुसार, सरकारी कम्पनी से अभिप्राय ऐसी किसी भी कम्पनी से है जिसमें प्रदत्त पूंजीगत भाग का न्यूनतम 51 प्रतिशत का हिस्सा केन्द्र सरकार अथवा किसी भी राज्य सरकार अथवा सरकारों अथवा आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा या आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा किया गया है और वो कम्पनी भी इसमें सम्मिलित है जो ऐसी सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी है।

¹ हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित।

² हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम।

³ अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम व है जिन्होंने अपना प्रचालन बंद कर दिया है।

⁴ सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) तथा 139 (7) में संदर्भित अन्य कम्पनियां सम्मिलित हैं।

⁵ हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम तथा हिमाचल पथ परिवहन निगम।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा 7 के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, धारा 139 की उप-धारा 5 अथवा उप-धारा 7 के अन्तर्गत आवृत्त किसी भी कम्पनी के मामले में, यदि आवश्यक समझे, एक आदेश के द्वारा, ऐसी कम्पनी के लेखों की नमूना लेखापरीक्षा संचालित करवा सकते हैं और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तों) के अधिनियम, 1971 की धारा 19 (क) के प्रावधान ऐसी नमूना लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन पर लागू होंगे। अतः, एक सरकारी कम्पनी अथवा कोई भी अन्य कम्पनी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से केन्द्र सरकार द्वारा अथवा किसी भी राज्य सरकार द्वारा अथवा सरकारों अथवा आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा तथा आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित हैं, की नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा की जानी है। उन कम्पनियों की वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा, जो 1 अप्रैल 2014 को अथवा इसके पश्चात् आरम्भ होने वाले वित्तीय वर्षों के सम्बंध में हो, कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों द्वारा शासित की जायेगी।

1.3 सांविधिक लेखापरीक्षा

सरकारी कम्पनियों (जैसाकि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) में परिभाषित किया गया है) की वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों, जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139 (5) अथवा (7) के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किए जाते हैं, द्वारा की जाती है। सांविधिक लेखापरीक्षक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि जिसमें अन्य बातों सहित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों, उन पर की गई कार्रवाई तथा उनका लेखों पर प्रभाव सम्मिलित होता है, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पास जमा करवाएंगे। अधिनियम के भाग 143 (6) के अंतर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर वित्तीय विवरणियां नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा का विषय होती हैं।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके सम्बन्धित विधानों द्वारा शासित की जाती है। दो सांविधिक निगमों⁶ में से, हिमाचल पथ परिवहन निगम के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एक मात्र लेखापरीक्षक है। हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम के सम्बंध में लेखापरीक्षा चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा तथा अनुपूरक लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा संचालित की जाती है।

1.4 सरकार तथा विधानपालिका की भूमिका

राज्य सरकार अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामलों पर नियन्त्रण रखती है। मुख्य कार्यकारी तथा बोर्ड के निदेशकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है।

राज्य विधानपालिका सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी निवेश के लेखाकरण तथा उपयोक्ता की भी निगरानी करती है। इसके लिए राज्य सरकारी कम्पनियों के सम्बंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित वार्षिक प्रतिवेदन और सांविधिक निगमों के मामले में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अधिनियम की धारा 394 अथवा जैसा कि सम्बंधित अधिनियमों में अनुबद्ध है, के अंतर्गत विधानपालिका के सम्मुख प्रस्तुत किए जाते हैं। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तों) के अधिनियम, 1971 की धारा 19क के अंतर्गत सरकार को प्रस्तुत किए जाते हैं।

⁶ हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम तथा हिमाचल पथ परिवहन निगम।

1.5 हिमाचल प्रदेश सरकार की हिस्सेदारी

राज्य सरकार की इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बड़ी वित्तीय हिस्सेदारी है। यह हिस्सेदारी मुख्यतः तीन प्रकार की है :

- **शेयर पूंजी तथा ऋण**-शेयर पूंजी अंशदान के अतिरिक्त राज्य सरकार समय-समय पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ऋणों के माध्यम से वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवाती है।
- **विशेष वित्तीय सहायता**-राज्य सरकार जब कभी भी आवश्यकता होने पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अनुदानों तथा सब्सिडियों के माध्यम से बजटीय सहायता उपलब्ध करवाती है।
- **प्रत्याभूतियां**-राज्य सरकार वित्तीय संस्थानों से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लिये गये ऋणों को ब्याज सहित पुनर्भुगतान के लिए प्रत्याभूति भी देती है।

1.6 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

31 मार्च 2016 तक 22 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ₹ 10,820.11 करोड़ का निवेश (पूंजी तथा दीर्घावधि ऋण) हुआ था, जिनका ब्यौरा नीचे तालिका 1.2 में दिया गया है।

तालिका-1.2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश


(₹ करोड़ में)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रकार	सरकारी कम्पनियां			सांविधिक निगम			सकल योग
	पूंजी	दीर्घावधि ऋण	कुल	पूंजी	दीर्घावधि ऋण	कुल	
क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	2,919.04	6,906.37	9,825.41	722.11	193.80	915.91	10,741.32
अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	18.64	60.15	78.79	-	-	-	78.79
योग	2,937.68	6,966.52	9,904.20	722.11	193.80	915.91	10,820.11

31 मार्च 2016 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश का 99.27 प्रतिशत क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में तथा शेष 0.73 प्रतिशत अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में था। कुल निवेश का 33.82 प्रतिशत पूंजी के रूप में तथा 66.18 प्रतिशत दीर्घावधि ऋणों के रूप में सम्मिलित था। निवेश 2011-12 में ₹ 6,527.75 करोड़ (पूंजी: ₹ 2,929.96 करोड़ तथा दीर्घावधि ऋण: ₹ 3,597.79 करोड़) से 65.28 प्रतिशत बढ़कर 2015-16 में ₹ 10,820.11 करोड़ (पूंजी: ₹ 3,659.79 करोड़ तथा दीर्घावधि ऋण: ₹ 7,160.32 करोड़) हो गया जैसा कि

निम्न चार्ट 1.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट-1.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश




1.7 31 मार्च 2015 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश का क्षेत्रवार सारांश नीचे तालिका 1.3 में दिया गया है:

तालिका: 1.3 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में क्षेत्रवार निवेश

क्षेत्र का नाम	सरकारी कम्पनियाँ		सांविधिक निगम	योग	निवेश (₹ करोड़ में)
	क्रियाशील	अक्रियाशील	क्रियाशील		
विद्युत	4	-	-	4	9,527.82
विनिर्माण	1	1	-	2	11.05
वित्त	3	-	1	4	282.80
सेवा	5	-	1	6	735.32
अवसंरचना	2	-	-	2	55.82
कृषि एवं सम्बद्ध	3	1	-	4	207.30
योग	18	2	2	22	10,820.11

31 मार्च 2012 तथा 31 मार्च 2016 के अंत में चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश एवं उनकी प्रतिशतता नीचे चार्ट 1.2 में दर्शाई गई है:

आकृति 1.2: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में क्षेत्रवार निवेश



(कोष्ठक में दिये गये आंकड़े कुल निवेश की क्षेत्रवार प्रतिशतता दर्शाते हैं)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश का जोर मुख्यतः ऊर्जा क्षेत्र में था जिसमें 2011-12 (₹ 5,376.56 करोड़) से 2015-16 (₹ 9,527.82 करोड़) के दौरान कुल निवेश के प्रति 82.36 प्रतिशत से 88.06 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विनिर्माण और वित्त क्षेत्र में निवेश क्रमशः ₹ 55.82 करोड़ से ₹ 11.05 करोड़ और ₹ 297.21 करोड़ से ₹ 282.80 करोड़ घट गया। तथापि मार्च 2012 की तुलना में मार्च 2016 तक विविध क्षेत्रों में निवेश ₹ 798.16 करोड़ से बढ़कर ₹ 998.44 करोड़ हो गया।

1.8 वर्ष के दौरान विशेष सहायता तथा रिटर्न

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को राज्य सरकार वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है। 31 मार्च 2016 को समाप्त तीन वर्षों के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बंध में इक्विटी, ऋणों, अनुदानों/उपदानों, जारी गारंटियों, बट्टे खाते में डाले गए ऋणों एवं माफ किए गए ब्याज के प्रति बजटीय निकास का संक्षेप ब्यौरा नीचे तालिका 1.4 में दिया गया है।

तालिका 1.4: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता के सन्दर्भ में ब्यौरा


(₹ करोड़ में)

क्रमांक	विवरण	2013-14		2014-15		2015-16	
		सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि
1.	बजट से इक्विटी पूंजी का निकास	6	261.77	7	283.38	8	308.29
2.	बजट से दिये गए ऋण	1	49.20	2	119.15	2	96.04
3.	बजट से प्राप्त अनुदान/उपदान	7	417.84	7	787.45	9	623.37
4.	कुल निकास (1+2+3)		728.81		1,189.98		1,027.70
5.	ऋण/ब्याज को बट्टे खाते में डालने तथा ऋणों को इक्विटी में परिवर्तित करना	1	7.05	1	19.11 ⁷	0	शून्य
6.	जारी की गई गारंटियां	9	2,332.54	9	4,919.21	9	2,855.24
7.	गारंटी प्रतिबद्धता	9	2,768.03	9	2,746.24	8	1,516.87
8.	गारंटी फीस	2	0.09	2	0.09	2	0.09

⁷ राज्य सरकार ने 2013-14 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित के सम्बंध में ऋणों को इक्विटी में अपवर्तित किया किंतु कम्पनी ने वर्ष 2013-14 के लिये अपने लेखा को अंतिम रूप नहीं दिया है।

विगत पांच वर्षों में इक्विटी, ऋणों तथा अनुदानों/इमदादों के प्रति बजटीय निकास से सम्बंधित ब्यौरा नीचे दिए गए चार्ट 1.3 में दिया गया है।

आकृति 1.3: ऋण, इक्विटी और अनुदान / इमदाद की ओर बजटीय निर्गमन



2011-12 से 2015-16 के वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा इक्विटी, ऋणों तथा अनुदानों/इमदादों के रूप में बजटीय सहयोग भिन्न-भिन्न प्रवृत्ति को दर्शाता है। बजटीय निकास जो 2011-12 में ₹ 722.69 करोड़ पर था, वह 2014-15 में ₹ 1,189.98 करोड़ तक बढ़ गया, किन्तु 2015-16 में ₹ 1,027.70 करोड़ तक घट गया। बजटीय निकास में वृद्धि मुख्यतः हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम तथा हिमाचल पथ परिवहन निगम में निवेशित/जारी की गई इक्विटी, ऋणों तथा अनुदान/इमदाद के कारण थी।

राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु गारंटियां देती है और गारंटी फीस शून्य प्रतिशत से एक प्रतिशत तक प्रभारित करती है। 2015-16 के दौरान सरकार ने नौ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्राप्त किए गए कुल ₹ 2,855.24 करोड़ के ऋणों पर गारंटी दी थी। गारंटी प्रतिबद्धता वर्ष 2015-16 में वर्ष 2014-15 की अपेक्षा ₹ 2,746.24 करोड़ (नौ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) से घट कर ₹ 1,516.87 करोड़ (आठ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) रह गई। इसके अतिरिक्त 2015-16 के दौरान दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों⁸ ने ₹ 0.09 करोड़ राशि की गारंटी फीस का भुगतान किया था।

1.9 वित्त लेखों के साथ मिलान

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार बकाया इक्विटी, ऋणों तथा गारंटियों से सम्बंधित आंकड़े, राज्य के वित्त लेखों में दर्शाए आंकड़ों के अनुसार होने चाहिए। यदि आंकड़े नहीं मिलते हैं तो सम्बंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा वित्त विभाग को भिन्नताओं का मिलान करना चाहिए। इस सम्बंध में 31 मार्च 2016 की स्थिति निम्न दर्शायी गई है।

⁸ हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम सीमित।

तालिका-1.5: वित्त लेखों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार बकाया इक्विटी, ऋण, गारंटियां (₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	से सम्बंधित बकाया	वित्त लेखों के अनुसार राशि	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार राशि	भिन्नता
1	इक्विटी	1,811.17	1,899.47	110.42
2	ऋण	423.30	1,254.09	519.02

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रस्तुत आंकड़े और जिन्हें वित्त लेखा में प्रकट किया गया के मध्य मेल नहीं था। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भिन्नता के कारण प्रस्तुत नहीं किये गए थे यद्यपि सम्बंधित प्रशासनिक विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा वित्त विभागों से अंतरों का मिलान करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया गया था (सितम्बर 2016)।

1.10 लेखों को अंतिम रूप देने में बकाया/शेष

प्रत्येक वर्ष के लिए कम्पनियों की वित्तीय विवरणियों को सम्बंधित वित्तीय वर्ष के अंत से छः महीने के भीतर अर्थात् सितम्बर अंत तक अधिनियम की धारा 96 (1) कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप, अंतिम रूप दिया जाना अपेक्षित है। ऐसा न किये जाने से अधिनियम की धारा 99 के अंतर्गत दंडात्मक प्रावधान लगाए जा सकते हैं। इसी प्रकार सांविधिक निगमों के मामले में उनसे सम्बंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार उनके लेखों को अंतिम रूप दिया जाता है, उनकी लेखापरीक्षा की जाती है तथा विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है।

निम्न तालिका 1.6, 30 सितम्बर 2016 तक क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों को अंतिम रूप दिए जाने में हुई प्रगति के ब्यौरे को दर्शाती है।

तालिका-1.6 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों को अंतिम रूप दिए जाने से सम्बंधित स्थिति

क्रमांक	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1.	क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / अन्य कम्पनियों की संख्या	19	19	19	19	20
2.	वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिये गए लेखों की संख्या	15	15	16	16	19
3.	बकाया लेखों की संख्या	16	20	23	26	27
4.	क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या जिनके लेखे बकाया हैं	10	12	15	18	18
5.	बकाया की सीमा	1 से 2 वर्ष	1 से 3 वर्ष	1 से 3 वर्ष	1 से 3 वर्ष	1 से 3 वर्ष

प्रशासकीय विभागों पर इन इकाइयों के कार्यकलापों की निगरानी करने तथा निर्धारित समयावधि के भीतर इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों को अंतिम रूप दिया जाना तथा उन्हें अपनाये जाने को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व है। यद्यपि सम्बंधित प्रशासकीय विभागों को लेखापरीक्षा द्वारा लेखों को अंतिम रूप देने में बकाया रहे मामलों के बारे में प्रत्येक तिमाही में सूचित किया गया था, तथापि सुधारात्मक उपाय नहीं किए गए। इसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा में इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निवल मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सका। लेखों के बकाया के संग्रह को समयबद्ध ढंग से शीघ्रतापूर्वक निपटाने हेतु लेखों के बकाया मामले मुख्य सचिव/निदेशक, संस्थागत वित्त एवं लोक उद्यम के साथ भी उठाया गया था (जुलाई 2016)। तथापि अब तक कोई सुधार नहीं देखा गया।

1.11 राज्य सरकार ने उन वर्षों जिनमें लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है के दौरान 11 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ₹ 809.10 करोड़ का निवेश किया था जैसा कि परिशिष्ट 1.1 में ब्यौरा दिया गया है। लेखों को अंतिम रूप न दिए जाने एवं उनकी अनुवर्ती लेखापरीक्षा न होने से यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि किया गया निवेश तथा व्यय की गणना उचित ढंग से की गयी है और जिस प्रयोजन हेतु राशि का निवेश किया गया था उसे प्राप्त कर लिया है अथवा नहीं। इस प्रकार ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार द्वारा किया गया निवेश राज्य विधानमंडल की समीक्षा से बाहर रहता है।

1.12 30 सितम्बर 2016 को अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखा को अंतिम रूप दिया जाना बकाया था जैसाकि तालिका 1.7 में ब्यौरा दिया गया है।

तालिका 1.7: अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में लेखों के बकाया से सम्बंधित स्थिति

अक्रियाशील कम्पनी का नाम	अवधि जिसके लिए लेखा बकाया में थे	वर्षों की संख्या जिनके लिए लेखे बकाया थे
हिमाचल वर्सटिड मिल्स लिमिटेड	परिसमापन प्रक्रियाधीन	परिसमापन प्रक्रियाधीन
एग्रोइंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड	2014-15	2

दो अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से हिमाचल प्रदेश वर्सटिड मिल्स लिमिटेड 2000-01 से परिसमापन की प्रक्रिया में था और इसी अवधि तक लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया था। एग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड ने 2013-14 तक अपने लेखाओं को अंतिम रूप दिया था।

1.13 पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण

तालिका 1.8 विधानसभा में सांविधिक निगमों के लेखों पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये (30 सितम्बर 2016 तक) पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण की प्रास्थिति दर्शाती है।

तालिका 1.8: विधानसभा में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण की प्रास्थिति

क्रमांक	सांविधिक निगम का नाम	जिस वर्ष तक पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधानसभा में रखे गये	वर्ष जिसके लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधानसभा में नहीं रखे गए	
			पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सरकार को जारी किए जाने की तिथि
1.	हिमाचल प्रदेश वित्त निगम	2014-15	2015-16	09.09.2016
2.	हिमाचल पथ परिवहन निगम	2014-15	2015-16	लेखों को अभी अंतिम रूप दिया जाना शेष है।

1.14 लेखों को अंतिम रूप न दिये जाने का प्रभाव

लेखों को अंतिम रूप दिए जाने में विलम्ब के परिणामस्वरूप सम्बंधित नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के अतिरिक्त जन-धन की धोखाधड़ी तथा रिसाव भी हो सकता है। वर्ष 2015-16 के लेखों के बकाया स्थिति के मद्देनजर राज्य सकल घरेलु उत्पाद के प्रति सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वास्तविक योगदान सुनिश्चित नहीं हो सका।

1.15 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का उनके नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखों के अनुसार निष्पादन

क्रियाशील सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति तथा कार्यकलाप परिणामों का ब्यौरा परिशिष्ट 1.2 में दिया गया है। राज्य सकल घरेलू उत्पाद के प्रति सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की कुल बिक्री का अनुपात राज्य अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की गतिविधियों का विस्तार दर्शाता है। नीचे दी गई तालिका 1.9, 31 मार्च 2016 को समाप्त पांच वर्षों की अवधि के लिए क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुल बिक्री तथा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का ब्यौरा उपलब्ध करवाती है।

तालिका 1.9: राज्य सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुल बिक्री का ब्यौरा


(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
कुल बिक्री ⁹	4,990.22	4,945.29	5,952.79	6,536.34	7,565.74
राज्य सकल घरेलू उत्पाद	66,448	76,259	85,841	95,587	1,10,511
कुल बिक्री की राज्य सकल घरेलू उत्पाद के प्रति प्रतिशतता	7.51	6.48	6.93	6.84	6.85

विगत पांच वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित तथा हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित के सम्बंध में कम बिक्री के कारण क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुल बिक्री 2011-12 में ₹ 4,990.22 करोड़ से घटकर 2012-13 में ₹ 4,945.29 करोड़ रह गई तत्पश्चात् वर्ष 2015-16 में बढ़कर ₹ 7,565.74 करोड़ हो गई। कुल बिक्री की राज्य सकल घरेलू उत्पाद के प्रति प्रतिशतता 2011-12 के 7.51 से घटकर 2015-16 में 6.85 रह गई।

1.16 2011-12 से 2015-16 के दौरान राज्य क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हुई कुल हानि नीचे चार्ट 1.4 में दी गई है।

आकृति 1.4: क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की हानि



(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या दर्शाते हैं जिन्होंने सम्बंधित वर्षों में हानि वहन की है)

⁹ 30 सितम्बर तक नवीनतम अंतिम रूप प्राप्त लेखों के अनुसार कुल बिक्री।

वर्ष 2015-16 के दौरान 20 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से नौ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ₹ 18.75 करोड़ का लाभ हुआ और 8 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ₹ 367.73 करोड़ की हानि हुई, जिनमें वो तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम¹⁰ भी सम्मिलित हैं जिन्होंने अपने लेखों को 'लाभ रहित हानि रहित' पर तैयार किया था। एक क्रियाशील सरकारी कम्पनी (व्यास घाटी विद्युत निगम सीमित) ने अपने लाभ एवं हानि लेखे तैयार नहीं किए हैं, जबकि एक क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अर्थात् हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित के सम्बंध में आय से अधिक व्यय आधिक्य राज्य सरकार द्वारा पुनर्भुगतान योग्य है तथा हिमाचल कौशल विकास निगम सीमित जो 2015-16 में बनी है द्वारा अभी तक अपना पहला लेखा तैयार नहीं किया था। लाभ में प्रमुख अंशदान हिमाचल प्रदेश लघु उद्योग विकास निगम सीमित (₹ 6.47 करोड़) तथा सामान्य उद्योग निगम सीमित (₹ 4.93 करोड़) का रहा। भारी हानियां हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित (₹ 136.98 करोड़), हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (₹ 172.70 करोड़), हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित (₹ 9.11 करोड़) तथा हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित (₹ 6.96 करोड़) को हुई थीं।

1.17 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कुछ अन्य प्रमुख मानदंड नीचे तालिका 1.10 में दिए गए हैं:

तालिका 1.10: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुख मानदंड

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (प्रतिशत)	(-)25.17	(-)241.16	(-)342.76	17.77	(-) 6.09
ऋण	3,597.79	3,932.91	5,919.37	6,568.11	5,384.53
कुल बिक्री ¹¹	4,990.22	4,945.29	5,952.79	6,536.34	7,565.74
ऋण / कुल बिक्री अनुपात	0.72:1	0.80:1	0.99:1	1:1	0.71:1
ब्याज भुगतान	199.50	163.24	280.37	473.82	613.73
संचित हानियां	1,360.75	1,875.73	2,492.97	2,951.26	3,291.92

ऋण-कुल बिक्री अनुपात 2011-12 में 0.72:1 से बढ़कर 2014-15 में 1:1 हो गया जो पुनः 2015-16 में कम होकर 0.71:1 रह गया जिसने उसके लाभ को प्रभावित किया। परिणामतः संचित हानियां जो 2011-12 में ₹ 1,360.75 करोड़ थीं, 2015-16 में ₹ 3,291.92 करोड़ तक बढ़ गईं।

1.18 राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति तैयार की थी (अप्रैल 2011) जिसके अंतर्गत समस्त लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (उन्हें जो कल्याण एवं उपयोगिता क्षेत्र में हैं, को छोड़कर) से राज्य सरकार द्वारा योगदान की गई प्रदत्त पूंजी पर पांच प्रतिशत न्यूनतम प्रतिफल भुगतान अपेक्षित है जो कर के उपरान्त लाभ का 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक हो सकता है। अपने नवीनतम अंतिम रूप प्राप्त किए लेखों के अनुसार, नौ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 18.75 करोड़

¹⁰ हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम और हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम।

¹¹ 30 सितम्बर तक नवीनतम अंतिम रूप प्राप्त लेखों के अनुसार क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुल बिक्री।

का कुल लाभ अर्जित किया जिसमें से मात्र तीन¹² सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने 2014-15 के दौरान ₹ 2.25 करोड़ का लाभांश घोषित/भुगतान किया। शेष लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के शेष छः उपक्रमों ने अपने लाभांश घोषित नहीं किये थे और राज्य सरकार को भी इसका भुगतान नहीं किया था।

1.19 अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का समापन

31 मार्च 2016 तक दो अक्रियाशील कम्पनियां¹³ थीं। इनमें से एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम अर्थात् हिमाचल वर्सिटेड मिल्स लिमिटेड ने अपनी परिसमापन प्रक्रिया 2000-01 से आरम्भ कर दी थी। 2011-12 के अंत में अक्रियाशील कम्पनियों की संख्या तीन थी तथा तत्पश्चात् दो हो गईं। अक्रियाशील कम्पनियां राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं दे रही थी और न ही अपने अभिप्रेत उद्देश्यों की पूर्ति कर रही थी।

1.20 अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बंध में समापन के चरण, नीचे तालिका 1.11 में दिए गए हैं।

तालिका 1.11: अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का समापन

क्रमांक	विवरण	कम्पनियां	सांविधिक निगम	योग
1.	अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुल संख्या	2	-	2
2	उपरोक्त (1) में से निम्न के अंतर्गत संख्या:			
(क)	न्यायालय द्वारा परिसमापन (परिसमापक नियुक्त)	-	-	-
(ख)	स्वैच्छिक समापन (परिसमापक नियुक्त)	1	-	1
(ग)	समापन अर्थात् समापन आदेश/निर्देश जारी किए गए लेकिन परिसमापन प्रक्रिया अभी तक आरम्भ नहीं की गई	1	-	1

वर्ष 2015-16 के दौरान कोई भी कम्पनी अंतिम रूप से बंद नहीं की गई। सरकार को एक अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अर्थात् एग्रोइंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया सीमित के समापन के सम्बंध में निर्णय लेना चाहिए।

1.21 लेखा टिप्पणियां

सत्रह क्रियाशील कम्पनियों ने प्रधान महालेखाकार को अक्टूबर 2015 से सितम्बर 2016 तक अपने लेखापरीक्षित 18 लेखे अग्रेषित किए थे जिन्हें अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु चयनित किया गया था।

¹² हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम तथा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम।

¹³ एग्रोइंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड और हिमाचल वर्सिटेड मिल्स लिमिटेड।

सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के कुल मुद्रा मूल्यों का ब्यौरा नीचे तालिका 1.12 में दिया गया है।

तालिका-1.12: क्रियाशील कम्पनियों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	विवरण	2013-14		2014-15		2015-16	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	5	92.42	4	21.87	6	4.99
2	हानि में वृद्धि	4	636.69	5	2,105.11	2	6.34
3.	हानि में कमी	-	-	2	2.22	2	1.29
4	लाभ में वृद्धि	1	0.85	-	-	2	0.66
	लाभ/(-) हानि में कुल वृद्धि	10	728.26	11	2,126.98	8¹⁴	9.38
5	सामग्री तथ्यों का गैर-उद्घाटन	-	-	2	19.64	2	3.93
6	वर्गीकरण की अशुद्धियां	-	-	2	4.47	2	0.34

लेखा टिप्पणियों के परिणास्वरूप 2015-16 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के आठ उपक्रमों में ₹ 9.38 करोड़ की हानि की समग्र वृद्धि होगी।

वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों ने पांच लेखों के लिए प्रतिकूल प्रमाणपत्र¹⁵ तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित के एक लेखा के लिए अस्वीकृति¹⁶ दी थी। शेष 12 लेखाओं के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों ने योग्यता प्रतिवेदन जारी किये थे। नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान 15 लेखाओं पर टिप्पणी युक्त योग्यता प्रतिवेदन दिये थे और दो कम्पनियों के तीन लेखाओं के लिए 'शून्य' टिप्पणियां जारी की गई थी। कम्पनियों द्वारा लेखा मानकों की अनुपालना खराब रही क्योंकि वर्ष के दौरान 13 लेखों में गैर-अनुपालना के 41 उदाहरण थे।

1.22 इसी प्रकार, दो क्रियाशील सांविधिक निगमों ने अक्टूबर 2015 से सितम्बर 2016 की अवधि के दौरान अपने दो लेखे नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक को अग्रेषित किए थे। इनमें से, एक हिमाचल पथ परिवहन निगम का लेखा नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा एकल लेखापरीक्षा से सम्बंधित था जो कि पूर्ण हो गई थी। शेष लेखों में से एक हिमाचल प्रदेश वित्त निगम के लेखे अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा चयनित किए गए थे और प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त की। सांविधिक

¹⁴ टिप्पणियां 8 कम्पनियों से सम्बंधित हैं।

¹⁵ प्रतिकूल प्रमाण पत्र से तात्पर्य है कि लेखे सत्य एवं सही स्थिति को प्रकट नहीं करते।

¹⁶ अस्वीकृति से तात्पर्य है कि लेखापरीक्षक लेखाओं पर अपना मत देने में असमर्थ हैं।

लेखापरीक्षकों तथा नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों की कुल मुद्रा मूल्य का ब्यौरा नीचे तालिका 1.13 में दिया गया है।

तालिका 1.13: सांविधिक निगमों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	विवरण	2013-14		2014-15		2015-16	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	हानि में वृद्धि	2	0.47	2	41.60	1	49.19
2.	हानि में कमी	-	-	-	-	1	0.04
3.	सामग्री तथ्यों का गैर-प्रकटीकरण	-	-	1	5.27	1	0.57

'हानि में वृद्धि' पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव 2013-14 में ₹ 0.47 करोड़ से 2015-16 में ₹ 49.15 करोड़ था जिसने प्रयोग में लाए गए उचित लेखा व्यवहारों की कमी को उजागर किया।

1.23 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया

निष्पादन लेखापरीक्षा तथा परिच्छेद

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों के प्रतिवेदन से सम्बंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों को हिमाचल प्रदेश राज्य के अंतर्गत परिवहन सेवाओं के प्रावधान पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा 11 अनुपालना लेखापरीक्षा परिच्छेद छ: हफ्तों के भीतर उत्तर देने के अनुरोध के साथ जारी किए गए थे। तथापि राज्य सरकार से निष्पादन लेखापरीक्षा तथा 10 अनुपालना लेखापरीक्षा परिच्छेदों के सम्बंध में उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2016)।

1.24 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुगामी कार्रवाई

बकाया उत्तर

भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा संवीक्षा की प्रक्रिया की पराकाष्ठा प्रस्तुत करता है। अतः यह आवश्यक है कि वे कार्यवाही में उचित तथा समयबद्ध प्रतिक्रिया प्रकाश में लाए। वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार ने समस्त प्रशासनिक विभागों को भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधानसभा में प्रस्तुत करने के तीन मास की अवधि के भीतर उनमें सम्मिलित परिच्छेद/समीक्षाओं पर उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियां लोक उपक्रम समिति को निर्धारित प्रारूप में से किसी प्रश्नावली की प्रतीक्षा किए बिना जमा करवाने के निर्देश जारी किए थे

(फरवरी 1994)। व्याख्यात्मक टिप्पणी की प्राप्ति की स्थिति नीचे तालिका 1.14 में दी गई है।

तालिका 1.14: 30 सितम्बर 2016 तक प्राप्त नहीं हुई व्याख्यात्मक टिप्पणियां

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (आर्थिक क्षेत्र) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	राज्य विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कुल परिच्छेद/निष्पादन लेखापरीक्षाएं		परिच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई थी	
		निष्पादन लेखापरीक्षाएं	परिच्छेद	निष्पादन लेखापरीक्षाएं	परिच्छेद
2012-13	फरवरी 2014	1	10	1	2
2013-14	अप्रैल 2015	2	12	1	6
2014-15	अप्रैल 2016	2	12	2	12
कुल		5	34	4	20

39 परिच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं में से छः विभागों के संबंध में 24 परिच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं (61 प्रतिशत) की व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रतीक्षित थी (नवम्बर 2016)।

1.25 लोक उपक्रम समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की चर्चा

30 सितम्बर 2016 तक निष्पादन लेखापरीक्षाएं तथा परिच्छेद, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (आर्थिक क्षेत्र) के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रस्तुत हुए तथा जिन पर लोक उपक्रम समिति द्वारा चर्चा की गई, निम्नलिखित तालिका 1.15 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 1.15: 30 सितम्बर 2016 तक निष्पादन लेखापरीक्षा/परिच्छेद जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में छपे हुए हैं और जिन पर चर्चा की गई

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	समीक्षाओं/परिच्छेदों की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित		परिच्छेद जिन पर चर्चा की गई	
	निष्पादन लेखापरीक्षाएं	परिच्छेद	निष्पादन लेखापरीक्षाएं	परिच्छेद
2010-11	1	15	0	15
2011-12	1	13	1	6
2012-13	2	12	0	7
2013-14	1	10	0	2
2014-15	2	12	0	0
योग	7	62	1	30

1.26 लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों की अनुपालना

दिसम्बर 2013 से मार्च 2016 के मध्य लोक उपक्रम समिति के द्वारा विधानसभा में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर प्रस्तुत 20 प्रतिवेदनों से संबंधित 34 परिच्छेदों के प्रति एक्शन टेकन नोट्स प्राप्त नहीं किए गए थे (नवम्बर 2016) जैसा कि नीचे तालिका 1.16 में इंगित किया गया है:

तालिका 1.16: लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों की अनुपालना

लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदन का वर्ष	लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों की कुल संख्या	परिच्छेदों की कुल संख्या	लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदन में सिफारिशों की कुल संख्या	सिफारिशों की संख्या जहां एक्शन टेकन नोट्स प्राप्त नहीं हुए
2012-13	-	2	2	-
2013-14	2	11	27	8
2014-15	11	14	71	68
2015-16	7	7	24	24
योग	20	34	124	100

लोक उपक्रम समिति के इन प्रतिवेदनों में पांच विभागों से सम्बंधित परिच्छेदों जो वर्ष 2005-06 से 2013-14 के लिए भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में छपे थे, के सम्बंध में सिफारिशें सम्मिलित हैं।

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार सुनिश्चित करे: (क) लोक उपक्रम समिति की सिफारिशों पर निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रारूप परिच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं के प्रति उत्तर तथा कृत कार्रवाई टिप्पणियों के उत्तर निर्धारित समय सारणी के अनुसार भेजना; तथा (ख) समय पर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के प्रति कार्रवाई तंत्र में सुधार।

1.27 लेखापरीक्षा द्वारा सूचित करने पर की गई वसूलियां

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आई वसूलियों से सम्बंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष पुनः छानबीन के लिए लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राज्य सरकार को प्रेषित किये जाते हैं।

वर्ष 2015-16 में लेखापरीक्षा के दौरान विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधन को ₹ 22.97 करोड़ की वसूलियां सूचित की गई थी जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। इस राशि के सापेक्ष वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 8.42 करोड़ की वसूली की जा चुकी थी।

1.28 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, पुनर्संरचना तथा निजीकरण

वर्ष 2015-16 के दौरान सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों के निजीकरण का कोई मामला नहीं था, तथापि एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित) ने हिमाचल प्रदेश अवसंरचना विकास बोर्ड को ₹ 100 करोड़ की इक्विटी विनिवेशित की थी। राज्य सरकार द्वारा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेशित सरकारी इक्विटी के विनिवेश हेतु कोई नीति तैयार नहीं की गई।

1.29 इस प्रतिवेदन की कवरेज

इस प्रतिवेदन में ₹ 258.14 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से अंतर्ग्रस्त हिमाचल प्रदेश राज्य के अंतर्गत परिवहन सेवाओं के प्रावधान पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा और तीन विषयपरक परिच्छेदों सहित 11 परिच्छेद सम्मिलित हैं।

अध्याय-II
निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय-II

निष्पादन लेखापरीक्षा

हिमाचल पथ परिवहन निगम

हिमाचल प्रदेश राज्य के भीतर परिवहन सेवाओं का प्रावधान

हिमाचल प्रदेश में परिवहन सेवाएं राज्य सरकार द्वारा आवंटित मार्गों पर हिमाचल पथ परिवहन निगम (निगम) तथा निजी प्रचालकों द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम, एक राज्य परिवहन जनोपयोगी सेवा है जिसके पास 2,827 बसों का बेड़ा था जबकि निजी प्रचालक 31 मार्च 2016 तक 3,345 बसें प्रचालित कर रहे थे। राज्य में परिवहन सेवाओं के प्रावधान तथा निगम की कार्यप्रणाली की निष्पादन लेखापरीक्षा से निगम के मध्य, मार्गों के आवंटन सम्बंधी पारदर्शी नीति का अभाव तथा प्रचालनात्मक अकुशलताएं प्रकट हुई जिससे निगम को निरंतर हानि होती रही। कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे सारांशित हैं।

मुख्य बातें

यह सुनिश्चित करने हेतु कोई मानदण्ड निश्चित नहीं किया गया था कि निगम तथा निजी चालकों को कौन से मार्ग आवंटित किए जाने थे। लेखापरीक्षा विश्लेषण में पाया गया कि जिला मुख्यालयों एवं पर्यटक स्थलों के मध्य नियमित यात्रियों के अधिकतम प्रवाह वाले मार्गों में से मात्र 10 प्रतिशत मार्ग आवृत्तियां निगम को और 90 प्रतिशत निजी चालकों को आवंटित की गई थी। इसे सुनिश्चित करने हेतु कोई तन्त्र विद्यमान नहीं था कि निगम एवं निजी चालकों द्वारा अमितव्ययी मार्गों का भार समान रूप से उठाया जा रहा था। आगे, मार्ग परमिट के मूल्य के औचित्य को सुनिश्चित करने हेतु कोई तन्त्र स्थापित नहीं किया गया था और वे तदर्थ आधार पर आवंटित किए जा रहे थे।

(परिच्छेद 2.7.1)

न्यायिक निर्णयों के साथ-साथ गति नियंत्रों तथा वाहन ट्रेकिंग सिस्टमों के प्रतिष्ठापन से सम्बन्धित मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का कमजोर प्रवर्तन और अप्रभावी निगरानी से राज्य में सड़क सुरक्षा एवं प्रदूषण मानकों का अनुरक्षण प्रभावित हुआ।

(परिच्छेद 2.9 एवं 2.10)

2011-16 के दौरान निगम द्वारा प्राप्त की गई वाहन उत्पादकता अखिल भारतीय औसत से 16 से 54 किलोमीटर कम रही जिससे 2011-16 के दौरान निगम ₹ 313.29 करोड़ के संभावित ट्रैफिक राजस्व से वंचित हुआ।

(परिच्छेद 2.14.3)

आठ नमूना जांच की गई इकाइयों में अन्तरराज्यीय बस टर्मिनल दिल्ली तथा पार्किंग स्थलों, जगतपुर के मध्य 'डेड किलोमीटरों' के अभिलेखन में अनियमितताओं से मार्च 2016 को समाप्त पांच वर्षों की अवधि के दौरान अतिरिक्त डेड माइलेज के आधार पर ₹ 2.14 करोड़ का घाटा पाया गया।

(परिच्छेद 2.15.2)

निगम ने 2011-16 के दौरान अखिल भारतीय औसत की तुलना में 498.38 लाख लीटर ईंधन की अधिक खपत की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 240.02 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(परिच्छेद 2.16)

राज्य सरकार समाज के विभिन्न वर्गों हेतु छूट एवं निःशुल्क पासों के लिए निगम को क्षतिपूर्ति देती है। तथापि निगम ने अपने दावे वास्तविक आधार पर न करके मात्र आकलन आधार पर प्रस्तुत किये थे। 2011-16 के दौरान ₹ 1,111.66 करोड़ के कुल आकलित दावों में से राज्य सरकार ने वसूली हेतु शेष ₹ 216.66 करोड़ को छोड़ते हुए ₹ 895 करोड़ की प्रतिपूर्ति की थी।

(परिच्छेद 2.18)

2.1 परिचय

हिमाचल पथ परिवहन निगम को हिमाचल प्रदेश सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले निगम के रूप में पथ परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 3 के अंतर्गत सितम्बर 1974 में राज्य में यात्रियों को सस्ती, कुशल, विश्वसनीय एवं सुरक्षित परिवहन प्रणाली उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से निगमित किया गया था। निगम के पास 'वैट-लीज'¹ के अंतर्गत प्रचालित 37 संलग्नित बसों के अतिरिक्त 2014-16 के दौरान जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत उपार्जित 781 बसों सहित 31 मार्च 2016 तक 2,827 बसों का बेड़ा था। निगम के बेड़े (गाडियों का समूह) ने प्रतिवर्ष 1853.63 लाख किलोमीटर तय किए जिसमें प्रतिदिन (मार्च 2016) औसतन पांच लाख यात्रियों ने यात्रा की। निगम के बेड़े के अतिरिक्त राज्य के भीतर निजी प्रचालक भी 3,345 बसों (मार्च 2016) का प्रचालन कर रहे हैं। निगम तथा निजी प्रचालकों के मध्य किराया ढांचा एवं मार्ग आवंटन राज्य सरकार द्वारा इसकी परिवहन नीति के अनुसार नियंत्रित एवं अनुमोदित किया जाता है।

2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान यात्री परिवहन में निगम की हिस्सेदारी निजी प्रचालकों, जिनकी हिस्सेदारी 54.20 तथा 60.84 प्रतिशत के मध्य थी की तुलना में 39.16 तथा 45.80 प्रतिशत थी। 31 मार्च 2016 तक निगम का टर्न ओवर ₹ 930.95 करोड़ था जो ₹ 1,10,511 करोड़ के राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 0.84 प्रतिशत था। निगम ने 31 मार्च 2016 तक 9,162 कर्मचारियों को नियोजित किया।

निगम की निष्पादन लेखापरीक्षा की मार्च 2009 को समाप्त वर्ष हेतु भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) में सम्मिलित करने के लिए अंतिम बार समीक्षा की गई थी। सार्वजनिक उपक्रम की समिति द्वारा प्रतिवेदन पर चर्चा की गई थी और अगस्त 2011 में राज्य विधान सभा में इसकी सिफारिशें 58वें प्रतिवेदन में प्रस्तुत की गई थी। मार्च 2013 में कार्यवाई प्रतिवेदन राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रम की समिति को प्रस्तुत किया गया था।

2.2 संगठनात्मक ढांचा

निगम का प्रबंधन 15² सदस्यों वाले एक निदेशक मण्डल के पास निहित है। प्रबंध निदेशक जो निगम का मुख्य कार्यकारी है को वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, एक कार्यकारी निदेशक, तीन महाप्रबंधकों और मुख्यालय के चार मण्डल प्रबंधकों तथा क्षेत्र कार्यालयों के चार मण्डल प्रबंधकों का

¹ बसों को इस शर्तानुसार किराये पर लेना कि चालक, मरम्मत एवं रख-रखाव, ईंधन लागत और बीमा इत्यादि पट्टेदार द्वारा ही वहन किया जाना है।

² राज्य सरकार के पांच कर्मचारी, एक केन्द्र सरकार का कर्मचारी तथा नौ राज्य सरकार द्वारा नामित गैर-सरकारी सदस्य।

सहयोग प्राप्त होता है। निगम परिवहन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्य करता है जो राज्य में परिवहन नीति और इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करवाता है।

2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित को निर्धारित करना था:

- मार्ग परमिट निजी प्रचालकों को निर्धारित मापदंड के अनुसार और पारदर्शी तरीका अपनाते हुए मार्ग सर्वेक्षण/समीक्षा के पश्चात् प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर दिए जा रहे थे ;
- किराया नीति का प्रभावी क्रियान्वयन;
- वाहन उत्सर्जन मानकों को लागू करने का तंत्र;
- सड़क सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता;
- परिवहन सेवाओं की उपयुक्तता, मितव्ययता, विश्वसनीयता, परिवहन सुविधाओं की प्रभावशीलता और प्रचालन लागत वसूलने हेतु किराये की तार्किकता;
- निगम द्वारा प्रचालन लागत की वसूली की सीमा; और
- निगम का सूचना प्रणाली प्रबंधन एवं आंतरिक नियंत्रण।

2.4 लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं कार्यपद्धति

मार्च 2016 तथा जुलाई 2016 के मध्य संचालित निष्पादन लेखापरीक्षा, 2011-12 से 2015-16 के दौरान निगम द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य के भीतर परिवहन सेवाओं के प्रावधान तथा अन्य निजी प्रचालकों को आवृत्त करती है। निष्पादन लेखापरीक्षा प्रमुख रूप से परिवहन नीति के क्रियान्वयन, मार्गों के आवंटन के आधार, राज्य सरकार द्वारा तैयार एवं क्रियान्वित किराया नीति तथा प्रचालन कौशल, वित्तीय प्रबंधन, सामाजिक कर्तव्यों की पूर्ति तथा प्रदूषण मापदंडों के अनुपालन से संबंधित है।

लेखापरीक्षा जांच में परिवहन विभाग, निगम का प्रधान कार्यालय और इसके मंडलीय कार्यालयों³ के अभिलेख शामिल किये गए। अभिलेखों में नमूना जांच चार मंडलीय कार्यशालाओं में से एक⁴, 27 क्षेत्रीय डिपुओं में से सात⁵, तीन केन्द्रीय बुकिंग अभिकरणों में से एक⁶ तथा 10 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में से तीन⁷ का चयन करते हुए सरल यादृच्छिक प्रतिदर्श गैर प्रतिस्थापन पद्धति द्वारा संचालित की गई।

प्रधान सचिव (परिवहन) के साथ मई 2016 में प्रवेश सम्मेलन किया गया जिसमें लेखापरीक्षा के क्षेत्र एवं कार्यपद्धति के साथ लेखापरीक्षा उद्देश्यों के साथ-साथ लेखापरीक्षा मापदंड की व्याख्या की गई थी। प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य सरकार/प्रबंधन को उनकी टिप्पणियों हेतु अगस्त 2016 में जारी किया गया था। प्रधान सचिव (परिवहन), परिवहन निदेशक और विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ एक समापन सम्मेलन 2 नवंबर 2016 को आयोजित किया गया था। निदेशक (परिवहन) तथा

³ धर्मशाला, हमीरपुर, मंडी और शिमला

⁴ परवाणू

⁵ चंबा, हमीरपुर, केलांग, कुल्लू, रामपुर, सोलन और ऊना

⁶ चंडीगढ़

⁷ कांगड़ा, सोलन और ऊना

प्रबंधन के उत्तर, उचित रूप से, प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में अंतिम रूप दिये जाने से पूर्व शामिल किये गये थे। सरकार का उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2016)।

2.5 लेखापरीक्षा मापदंड

लेखापरीक्षा उद्देश्यों की उपलब्धि की समीक्षा हेतु अपनाए गए लेखापरीक्षा मापदंड निम्नलिखित से उत्पन्न हुए:

- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश;
- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानक, परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के प्रावधान, राज्य परिवहन नीति, मोटर वाहन अधिनियम 1988, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2015, मोटर वाहन नियम 1989, मोटर वाहनकर्मों अधिनियम 1961, श्रम अधिनियम 1970, न्यूनतम भाड़ा अधिनियम 1948, फैक्ट्री अधिनियम 1948 तथा राज्य सरकार के दिशानिर्देश/निर्देश;
- परिवहन निदेशक की बैठक की कार्यसूची एवं कार्यवृत्त;
- बेड़ा प्रचालनों के संपूर्ण निष्पादन के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालयों का सांख्यिकीय आंकड़े, निगम के निदेशक मंडल की बैठक की कार्यसूची एवं कार्यवृत्त;
- केन्द्रीय सड़क परिवहन संस्थान, पुणे द्वारा संकलित किये गये निष्पादन मापदंडों हेतु अखिल भारतीय औसत;
- राज्य पथ परिवहन उपक्रमों के संघ द्वारा निर्धारित निष्पादन मानक एवं प्रचालन मापदंड।

2.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

राज्य सरकार की परिवहन नीति

राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन नेटवर्क को विस्तृत करने के उद्देश्य से अनिवार्यताओं एवं प्राथमिकताओं की रूपरेखा वाले एक नीति प्रलेख को अधिसूचित किया (2004)। परिवहन नीति को आगे 2014 में राज्य के दुर्गम स्थानों तक संपर्क पहुंचाने, सड़क सुरक्षा के प्रति चिंता व्यक्त करने तथा प्रदूषण फैलाने वाले एवं असुरक्षित वाहनों के संचालन को निरूत्साहित करने के उद्देश्य से संशोधित किया गया। नीति के उपर्युक्त प्रावधानों की अनुपालना की जांच लेखापरीक्षा में की गई थी और इस पर की गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का वर्णन आगामी परिच्छेदों में किया गया है।

2.7 मार्ग विश्लेषण

2.7.1 मार्ग परमिटों का आवंटन एवं नए मार्गों की पहचान

राज्य सरकार, निगम तथा निजी प्रचालकों को समय-समय पर मार्ग परमिट प्रदान करती है। 2011-16 की अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा 185 मार्ग निजी प्रचालकों तथा 214 निगम को आवंटित किये गए हैं। लेखापरीक्षा में निम्नवत पाया गया:

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि निजी प्रचालकों को कौन से मार्ग आवंटित किये जाने हैं कोई मापदंड निर्धारित नहीं किया गया। लेखापरीक्षा में जिला मुख्यालयों और पर्यटक गंतव्यों के मध्य बसों की 1,658 आवृत्तियों का विश्लेषण किया गया जहां यात्रियों का अधिकतम आवागमन अपेक्षित है और

पाया कि निगम को पहले आयें पहले पायें के आधार पर निजी प्रचालकों की 1485 आवृत्तियों (90 प्रतिशत) की तुलना में मात्र 173 आवृत्तियां (10 प्रतिशत) आवंटित की गई थी।

(ख) परिवहन नीति, 2004 में यह प्रावधान था कि नए मार्गों की पहचान करने के लिए विस्तृत अध्ययन किए जायेंगे और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि निजी प्रचालक 60:40 के अनुपात में नए मार्गों के दिये जाने से पूर्व कुछ हद तक ग्रामीण/गैर-मितव्ययी प्रचालन बांट लेते हैं जहां आवंटित मार्ग का 60 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में आना चाहिए। तथापि, निजी प्रचालक गैर-मितव्ययी मार्गों के कुछ बोझ को उठाए यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र विद्यमान नहीं था क्योंकि राज्य सरकार द्वारा निगम और निजी प्रचालकों के मध्य ग्रामीण/गैर-मितव्ययी मार्गों के बंटवारे के लिए कोई प्रतिशतता निर्धारित नहीं की गई।

(ग) विभाग ने मार्ग परमिट के मूल्य की तार्किकता सुनिश्चित करने के लिए कोई मापदंड निर्धारित नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप बिना पारदर्शी कार्यविधि एवं खुली बोली प्रणाली अपनाए, प्रथम पांच वर्षों के लिए प्रतिवर्ष ₹ 300 प्रति मार्ग के तदर्थ मूल्य पर निजी प्रचालकों को आवंटित किए गए थे और इसके पश्चात् ₹ 250 प्रतिवर्ष पर नवीकृत कर दिये।

परिवहन निदेशालय ने आश्वासन दिया (नवम्बर 2016) कि संबंधित मार्ग के उचित मूल्य निर्धारण के पश्चात् तथा खुली बोली के माध्यम से मार्गों का आवंटन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, लाभप्रद मार्गों के साथ गैर-मितव्ययी मार्गों को एकत्र करने की संभाव्यता का पता लगाया जाएगा।

2.7.2 आवृत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना वाहनों को स्वीकृति देना

परिवहन नीति 2004 में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि सभी स्टेज कैरिज ऑपरेटर संबंधित ग्राम पंचायतों अथवा शहरी स्थानीय निकाय जो उनके मार्गों के प्रारंभिक और टर्मिनल बिंदुओं से संबंधित है इस प्रभाव के साथ कि वाहन मार्ग पर समय सारणी के अनुसार नियमित रूप से प्रचालित था, एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। यह आवृत्ति प्रमाण पत्र वाहन को स्वीकृति दिये जाने के समय प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। इस प्रमाण पत्र का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि निवासियों को परिवहन सेवाएं नियमित रूप से उपलब्ध करवाई जा रही है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि 2011-16 के दौरान मोटर वाहन निरीक्षकों द्वारा संबंधित पंचायतों/स्थानीय निकायों से अपेक्षित प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना 22,155 बसों को स्वीकृति दी गई थी।

परिवहन निदेशालय ने बताया (नवम्बर 2016) कि विभाग वाहनों को स्वीकृति दे रहा था क्योंकि उनके निष्पादन से सम्बंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि शिकायतों के प्राप्त न होने से स्वतः ही प्रचालकों द्वारा दी जा रही सेवा की नियमितता का आश्वासन प्राप्त नहीं होता और निर्धारित आवृत्ति प्रमाण पत्र के बिना वाहनों को स्वीकृति दिया जाना परिवहन नीति का उल्लंघन था तथा इसका उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ।

2.8 किराया नीति

किराया राज्य सरकार द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 67 के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुसार स्टेज कैरियरों द्वारा प्रभारित किराया मार्च 2010 से मार्च 2016 की अवधि के दौरान दो बार संशोधित किए गए। मार्च 2010 और अक्टूबर 2013

में संशोधित प्रति किलोमीटर किराया का विवरण निम्नवत तालिका 2.1 में दिया गया है:

तालिका 2.1: किराये में संशोधन


(किराया प्रति किलोमीटर पैसों में)

विवरण	08 मार्च 2010 को संशोधित किराया		01 अक्टूबर 2013 को संशोधित किराया		बढ़त प्रतिशतता	
	पहाड़ी	मैदान	पहाड़ी	मैदान	पहाड़ी	मैदान
साधारण बस के लिए	111	71.25	145	90	30.63	26.32
डीलक्स बस के लिए	222	142.5	180	110	(-)18.92	(-)22.81
वातानुकूलित बस सेवा के लिए	227.5	178.13	300	220	31.87	23.51

2013 में संशोधन के पश्चात् डीलक्स बसों का किराया पहाड़ियों और मैदानों में क्रमशः 18.92 प्रतिशत और 22.81 प्रतिशत घट गया जबकि साधारण और वातानुकूलित बसों का किराया पहाड़ियों में 30.63 तथा 31.87 प्रतिशत और मैदानों में 26.32 तथा 23.51 प्रतिशत बढ़ गया था। किराये में प्रति किलोमीटर बढ़त जो मार्च 2010 में लागत की तुलना में 45 प्रतिशत बढ़ गयी थी, प्रति किलोमीटर प्रचालन लागत को समाविष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं थी जैसाकि निम्नवत् ग्राफ 2.1 में दर्शाया गया है:

ग्राफ 2.1: प्रति किलोमीटर लागत तथा आय

(राशि ₹ में)



2005 में राज्य सरकार ने लागत एवं सब्सिडी में पारदर्शिता लाने के लिए लोक टैरिफ आयोग की स्थापना हेतु प्रस्ताव दिया था तथापि जिसे अभी तक स्थापित किया जाना था (नवम्बर 2016)।

परिवहन निदेशालय ने बताया (नवम्बर 2016) कि राज्य सरकार राज्य परिवहन उपक्रम तथा निजी प्रचालकों दोनों की प्रचालन लागत को ध्यान में रखते हुए किराया निर्धारित करती है। तथ्य यह रहा है कि एक स्वतंत्र टैरिफ आयोग की स्थापना एक पारदर्शी तरीके से सभी आर्थिक कारकों के साथ-साथ सामाजिक दायित्वों को ध्यान में रखते हुए किराये के निर्धारण से सम्बंधित मामलों को उठाए और निगम एवं निजी प्रचालकों की सेवाओं की लागत के मध्य असंतुलन को कम कर सके।

2.9 प्रदूषण नियंत्रण

2.9.1 प्रदूषण जांच केन्द्रों का प्रमाणीकरण तथा अनुश्रवण

परिवहन नीति, 2004 तथा मोटर वाहन नियमावली, 1989 निर्धारण करते हैं कि प्रत्येक पंजीकृत वाहन प्रथम पंजीकरण की तिथि से एक वर्ष की अवधि के पश्चात् प्राधिकृत अधिकरणों द्वारा जारी 'नियंत्रणाधीन प्रदूषण' प्रमाण पत्र रखेगा। डीजल वाहनों के मामले में इस प्रकार के प्रमाण पत्र की वैधता तीन महीने और पेट्रोल वाहनों हेतु छः माह है।

राज्य सरकार ने राज्य में वाहनों के सभी प्रकार के उत्सर्जन को रोकने हेतु प्राधिकृत अभिकरणों द्वारा चलाए जा रहे प्रदूषण जांच केन्द्र की स्थापना एवं निगरानी हेतु प्रक्रिया अधिसूचित की थी (अक्टूबर 2007)। परिवहन विभाग द्वारा अनुरक्षित सॉफ्टवेयर में प्राधिकृत अभिकरणों द्वारा जारी नियंत्रणाधीन प्रदूषण प्रमाणपत्र से सम्बंधित डाटा इंटी के लिए एक पोर्टल उपलब्ध करवाया जाना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि परिवहन विभाग द्वारा पोर्टल की कोई रूपरेखा नहीं बनाई गई थी जिसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा में प्रदूषण की जांच करने वाले प्राधिकृत अभिकरण की कुशलता एवं प्रभावशीलता सुनिश्चित नहीं की जा सकी थी। प्रदूषण जांच केन्द्रों के उचित कार्यचालन की जांच करने हेतु कोई प्रणाली विद्यमान नहीं थी।

2.9.2 अपर्याप्त प्रदूषण रोकथाम अवसंरचना

परिवहन विभाग ने 31 मार्च 2016 तक पंजीकृत 11,75,510 वाहनों की प्रदूषण नियंत्रणाधीन प्रमाण पत्र की आवश्यकता पूर्ति हेतु राज्य में 88 निजी प्रदूषण जांच केन्द्र प्राधिकृत किये थे। इसे देखते हुए कि प्रत्येक प्रदूषण जांच केन्द्र ने एक वर्ष में 310 दिनों में एक दिन में सात घंटे निरंतर कार्य किया, मार्च 2016 को समाप्त विगत पांच वर्षों के दौरान ये प्रदूषण नियंत्रण केन्द्र, अनिवार्य कुल 126.82 लाख प्रदूषण नियंत्रणाधीन प्रमाण पत्रों के बदले 70 प्रतिशत कम अर्थात् 38 लाख प्रदूषण नियंत्रणाधीन प्रमाण पत्र (15 मिनट प्रत्येक प्रदूषण नियंत्रणाधीन प्रमाण पत्र) जारी कर सकते थे।

इसके अतिरिक्त, वाहनों की जांच किए जाने के अतिरिक्त यह जानने के लिए कि प्रत्येक वाहन द्वारा प्रदूषण नियंत्रणाधीन प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा रहा था, कोई तंत्र नहीं था। विभाग के पास केवल 24 धुआं मीटर, 25 गैस एनालाइजर तथा छः साउंड लेवल मीटर थे, जो नगण्य प्रदूषण रोकथाम अपेक्षाओं की पूर्ति कर सकते हैं।

इस प्रकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक वाहन ने प्रदूषण नियंत्रणाधीन प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है के लिए अपर्याप्त प्रदूषण जांच अवसंरचना के साथ-साथ किसी अनुश्रवण तंत्र का अभाव विभाग का वाहन प्रदूषण नियंत्रण के प्रति प्रतिबद्धता की कमी को इंगित करता है।

परिवहन निदेशालय ने वाहन प्रदूषण रोकने हेतु अवसंरचना की कमी और प्रदूषण नियंत्रण केन्द्रों के निष्पादन मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु किसी तरह के तंत्र की कमी को स्वीकार किया (नवम्बर 2016) तथा प्रदूषण नियंत्रण केन्द्रों के लिए ऑन लाईन पोर्टल उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया।

2.10 सड़क सुरक्षा

2.10.1 गति नियंत्रण उपकरणों का प्रतिष्ठापन न किया जाना

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में भारत सरकार के पथ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचित किया (अप्रैल 2015) कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 41 की उपधारा (4) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित और 01 अक्टूबर 2015 को अथवा इसके पश्चात् विनिर्मित प्रत्येक परिवहन वाहन विनिर्माता द्वारा 80 किलोमीटर प्रतिघंटा की पूर्व निर्धारित अधिकतम गति वाले गति नियंत्रक (गति नियंत्रण उपकरण अथवा गति नियंत्रण प्रक्रिया) से सुसज्जित एवं युक्त होगा। यह भी अनुबद्ध था कि “राज्य सरकार 01 अक्टूबर 2015 से पूर्व पंजीकृत वाहनों में इन उपकरणों का प्रतिष्ठापन सुनिश्चित करेगी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि 01 अक्टूबर 2015 से पहले 2,55,103 वाणिज्यिक वाहन पंजीकृत किये गये थे और उसके पश्चात् 9,801 वाहन पंजीकृत किए गए। राज्य सरकार ने न तो यह सत्यापित किया कि 01 अक्टूबर 2015 को अथवा इसके पश्चात् विनिर्मित वाहन ऐसे उपकरणों से युक्त हैं और न ही पथ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की उपर्युक्त अधिसूचना की अनुपालना में सवारियों एवं पदयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये 01 अक्टूबर 2015 से पूर्व पंजीकृत परिवहन वाहनों हेतु

ऐसी शर्तें ही सुनिश्चित की। राज्य में किसी भी परिवहन वाहन में गति नियंत्रक प्रतिष्ठापित नहीं किया गया था (नवम्बर 2016)।

निदेशक परिवहन ने बताया (नवम्बर 2016) कि इस संबंध में सितम्बर 2016 में अधिसूचना जारी कर गति नियंत्रकों के प्रतिष्ठापन की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है।

2.10.2 वाहन ट्रेकिंग प्रणाली का प्रतिष्ठापन न किया जाना

माननीय उच्च न्यायालय, शिमला ने आदेश दिया (नवम्बर 2012) कि 01 अप्रैल 2013 से हिमाचल प्रदेश राज्य में पंजीकृत सभी नए वाणिज्यिक वाहन, वाहन ट्रेकिंग प्रणाली से युक्त होने चाहिए। इसके अतिरिक्त सभी पुराने वाणिज्यिक वाहन जो पुनः पंजीयन/मार्ग परमिट/फिटनेस प्रमाणपत्र के पारित/नवीकरण के लिए लाए गए हैं ऐसे नवीकरण के समय वाहन ट्रेकिंग प्रणाली से भी युक्त होने चाहिए।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने पाया कि केवल निगम ने अपनी कुल 2,827 बसों में से 1,000 बसों में मार्च 2016 तक वाहन ट्रेकिंग प्रणाली प्रतिष्ठापित की थी। तथापि, अन्य बसों में वाहन ट्रेकिंग प्रणाली के प्रतिष्ठापन को सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है यद्यपि अप्रैल 2013 से मार्च 2016 के दौरान फिटनेस प्रमाण पत्र हेतु 17,812 बसें पास की गई थी।

निदेशक परिवहन ने बताया (नवम्बर 2016) कि वाहन ट्रेकिंग प्रणाली के प्रतिष्ठापन की प्रक्रिया आरम्भ की जा चुकी है और इसका प्रतिष्ठापन प्रत्येक वाहन के पासिंग के समय लागू किया जाएगा।

2.10.3 व्यपगत पंजीकरण/फिटनेस प्रमाण पत्र वाले वाहन

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 56 में प्रावधान है कि परिवहन वाहन का वैधतापूर्वक पंजीकरण तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि यह सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लेता। धारा 41(7) में प्रावधान है कि परिवहन वाहन के अलावा, मोटर वाहन के संबंध में पंजीकरण प्रमाण पत्र इसके पंजीकरण की तिथि से 15 वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा।

राज्य में मार्च 2016 तक 11,75,510 वाहन पंजीकृत किये गए थे। आंकड़ों⁸ के विश्लेषण में पाया गया कि 41,476 परिवहन वाहन और 79,932 गैर-परिवहन वाहन जो 15 वर्ष से अधिक के हो गए हैं उनके फिटनेस प्रमाणपत्र समाप्त हो चुके थे। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि न तो खराब वाहनों की कोई प्रबंधन सूचना प्रणाली रिपोर्ट सिस्टम द्वारा उत्सर्जित की गई थी और न ही विभाग के पास ऐसे वाहनों जो सड़क सुरक्षा के लिए जोखिम होने के साथ-साथ प्रदूषण को बढ़ा रहे थे, उनपर निगरानी रखने हेतु कोई अनुश्रवण तंत्र था।

अतः न्यायिक दिशा-निर्देशों के साथ-साथ वाहन ट्रेकिंग प्रणालियों और रफ्तार नियंत्रक यंत्रों के अधिष्ठापन से सम्बंधित मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के कमजोर प्रवर्तन और प्रभावी अनुश्रवण की कमी से राज्य में सड़क सुरक्षा का अनुरक्षण और प्रदूषण मानकों को प्रभावित किया।

हिमाचल पथ परिवहन निगम का कार्यचालन

2.11 निगम की वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम

2.11.1 वित्तीय स्थिति

2015-16 तक पांच वर्षों के दौरान निगम की समेकित वित्तीय स्थिति परिशिष्ट 2.1 में दी गई है। 2011-12 की संचित हानियां ₹ 653.45 करोड़ से 2015-16 में बढ़कर ₹ 1018.64 करोड़ हो गई

⁸ विभाग द्वारा प्रयोग में लाये गये वाहन एप्लिकेशन द्वारा प्राप्त आंकड़ा राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा आपूरित था।

थी। संचित हानियों की प्रतिशतता में वृद्धि 56 प्रतिशत से अधिक थी। निगम का निवल मूल्य⁹ 2011-12 से पहले ही खत्म (ईरोडेड) हो गये थे।

2.11.2 कार्यचालन परिणाम

प्रचालन राजस्व/व्यय, निवल अधिशेष/हानि और प्रचालन की प्रति किलोमीटर लागत/आय जैसे समेकित क्रियाशील परिणाम परिशिष्ट 2.2 में दिये गए हैं। 2011-12 से 2015-16 के दौरान प्रति किलोमीटर आय ₹ 29.12 से ₹ 49.51 बढ़ गई थी जबकि प्रति किलोमीटर लागत ₹ 34.00 से ₹ 49.42 बढ़ गई। प्रति किलोमीटर निवल हानि 2011-12 के दौरान ₹ 4.88 से बढ़कर 2014-15 तक ₹ 9.62 हो गई। प्रति किलोमीटर हानि में वृद्धि प्रमुख रूप से कार्मिक लागत में वृद्धि और 2015 तक नियमित रूप से टैरिफ में संशोधन न होने के कारण था।

प्रबंधन ने बताया (अक्टूबर 2016) कि राज्य सरकार द्वारा किराये में किया गया संशोधन प्रचालन लागत के अनुरूप नहीं था।

2.12 प्रचालन निष्पादन

2015-16 में समाप्त पांच वर्षों के लिए निगम का प्रचालन निष्पादन परिशिष्ट 2.3 में दिया गया है। प्रचालन निष्पादन, बेड़ा और क्षमता की उपयोगिता, वाहन उत्पादकता, भार कारक, ईंधन लागत, वाहनों की मुरम्मत एवं रख-रखाव और जनशक्ति लागत जैसे विभिन्न प्रचालन मापदण्डों के आधार पर मूल्यांकित किया गया था।

2.13 लोक परिवहन में निगम की हिस्सेदारी

निगम तथा निजी प्रचालकों के मध्य यात्री यातायात की हिस्सेदारी की प्रतिशतता और मार्च 2016 को समाप्त विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य में लोक परिवहन में वृद्धि निम्नवत् तालिका 2.2 में प्रदत्त है :

तालिका 2.2 लोक परिवहन की हिस्सेदारी

(संख्या में)

क्रमांक	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1	किराये वाली बसों सहित निगम की कुल बसें	2048	2089	2252	2681	2827
2	निजी स्टैज कैरिजें	3128	3245	3299	3345	3345
3	लोक परिवहन हेतु कुल बसें	5176	5334	5551	6026	6172
4	निगम की हिस्सेदारी प्रतिशतता	39.57	39.16	40.57	44.49	45.80
5	निजी प्रचालकों की हिस्सेदारी प्रतिशतता	60.43	60.84	59.43	55.51	54.20
6	आकलित जनसंख्या (लाख में)	68.57	69.44	70.33	71.23	72.90
7	वाहन घनत्व प्रति एक लाख जनसंख्या ¹⁰	75.48	76.81	78.93	84.60	84.66
8	निगम की बसों का वाहन घनत्व प्रति एक लाख जनसंख्या	29.87	30.08	32.02	37.64	38.78
9	निजी बसों का वाहन घनत्व प्रति एक लाख जनसंख्या	45.61	46.73	46.91	46.96	45.88

(निगम और परिवहन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करवाये गए आंकड़े)

यद्यपि निगम की हिस्सेदारी 39.57 से 45.80 प्रतिशत बढ़ गई तो भी निजी प्रचालकों का परिवहन सेवाओं पर बहुतायत में नियंत्रण है। मार्च 2016 को समाप्त विगत पांच वर्षों के दौरान निगम की हिस्सेदारी में सुधार निजी प्रचालकों द्वारा डाली गई 217 बसों की तुलना में इसके बेड़े में 779 बसें शामिल किये जाने के कारण थी। इसके अतिरिक्त, निगम की प्रतिवर्ष प्रचालित प्रभावी किलोमीटर

⁹ भुगतान की गई पूंजी + मुक्त संचय - समेकित हानियां- अस्थगित राजस्व व्यय

¹⁰ कुल बसें / आकलित जनसंख्या

सेवाओं में भी सुधारात्मक प्रवृत्ति पाई गई जो मार्च 2016 में समाप्त विगत पांच वर्षों के दौरान 1627.70 लाख किलोमीटर से 1853.63 लाख किलोमीटर बढ़ गई।

2.14 प्रचालन में कुशलता एवं मितव्ययिता


परिचालन में कुशलता एवं मितव्ययिता, बेड़े के अधिकतम उपयोग, वाहनों की उत्पादनशीलता, भारकारक, उचित मार्ग आयोजना और निर्धारित किलोमीटरों की उपलब्धि पर निर्भर करती है।

2.14.1 युक्तिसंगत सड़क परिवहन प्रणाली

भारत सरकार ने ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम/मोबाइल आधारित वाहन ट्रैकिंग सिस्टम के लिए ग्लोबल सिस्टम जैसा सूचना प्रौद्योगिकियों को अपनाते हुए जन परिवहन प्रणाली सबल बनाने हेतु एक स्कीम प्रारम्भ की (मार्च 2010)। तदनुसार, निगम ने प्रणाली के क्रियान्वयन, प्रचालन और अनुरक्षण का कार्य ₹ 4.90 करोड़ की लागत पर एक फर्म¹¹ को अधिनिर्णीत किया (अक्टूबर 2012)। कार्य मार्च 2016 में पूर्ण हो गया था।

मार्च 2016 में चरण-I के पूर्ण होने के पश्चात् अप्रैल से जून 2016 की अवधि के लिए वाहन ट्रैकिंग सिस्टम से उत्सर्जित आंकड़े निम्नवत् ग्राफ 2.2 में दर्शाए गये हैं।

ग्राफ 2.2: अप्रैल से जून 2016 तक की अवधि के लिए वाहन मार्गन तंत्र से प्राप्त आंकड़े



अप्रैल 2016 से जून 2016 के दौरान विभिन्न मार्गों पर चलाई जा रही बसों की कुल 55,353 निरंतरताओं में से 8,913 बार बसों का निर्गमन विलंबित था, 9,685 बार यात्रा अपूर्ण थी, 5,587 मामलों में प्रणाली में निर्धारित 60 किलोमीटर प्रतिघंटा के मापदण्डानुसार बसों का अधिक रफ्तार से चलाया जाना, गलत मार्गों पर बसों के चलाए जाने के 15 मामले प्रतिवेदित किये गए थे और इसके अतिरिक्त 17,678 मामलों में आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जहां प्रणाली, कमजोर प्रचालन नियंत्रणों और शीघ्र कार्रवाई करने वाले क्षेत्रों को उजागर करने वाले प्रतिवेदनों को उत्सर्जित कर रही थी, वहीं प्रबंधन द्वारा पाई गई कमियों को सुधारने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

¹¹ मैसर्स आई0एल0 तथा एफ0एस0 टेक्नॉलाजी लिमिटेड।

प्रबंधन ने बताया (अक्टूबर 2016) कि प्रणाली द्वारा उत्सर्जित प्रतिवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए क्षेत्रीय ईकाइयों को अनुदेश दिये गए थे।

2.14.2 बेड़े का उपयोग

बेड़े का उपयोग कुल उपलब्ध बेड़े में से सड़क पर चलायमान निवल बेड़े द्वारा दर्शाया जाता है। मार्च 2016 को समाप्त विगत पांच वर्षों के दौरान निगम के बेड़े के उपयोग की प्रतिशतता 80 प्रतिशत और 98 प्रतिशत के मध्य था। तथापि, 92 प्रतिशत के अखिल भारतीय औसत की तुलना में यह 2012-13 तक अधिक था किंतु 2013-14 से 2015-16 के दौरान अखिल भारतीय औसत से यह कम था। लेखापरीक्षा में विश्लेषित बेड़े के कम उपयोग में लाए जाने वाले कारणों में प्रचालन स्टॉफ की कमी और निर्धारित किलोमीटरों को निरस्त किया जाना था।

2.14.3 वाहन उत्पादकता

वाहन उत्पादकता एक वर्ष में प्रतिदिन प्रत्येक बस द्वारा चले औसत किलोमीटरों से संदर्भित है। कुल बेड़े से 21.30 प्रतिशत (2011-12 में 435 बसें) से 8.32 प्रतिशत (2015-16 में 232 बसें) तक के वैधता समाप्त अवधि वाले बेड़े की प्रतिशतता में कटौती करने के बावजूद उत्पादकता 2011-12 के 222 किलोमीटरों से 2015-16 में घटकर 184 किलोमीटर रह गई। वाहन उत्पादकता की अखिल भारतीय औसत की तुलना में निगम द्वारा अर्जित वाहन उत्पादकता 2011-16 के दौरान 16 से 54 किलोमीटर कम थी जिससे निगम 2011-16 के दौरान ₹ 313.29 करोड़ की महत्वपूर्ण अतिरिक्त यातायात राजस्व¹² आय से वंचित रहा।

प्रबंधन ने बेड़े के तथा वाहन उत्पादकता के कम उपयोग के लिए प्रचालन स्टॉफ को कमी को कारण माना (अक्टूबर 2016) किंतु साथ में बताया कि भर्ती प्रक्रियाधीन थी।

2.15 क्षमता का उपयोग

2.15.1 निर्धारित किलोमीटर लक्ष्य से कम उपलब्धि होना

प्रचालनों की एक समीक्षा के दौरान पाया कि निर्धारित किलोमीटर, बसों की पर्याप्त संख्या की अनुपलब्धता प्रचालन स्टॉफ की कमी और अन्य कारक जैसे बसों का खराब होना, दुर्घटनाओं, देर से आना और हड़तालों के कारण प्रमुख रूप से पूर्णतया प्रचालित नहीं किये गए थे। 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान निगम द्वारा पुरानी बसों और स्टॉफ की कमी के कारण 293.36 लाख किलोमीटर निरस्त कर दिये गये थे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 25.92 करोड़ के सम्भावित राजस्व की हानि हुई।

2.15.2 निष्क्रिय किलोमीटर

निष्क्रिय किलोमीटर सकल किलोमीटर और प्रभावी किलोमीटर के मध्य का अंतर है जो बस द्वारा डिपो/कार्यशाला से बस स्टैंड तक की दूरी तय करने से, संबंधित है। निगम ने निष्क्रिय किलोमीटर के लिए कोई मापदंड निर्धारित नहीं किया था। 2011-16 की अवधि के दौरान निगम का कुल निष्क्रिय किलोमीटर 129.30 लाख किलोमीटर था और 1.38 प्रतिशत तथा 1.60 प्रतिशत के मध्य था।

¹² अतिरिक्त यातायात राजस्व= (वाहन उत्पादकता का अखिल भारतीय औसत लक्ष्य किलोमीटर में - वास्तव में अर्जित वाहन उत्पादकता किलोमीटर में) X प्रभावी किलोमीटर के अनुसार सड़क पर बसों की संख्या X प्रति किलोमीटर यातायात राजस्व X 365 दिन

आठ इकाइयों¹³ से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि आई0 एस0 बी0 टी0, दिल्ली से जगतपुर जहां बसें पार्क की थी (आई0एस0बी0टी0 से 10 किलोमीटर दूर) तक निष्क्रिय किलोमीटर के लेखाकरण में कोई एकरूपता नहीं थी। आई0 एस0 बी0 टी0, दिल्ली से जगतपुर तक के 20 किलोमीटर आने जाने की वास्तविक दूरी के प्रति विभिन्न क्षेत्रों की बसों ने उनसे संबंधित बसों की लोगबुकों में 50, 40, 30, 24 तथा 20 किलोमीटर निष्क्रिय किलोमीटर अभिलिखित करवाए थे। अतः आठ इकाइयों द्वारा लोगबुकों में उसी दूरी हेतु उनकी बसों की विभिन्न निष्क्रिय दूरी अभिलिखित करवाये जाने के कारण मार्च 2016 को समाप्त विगत पांच वर्षों के दौरान अतिरिक्त निष्क्रिय दूरी हेतु ₹ 2.14 करोड़ की हानि हुई।

प्रबंधन ने बताया (अक्टूबर 2016) कि स्टॉफ की कमी के कारण निर्धारित किलोमीटर प्राप्त नहीं किये जा सके थे। दिल्ली के निष्क्रिय किलोमीटरों के बारे में यह बताया गया था कि यह डिपो स्तर पर निर्धारित किये गये थे और अंतर व्यस्त घंटों के दौरान बसों को लंबे मार्गों पर अपवर्तन किये जाने के कारण था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिल्ली से संबंधित निष्क्रिय किलोमीटर इकाइयों द्वारा रोजमर्रा में अलग-अलग रूप में अभिलेखित किए गए थे न कि कभी-कभी बसों के अपवर्तन के कारण।

2.16 ईंधन लागत

ईंधन एक महत्वपूर्ण लागत अंग है और जो मार्च 2016 को समाप्त विगत पांच वर्षों के दौरान हुए कुल व्यय का 29.64 प्रतिशत है। ईंधन लागत के नियंत्रण का उसकी उत्पादकता के साथ सीधा संबंध होता है। निगम ने प्रति किलोमीटर ईंधन की खपत हेतु कोई मानक निश्चित नहीं किए थे। निगम द्वारा प्राप्त की गई प्रति लीटर माइलेज पहाड़ी क्षेत्रों हेतु 4.58 किलोमीटर प्रति लीटर, अखिल भारतीय औसत की तुलना में सदा ही कम रही। अखिल भारतीय औसत के साथ ईंधन खपत की तुलना पर निगम ने 2011-12 से 2015-16 के दौरान 498.38 लाख लीटर ईंधन की अधिक खपत की थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 240.02 करोड़ का अधिक व्यय हुआ (₹ 48.16 प्रति लीटर की औसत दर पर)।

प्रबंधन ने बताया (अक्टूबर 2016) कि 2015-16 के दौरान लागत में ₹ 6.86 प्रति लीटर तक की कमी हुई और निगम ने वर्ष के दौरान ₹ 9 करोड़ की राशि बचा ली। लेखापरीक्षा में पाया गया कि बचत डीजल के बाजार मूल्य में कमी के कारण थी, न कि परिचालन लागत में निगम के प्रयासों के कारण थी।

2.17 वाहनों का रख-रखाव

2.17.1 मरम्मत एवं रख-रखाव

प्रति बस मरम्मत एवं रख-रखाव व्यय 2013-14 में ₹ 5.14 लाख प्रति वर्ष से घटकर 2015-16 में ₹ 4.37 लाख प्रति वर्ष रह गया, कमी मुख्यतः ओवरएज बसों के प्रतिशत में कमी के कारण थी।

2.17.2 ब्रेकडाउन

पहाड़ी क्षेत्रों हेतु अखिल भारतीय औसत 0.10 प्रति 10,000 प्रभावी किलोमीटर के ब्रेकडाउन के प्रति 2011-16 की अवधि के दौरान वास्तविक ब्रेकडाउन प्रति 10,000 किलोमीटर 0.12 (2014) और 0.25 (4,631) के मध्य रहे, जो अधिक थे। सात चयनित डिपुओं के अभिलेखों की लेखापरीक्षा

¹³ चंबा, देहरा, मंडी, नालागढ़, रामपुर, रिकांग पिओ, रोहडू और तारा देवी

संवीक्षा में पाया गया कि ब्रेकडाउन के मुख्य कारण ईंजनों की विफलता, क्लच प्लेटों में खराबी, स्टार्ट होने में समस्या और आवधिक रख-रखाव न होने के कारण शॉफ्ट का टूटना आदि थे।

मरम्मत एवं रख-रखाव की उच्च लागत तथा ब्रेकडाउन से क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और दूसरी ओर हानियों का संग्रह बढ़ गया।

2.18 किराया रियायत/छूट के दावे तथा उनकी वसूलियां

राज्य सरकार आवधिक रूप से सोसाइटी के विभिन्न वर्गों हेतु छूट तथा मुफ्त पासों की घोषणा करती है, इसके अतिरिक्त अपनी बसों का दूरस्थ एवं जनजातीय क्षेत्रों में अलाभकारी मार्गों पर परिचालन करती है। राज्य सरकार सहायता अनुदान देकर निगम की क्षतिपूर्ति करती है।

निगम ने मुफ्त/रियायती यात्रा एवं सेवाएं प्राप्त कर रहे लाभार्थियों के उचित अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया था और राज्य सरकार के पास अपने दावे मात्र आकलन आधार पर प्रस्तुत किये थे। मार्च 2016 तक विगत पांच वर्षों के दौरान, निगम ने ₹ 1111.66 करोड़ के लिए दावे दायर किये थे जिसमें से राज्य सरकार ने मात्र ₹ 895 करोड़ लौटाए थे तथा ₹ 216.66 करोड़ की राशि वसूली के लिए शेष थी।

2.19 कारोबार मॉडल का पुनर्संगठन

विश्वसनीय परिवहन सेवाओं के निधियन हेतु वित्तीय संसाधनों के संवर्धन हेतु निगम के लिए यह अनिवार्य है कि वह इसके प्रचालनों से निपटने के लिए गैर-यातायात राजस्व संसाधनों की खोज करें।

फरवरी 2013 में निगम ने अपनी बसों¹⁴ पर तीन वर्षों की अवधि के लिए विज्ञापन के प्रकाशन हेतु बोलियां आमंत्रित की थी। बोलियों के मूल्यांकन के पश्चात् निगम ने 1,918 बसों पर विज्ञापन प्रकाशित करने का ठेका 01 जुलाई 2013 से प्रभावी तीन वर्षों की अवधि हेतु एक अभिकरण को दिया था (मई 2013)। अनुबंध के अनुसार यदि संविदाकार तीन लगातार महीनों हेतु ब्याज सहित मासिक किस्त जमा करवाने में विफल रहता है तो अनुबंध स्वतः रद्द हो जायेगा और निगम के पास प्रतिभूति जमा की जब्ती का अधिकार होगा।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि संविदाकार मई 2014 से मासिक किस्तों के भुगतान में अनियमित था और मार्च 2015 से आगे उसने किसी किस्त का भुगतान नहीं किया था। तीन लगातार किस्तों में संविदाकार की चूक के बाद मई 2015 में कम्पनी के पास तुरन्त ठेके को रद्द करने तथा प्रतिभूति जमाओं की जब्ती द्वारा भुगतान नहीं की गई राशि के समायोजन का विकल्प था। तथापि निगम ने अक्टूबर 2015 में ठेका रद्द किया, तब तक कुल वसूली योग्य राशि ₹ 0.78 करोड़ तक बढ़ गई थी। उस समय संविदाकार की ₹ 0.48 करोड़ की प्रतिभूति जमाओं का समायोजन करने के पश्चात् भी ₹ 0.30 करोड़ की वसूली शेष रही।

प्रबंधन ने बताया (अक्टूबर 2016) कि अभिकरण को बकायों के निपटान/अदायगी का अवसर दिया गया था, लेकिन व्यर्थ रहा।

¹⁴ 1843 सामान्य तथा 75 जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत बसें

2.20 जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत बसें

भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय ने जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के अंतर्गत राज्य के लिए 800 बसों की स्वीकृति दी थी। 13 कलस्टर्स/योजना क्षेत्रों में इन बसों के परिचालन हेतु राज्य सरकार ने एक विशेष उद्देश्य वाहन (एस.पी.वी.)¹⁵ गठित किया था। चूंकि एस.पी.वी. के पास इन बसों के परिचालन हेतु परिचालनात्मक स्टॉफ तथा अन्य लॉजिस्टिक सहायता नहीं थी, एस.पी.वी. ने इन बसों के परिचालन एवं रख-रखाव हेतु निगम के साथ एक समझौता किया था (मार्च 2015)। निगम ने 2014-16 की अवधि के दौरान जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत 781 बसें उनकी लागत केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के मध्य क्रमशः 90:10 के अनुपात में शेयर करने के आधार पर प्राप्त की थीं। ये बसें निगम के 23 डिपुओं को आवंटित की गई थीं।

2.20.1 राज्य सरकार से प्रचालनात्मक घाटों का दावा न करना

जवाहर लाल राष्ट्रीय नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत बसों के परिचालन हेतु खण्ड 5 (5.2) के अनुसार एस.पी.वी. और निगम के बीच हुए समझौते के अनुसार इन बसों के परिचालनात्मक घाटों को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना था और यदि किसी भी चरण पर परिचालन अमितव्ययी हो जाये तो राज्य सरकार द्वारा कमी दूर करने के लिए निगम को निधियां उपलब्ध करवाई जानी थी। समझौते में यह प्रावधान फरवरी 2014 में राज्य सरकार की सहमति से डाला गया था।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि निगम को इन बसों के परिचालन पर 2014-16 के दौरान ₹ 3.28 करोड़ का घाटा उठाना पड़ा। तथापि, निगम कमी को पूरा करने व निधियों को अवमुक्त करने में राज्य सरकार के साथ मामला उठाने में असफल रहा।

2.20.2 सहायक अवसंरचना की स्थापना न करना

केन्द्रीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा सहायक अवसंरचना जैसे जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत बसों के परिचालन एवं रख-रखाव हेतु टर्मिनलों, डिपूओं/वर्कशॉपों, नियन्त्रण केन्द्र हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन हेतु ₹ 63 करोड़ का (केन्द्र का अंश: ₹ 56.70 करोड़ तथा राज्य का अंश: ₹ 6.30 करोड़) अनुमोदन किया गया था (अक्टूबर 2013)। यह अनुमोदन जवाहर लाल राष्ट्रीय नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत दिशा-निर्देशों की इस शर्त पर आधारित था कि डिपु भूमि/डिपु संबंधित एस.पी.वी. को हस्तांतरित कर दिया गया है। तथापि, भूमि के स्वामित्व का हस्तांतरण न किया जाना, निविदा आमंत्रण सूचना जारी करने में विलम्ब और तदनुसार सहायक अवसंरचना के निर्माण के लिए कार्यों को अधिनिर्णीत करने में हुए विलम्ब के कारण ₹ 63 करोड़ विशेष उद्देश्य वाहन के लिए अवमुक्त नहीं किये गए। तदनुसार अनुदान व्यपगत हो गया। सहायक अवसंरचना की स्थापना नहीं किये जाने से जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत बसों का उचित रख-रखाव प्रभावित होगा जिससे प्रचालनात्मक अकुशलताएं एवं हानियां होंगी।

¹⁵ हिमाचल प्रदेश बस स्टैण्ड प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अंतर्गत गठित किया गया हिमाचल प्रदेश शहरी तथा बस स्टैण्ड प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण

2.20.3 जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अन्तर्गत खरीदी गई बसों का कम प्रयोग

नौ इकाइयों¹⁶ में फरवरी 2015 से मार्च 2016 के दौरान जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत 28 से 56 बसें परिचालन स्टॉफ तथा रूट परमिटों की कमी के कारण बेकार खड़ी थी। इसके परिणामस्वरूप 19,740 बस दिवसों की हानि हुई जिससे निगम को ₹ 3.64 करोड़¹⁷ का भारी राजस्व घाटा हुआ।

प्रबंधन ने बताया (अक्टूबर 2016) कि समय के साथ परिचालनात्मक हानियों का दावा राज्य सरकार से किया जाएगा।

2.21 आंतरिक नियन्त्रण

आंतरिक लेखापरीक्षा

निगम की लेखा नियमावली में प्रावधान है कि निगम के लेखा प्रत्येक इकाई/उप इकाई से संबद्ध आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा संचालित समवर्ती लेखापरीक्षा का विषय है। आगे, चलायमान (पेरीपेटेटिक) आंतरिक लेखापरीक्षा दल भी साल में दो बार प्रत्येक इकाई के लेखों की लेखापरीक्षा संचालित करता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निगम ने 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान समवर्ती लेखापरीक्षा संचालित नहीं की थी। पेरीपेटेटिक आंतरिक लेखापरीक्षा के सम्बंध में, 2011-16 की अवधि के दौरान संचालित लेखापरीक्षा का ब्यौरा नीचे तालिका 2.3 में दिया गया है:

तालिका 2.3: 2011-16 की अवधि के दौरान संचालित आंतरिक लेखापरीक्षा का ब्यौरा

वर्ष	इकाईयों की संख्या	संचालित की जाने वाली लेखापरीक्षा की संख्या	वास्तविक रूप से की गई लेखापरीक्षा की संख्या	लेखापरीक्षा में कमी	कमी की प्रतिशतता
2011-12	32	64	13	51	79
2012-13	32	64	7	57	89
2013-14	32	64	6	58	90
2014-15	32	64	16	48	75
2015-16	35	70	शून्य	70	100

आंतरिक लेखापरीक्षा के संचालन में 75 से 100 प्रतिशत के मध्य कमी थी। निर्धारित अवधि के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा का संचालन न करने के कारण 2015-16 में केवल निगम द्वारा संचालित विशेष लेखापरीक्षा के दौरान ऊना इकाई पर ₹ 42.63 लाख मूल्य के टायरों के दुर्विनियोजन (2013-15), कुल्लू इकाई पर ₹ 6.62 लाख मूल्य के डीजल के 14,080 लीटर के गबन (2009-14), चम्बा इकाई द्वारा ₹ 11.05 लाख के पेंशन लाभों का दोगुणा भुगतान (अक्टूबर 2015) और रामपुर तथा सोलन इकाइयों में तीन से 21 महीनों की अवधि हेतु 15,858 लीटर डीजल का उपयोग न करने के कारण ₹ 7.01 लाख के अवरोधन (2012-16) के मामले पाए गए।

¹⁶ बिलासपुर, देहरा, धर्मशाला, हमीरपुर, नालागढ़, परवाणू, पठानकोट, सोलन तथा सुन्दरनगर

¹⁷ 19,740 बस दिवस X 216 किलोमीटर का वाहन उत्पादकता प्रति दिन प्रति बस X ₹ 8.53 प्रति किलोमीटर औसत योगदान का औसत।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2016) कि लेखापरीक्षा स्टॉफ की अन्य कार्यों पर तैनाती तथा स्टॉफ की कमी के कारण समवर्ती आंतरिक लेखापरीक्षा/पेरीपेटिटिक आंतरिक लेखापरीक्षा संचालित नहीं की जा सकी।

निष्कर्ष

जहां 2011-12 से 2015-16 के दौरान निगम के यात्री यातायात की हिस्सेदारी प्रतिशतता में 39.57 प्रतिशत से 45.80 प्रतिशत का सुधार हुआ, कमजोर प्रचालनात्मक कुशलताएं एवं उत्पादकता, किराया ढांचा जो प्रचालनात्मक व्ययों के साथ पर्याप्त रूप से मेल नहीं खाता और गैर मितव्ययी मार्गों के साथ लाभप्रद मार्गों के मिलाए जाने को उत्साहित करने के लिए निगम और निजी प्रचालनों के मध्य आवंटन से पूर्व मार्ग विश्लेषण के लिए तंत्र की कमी के परिणामस्वरूप निगम को निरंतर हानियां हुईं। सड़क सुरक्षा एवं उत्सर्जन मानकों से सम्बंधित सांविधिक प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए तंत्रों की कमी थी। निगम का पहाड़ी राज्यों से सम्बंधित प्रचालनात्मक निष्पादन, वाहन उत्पादकता, अनुसूचित किलोमीटरों की प्राप्ति और ईंधन लागतों सम्बंधित औसत अखिल भारतीय औसत से कम था जिसके परिणामस्वरूप निगम ₹ 579.23 करोड़ के सम्भावित राजस्व से वंचित रहा।

सिफारिशें

लेखापरीक्षा निष्कर्षों के दृष्टिगत यह सिफारिश की जाती है कि सरकार और निगम:

- निगम व निजी प्रचालकों दोनों द्वारा परिवहन सेवाओं के सत्त प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए गैर-मितव्ययी मार्गों का निगम व निजी प्रचालकों के मध्य बराबर आवंटन के लिए मापदण्ड निर्धारित करें;
- पारदर्शी प्रक्रियाओं एवं संस्थागत तंत्रों को अपनाते हुए मार्ग परमितों का मूल्य निर्धारित करें;
- पर्याप्त अवसंरचना एवं प्रदूषण नियंत्रण केन्द्रों की कार्यपद्धति के सख्त अनुश्रवण को विकसित करते हुए सड़क सुरक्षा और वाहन उत्सर्जनों से सम्बंधित सांविधिक प्रावधानों का कड़ा प्रवर्तन सुनिश्चित करें;
- बेड़े की उपयोगिता एवं वाहन उत्पादकता में सुधार के लिए विशेष उपायों की संवीक्षा और पहचान करें; और
- यह सुनिश्चित करते हुए कि आंतरिक लेखापरीक्षा स्टॉफ को निर्धारित अवधियों के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यों के लिए उपयोग में लाया जा रहा है, आंतरिक नियंत्रण में सुधार करें।

अध्याय-III
लेन-देन की लेखापरीक्षा

अध्याय-III

लेन-देन की लेखापरीक्षा

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित

3.1 पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा

निश्चित समय के भीतर पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम निर्माण कार्यों के पूरा न होने के परिणामस्वरूप परिकल्पित हानि को कम करने के लक्ष्यों की अनुपलब्धि के कारण ₹ 73.06 करोड़ के सम्भावित राजस्व की हानि हुई, इसके अतिरिक्त ₹ 17.92 करोड़ के अनुदान की जब्ती हुई जोकि भारत सरकार के अनुमोदनानुसार निश्चित समय के भीतर परियोजनाओं की सफल पूर्णता पर स्वीकार्य थी। इसके अतिरिक्त, कम्पनी संविदाकारों से प्रवेश कर काटने में विफल रही और कम्पनी को ब्याज तथा पेनल्टी सहित ₹ 8.64 करोड़ जमा करवाने होंगे जैसा कि कर प्राधिकारियों द्वारा मांग की गई थी। कम्पनी ने संविदा करारों के अनुसार पी0ई0आर0टी0 चार्ट और निष्पादन बैंक प्रत्याभूति के प्रस्तुत न किये जाने जैसी अपेक्षित औपचारिकताओं के पूर्ण न होने के आधार पर संविदाकारों से ₹ 2.43 करोड़ की पेनल्टी वसूल नहीं की और संविदाकारों द्वारा सम्बद्ध कार्यों को साथ-साथ न किये जाने से ₹ 8.87 करोड़ का निरर्थक व्यय हुआ।

3.1.1 परिचय

भारत सरकार ने XI योजना (2007-12) हेतु केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के रूप में जुलाई 2008 में पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम आरम्भ किया। विद्युत वित्त निगम को प्रस्तुत किये गये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों के अनुसार राज्य के 14 शहर निधियन के लिए पात्र पाए गये थे। चौदह में से छः¹ शहर लेखापरीक्षा हेतु चुने गये थे। स्कीम को दो भागों में लागू किया जाना था; भाग-क में बेस लाईन डाटा सिस्टम की स्थापना, ऊर्जा लेखाकरण/लेखापरीक्षा हेतु सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग तथा सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उपभोक्ता सेवा केन्द्र की स्थापना समाविष्ट हैं और भाग-ख में उप-संचरण एवं वितरण तंत्र का सुदृढीकरण तथा उनका अद्यतनीकरण समाविष्ट है।

2013-14 से 2015-16 की अवधि के लिए पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा अप्रैल 2016 से जुलाई 2016 के मध्य संचालित की गई थी।

¹ बद्दी, धर्मशाला, पांवटा साहिब, शिमला, सुन्दरनगर तथा योल

3.1.2 वित्तीय निष्पादन

कम्पनी द्वारा स्कीम के प्रति प्राप्त की गई निधियां तथा उनके प्रयोग का ब्यौरा नीचे तालिका 3.1 में दिया गया है:

तालिका 3.1: स्कीमों का निधियन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अथ शेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	उपलब्ध निधियां	वर्ष के दौरान व्यय	उपलब्ध निधियों का व्यय प्रतिशत	अंत शेष
2009-10	-	24.32	24.32	-	शून्य	24.32
2010-11	24.32	101.25	125.57	1.21	0.96	124.36
2011-12	124.36	-	124.36	24.13	19.40	100.23
2012-13	100.23	29.59	129.82	30.53	23.52	99.29
2013-14	99.29	0	99.29	79.77	80.34	19.52
2014-15	19.52	40.70	60.22	63.55	105.53	(-)3.33
2015-16	(-)3.33	54.33	51.00	64.98	127.41	(-)13.98
योग		250.19		264.17		

2009-10 के दौरान स्कीम के प्रति कोई राशि खर्च नहीं की गई थी और 2010-11 के दौरान मात्र 0.96 प्रतिशत खर्च किया गया था। अनुवर्ती वर्षों में उपलब्ध निधियों के प्रति प्रयुक्ति में वृद्धि हुई और 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान प्रयुक्ति क्रमशः 105.53 एवं 127.41 प्रतिशत थी। कम्पनी ने विद्युत मंत्रालय से प्राप्त अप्रयुक्त निधियों पर ₹ 27.98 करोड़ ब्याज आय अर्जित की। 2010-11 में अव्ययित शेष में से कम्पनी द्वारा अपनी कार्यचालन पूंजीगत आवश्यकता के प्रति ₹ 56.94 करोड़ अस्थायी रूप से अपवर्तित किये गये थे।

3.1.3 पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (भाग-क)

भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय ने स्कीम के भाग-क हेतु ₹ 81.07 करोड़ संस्वीकृत किये थे (सितम्बर 2009) जिसे अगस्त 2010 में संशोधन द्वारा सितम्बर 2012 की निर्धारित पूर्णता अवधि के साथ ₹ 96.40 करोड़ कर दिया गया, बाद में पूर्णता अवधि को सितम्बर 2015 तक बढ़ा दिया गया। आरम्भ में निधियों को विद्युत वित्त निगम के माध्यम से ऋण रूप में अवमुक्त किया जाना था और बाद में इसे स्कीम में उल्लिखित परियोजना के महत्वपूर्ण कार्यों जैसे डाटा केन्द्र (डी0सी0) की स्थापना, आपदा राहत केन्द्र, 14 शहरों के उपमंडल कार्यालयों का डी0सी0 नेटवर्क के साथ एकीकरण और उपभोक्ता सेवा केन्द्र के साथ अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर का प्रतिष्ठापन एवं अनुकूलन को पूर्ण करने की शर्त पर अनुदान में परिवर्तित किया जाना था। ₹ 96.40 करोड़ की संस्वीकृति के प्रति 31 मार्च 2016 तक ₹ 58.54 करोड़ का व्यय किया गया था। 14 शहरों के संदर्भ में पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम भाग-क की वित्तीय प्रगति 36.07 से 69.51 प्रतिशत के मध्य रही। इस तथ्य के बावजूद कि डाटा केन्द्र, आपदा राहत केन्द्र तथा 14 शहरों के उप-मंडल कार्यालयों के कोई भी कार्य-कलाप पूर्ण नहीं हुए हैं (मार्च 2016), भारत सरकार को 14 शहरों में समस्त निर्माण कार्यों के गो-लाइव² के सम्बंध में सूचना जुलाई 2013 से जुलाई 2014 के मध्य दे दी गई थी।

लेखापरीक्षा में निम्नवत पाया गया:

- निर्धारित समय-सीमानुसार निर्माण कार्य पूर्ण करने में संविदाकार की विफलता के कारण सितम्बर 2015 की निर्धारित अवधि के भीतर भाग-क परियोजना को पूर्ण करने में कम्पनी की

² अनुप्रयोग को पूर्णतः क्रियाशील तथा इंटरनेट के माध्यम से सम्बंधित इकाइयों के साथ एकीकृत घोषित करने हेतु गो-लाइव का प्रयोग हुआ है।

विफलता के परिणामस्वरूप ऋण का अनुदान में परिवर्तन नहीं हुआ। परिणामस्वरूप कम्पनी को स्कीम की शर्तानुसार 2014-15 के दौरान ऋण के पुनर्भुगतान के लिए विद्युत वित्त निगम को ₹ 10.38 करोड़ (मूलधन: ₹ 5.23 करोड़ और ब्याज ₹ 5.15 करोड़) वापिस करने पड़े थे।

- फरवरी 2016 के दौरान विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी शर्तों के अनुसार, स्कीम की संस्वीकृति (सितम्बर 2009) से पांच वर्षों के भीतर भाग-क के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना की पूर्णता पर पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए नेटवर्क बैंड विड्थ और सुविधा प्रबंधन सेवा प्रभागों को विद्युत मंत्रालय द्वारा निधियन किया जाना है। अधिनिर्णीत सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना के अनुसार (₹ 99.14 करोड़ के लिए अधिनिर्णीत) एक वर्षीय जी0पी0आर0एस0 कनेक्टिविटी और एफ0एम0एस0 की लागत की गणना ₹ 2.96 करोड़ हुई। कम्पनी मार्च 2016 तक सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना को पूर्ण करने में भी विफल रही जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.96 करोड़ का अनुदान जब्त करना पड़ा।
- भाग-क के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी परामर्शदाता की फीस को अधिकतम चार वर्षों की अवधि के लिए अनुदान में परिवर्तित किया जाना था। चूंकि परियोजना को संविदाकार की धीमी प्रगति के कारण समय पर पूरा नहीं किया गया था, कम्पनी को जुलाई 2013 से दिसम्बर 2015 की अवधि हेतु सेवा कर को छोड़कर परामर्श प्रभागों के प्रति ₹ 29 लाख के परिहार्य व्यय का वहन करना पड़ा।

अतः स्कीम के भाग-क की पूर्णता में विलम्ब के कारण कम्पनी को ₹ 13.34 करोड़ के अनुदान को छोड़ना पड़ा था, इसके अतिरिक्त परामर्श प्रभाग हेतु ₹ 29 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

3.1.4 स्वचालित मीटर रीडिंग सिस्टम की कार्यपद्धति

स्कीम के भाग-क में स्वचालित, रियल टाइम तथा विशुद्ध ऊर्जा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की उत्पत्ति परिकल्पित थी। इस उद्देश्य हेतु परियोजना क्षेत्रों को रिंग फेंस किया जाना था और समस्त फीडरों तथा बृहत् आपूर्ति उपभोक्ताओं को स्वचालित मीटर रीडिंग सिस्टम के प्रतिष्ठापन द्वारा सज्जित किया जाना था। शहरी क्षेत्र में प्रतिष्ठापित स्वचालित मीटर रीडिंग से प्राप्त ऊर्जा डाटा को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से शिमला स्थित डाटा केन्द्र को भेजा जाना था, जो इन शहरों की वास्तविक कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों का निर्धारण करने में सहायक होगा। प्रतिष्ठापित उपकरण की उचित कार्यपद्धति स्कीम के दोनों भागों-क व ख के लिए महत्वपूर्ण थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि डी0टी0आर0/फीडरों पर प्रतिष्ठापित कुल 3,363 स्वचालित मीटर रीडिंगों में से 664 डी0टी0आर0/फीडरों के सम्बंध में खराब स्वचालित मीटर रीडिंग तथा नैटवर्क कनेक्टिविटी में खराबी के कारण मार्च 2016 तक डाटा प्रेषित नहीं किया जा रहा था जिससे कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों के निर्धारण पर प्रभाव पड़ा। अतः वर्ष 2010-14 के दौरान 664 डी0टी0आर0/फीडरों पर स्वचालित मीटर रीडिंग उपकरण के प्रतिष्ठापन पर ₹ 9.02 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

3.1.5 प्रवेश कर की वसूली न करना

संविदा की सामान्य शर्तों के खण्ड 15.4 तथा 30 अगस्त 2010 को स्वचलित मीटर रीडिंग उपकरण की आपूर्ति हेतु पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम भाग-क के अंतर्गत संविदाकार को जारी किये गये एवार्ड लैटर के खण्ड 6 के अनुसार उद्धृत मूल्यों में प्रवेश कर सम्मिलित है जिसे संविदाकार के बीजक से काटा जाना था तथा क्रेता द्वारा अपनी टी0आई0एन0 संख्या के अंतर्गत व्यापार एवं कर विभाग को प्रेषित किया जाना था। 2010-14 के दौरान संविदाकार ने कम्पनी के टी0आई0एन0 के अंतर्गत राज्य के बाहर से ₹ 45.70 करोड़ मूल्य के स्वचलित मीटर रीडिंग उपकरण की आपूर्ति की थी। कम्पनी ने आबकारी एवं कराधान विभाग के पास जमा करवाने हेतु आपूर्तिकर्ता के बीजक से ₹ 2.28 करोड़ के प्रवेश कर की कटौती नहीं की थी जिसके परिणामस्वरूप संविदाकार को ₹ 2.28 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ। इसके अतिरिक्त, प्रवेश कर जमा न करवाने के कारण आबकारी एवं कराधान विभाग ने अप्रैल 2015 में ₹ 1.14 करोड़ की पेनल्टी तथा ₹ 1.45 करोड़ का ब्याज लगाया था। कम्पनी ने आबकारी एवं कराधान आयुक्त हिमाचल प्रदेश शिमला के समक्ष निर्धारण के विरुद्ध एक अपील दायर की थी जो न्यायाधीन थी। तथापि उपर्युक्त संविदा अनुबंध की सामान्य शर्तों के अनुसार कम्पनी प्रवेश कर काटने तथा जमा करवाने हेतु दायी थी।

3.1.6 पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम-भाग-ख

स्कीम के भाग-ख के अंतर्गत आरम्भ में निधियों को ऋण रूप में जारी किया जाना था और स्कीम के पूर्ण होने पर 90 प्रतिशत निधियों को अनुदान में परिवर्तित किया जाना था बशर्ते पांच वर्षों की अवधि हेतु निरंतरता आधार पर कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों में 15 प्रतिशत की कमी करने के लक्ष्यों की उपलब्धि हो, इसके अतिरिक्त संचालन समिति द्वारा निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर परियोजनाएं पूरी हो जो किसी भी स्थिति में परियोजना की संस्वीकृति की तिथि से पांच वर्षों से अधिक नहीं होगी। भाग ख के अंतर्गत परियोजनाओं को संस्वीकृति की तिथि से तीन वर्षों के भीतर पूरा किया जाना था। तथापि 14 में से नौ शहरों के सम्बंध में अपूर्ण परियोजनाओं की पूर्णता अवधि 31 दिसम्बर 2016 तक बढ़ा दी गई। मार्च 2016 को समाप्त अवधि के दौरान ₹ 338.97 करोड़ की संस्वीकृत राशि के प्रति व्यय ₹ 205.63 करोड़ था। मार्च 2016 तक भाग-ख के निर्माण कार्यों की वित्तीय प्रगति 38.52 से 132.70 प्रतिशत के मध्य रही। चौदह में से पांच³ शहरों में निर्माण कार्य काफी हद तक पूर्ण हो गया था।

3.1.7 पर्याप्त बैंक प्रत्याभूति प्राप्त न करना

बोलीकर्ताओं को फरवरी 2011 में दिए गए संशोधित निर्देशों (भाग-I का खण्ड 10), के अनुसार यदि उद्धृत दरें आकलित लागत से 10 से 25 प्रतिशत के बीच कम रहें तो संविदाकार ₹ 10 लाख तक निष्पादन प्रतिभूति रोकड़ रूप में और शेष को अवाई राशि के 10 प्रतिशत के स्थान पर आकलित लागत के 10 प्रतिशत के बराबर बैंक प्रत्याभूति के रूप में प्रेषित करेगा। सात मामलों में इस संशोधन को स्वीकार नहीं किया गया था जहां फरवरी 2011 में उपर्युक्त निर्देशों के वितरण के पश्चात् अनुबन्ध किये गये थे और निष्पादन प्रतिभूति संविदा मूल्य के 10 प्रतिशत की दर पर प्राप्त की गई थी जबकि आकलित

³

चम्बा, कुल्लू, ऊना, नाहन तथा हमीरपुर

लागत अवाई राशि से अधिक थी। इसके परिणामस्वरूप निष्पादन प्रतिभूति निर्धारित राशि से ₹ 3.33 करोड़ तक कम रही।

इसके अतिरिक्त कम्पनी ने पांवटा साहिब के 11 किलो वोल्ट तथा इससे कम के निर्माण कार्यों से सम्बंधित अनुबंध संविदाकार द्वारा निष्पादन न करने/कम करने के कारण अक्टूबर 2015 में समाप्त कर दिया था। इस अनुबंध के प्रति कम्पनी ने ₹ 2.78 करोड़ के स्थान पर ₹ 2.15 करोड़ की निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त की थी। बैंक प्रत्याभूति का नवम्बर 2015 के दौरान नकदीकरण करवाया गया था और ₹ 2.15 करोड़ का समायोजन करने के पश्चात् चूककर्ता संविदाकार से ₹ 1.78 करोड़ की राशि वसूली के लिए शेष थी। यदि कम्पनी ने उपर्युक्त उल्लिखित शर्तों के अनुसार संविदाकार से निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त की होती, तो यह ₹ 0.63 करोड़ की अतिरिक्त राशि की वसूली कर सकती थी।

3.1.8 संघटकों में अनुमत सीमा से अधिक भिन्नता

21 अगस्त 2012 को सम्पन्न हुई बैठक में स्टिरिंग समिति ने अनुमोदित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन लागत के 10 प्रतिशत की समग्र सीलिंग की शर्त पर अलग-अलग संघटकों में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के ± 20 प्रतिशत तक भिन्नता को स्वीकृति देने का निर्णय लिया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि स्कीम के भाग-ख के अंतर्गत 14 शहरों में से पांच शहरों के सम्बंध में अधिनिर्णीत राशि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की आकलित लागत की समग्र 10 प्रतिशत सीमा से अधिक थी (12.82 प्रतिशत से 29.92 प्रतिशत)। यह इंगित करता है कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों को वास्तविक चालू बाजार दरों पर तैयार नहीं किया गया था। अतः विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों की संस्वीकृत लागत के 10 प्रतिशत तक भिन्नता की स्वीकृति के पश्चात् भी कम्पनी को ₹ 30.86 करोड़ की कुल अधिनिर्णीत राशि में से अपने स्रोतों से मूल्य में भिन्नता के कारण ₹ 2.44 करोड़ वहन करना होगा।

3.1.9 निर्माण कार्यों के अधिनिर्णय तथा निष्पादन में विलम्ब के कारण राजस्व की हानि

फील्ड इकाईयों द्वारा भाग-ख के अंतर्गत 11 शहरों के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अनुमोदन हेतु जुलाई 2010 से सितम्बर 2010 के मध्य प्रस्तुत किये गये थे। इन स्कीमों को 16 अगस्त 2010 से 8 दिसम्बर 2010 के मध्य ₹ 229.17 करोड़ के लिए संस्वीकृत किया गया था तथा निर्धारित पूर्णता अवधि संस्वीकृति की तिथि से तीन वर्षों की थी जिसे बाद में सात अपूर्ण निर्माण कार्यों के सम्बंध में दिसम्बर 2016 तक बढ़ा दिया गया।

3.1.9.1 लेखापरीक्षा में पाया गया कि कम्पनी ने स्कीमों की संस्वीकृति के पश्चात् निविदाएं जारी करने के लिए चार से 34 महीनों का समय और बोलियों की प्राप्ति के पश्चात् निर्माण कार्यों के अधिनिर्णय में चार से 14 महीनों का समय लिया। इसके अतिरिक्त एवाई लैटरों के अनुसार पैकेजों के अंतर्गत निर्माण कार्यों को अधिनिर्णय की तिथियों से 12 से 18 महीनों के भीतर पूर्ण किया जाना था। तथापि, इन शहरों (चम्बा, कुल्लू, ऊना एवं नाहन को छोड़कर) के निर्माण कार्य मार्च 2016 तक निर्धारित पूर्णता अवधि से चार से 29 महीने बीत जाने के पश्चात् भी पूर्ण नहीं हुए थे (परिशिष्ट 3.1)। निर्माण कार्यों के पूर्णता में विलम्ब के कारण 2013-14 से 2015-16 के दौरान इन शहरों की कुल तकनीकी एवं वणिज्यिक हानियां विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में 0.39 से 15.14 प्रतिशत तक उच्च रही। निर्माण कार्यों के अधिनिर्णय तथा निष्पादन में विलम्ब

के परिणामस्वरूप सम्बंधित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों में परिकल्पित कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि के लक्ष्यों की अनुपलब्धि के कारण ₹ 73.06 करोड़ की संभावित राजस्व हानि हुई (परिशिष्ट 3.2)।

3.1.9.2 लेखापरीक्षा विश्लेषण में पाया गया कि ₹ 73.06 करोड़ की सम्भावित राजस्व हानि में से ₹ 11.45 करोड़ प्रति वर्ष की हानि अनुमोदित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों में दिए गए निर्माण कार्यों के अल्प अधिनिर्णय, ₹ 3.57 करोड़ प्रति वर्ष की हानि एक संविदाकार को स्वीकृति योग्य निर्माण कार्यों से अधिक (दो) के अधिनिर्णय और ₹ 6.48 करोड़ प्रति वर्ष की हानि उस तिथि तक संविदाकारों द्वारा अधिनिर्णीत शन्ट कपेसीटरों का प्रतिष्ठापन नहीं किये जाने के कारण हुआ। इसके अतिरिक्त, निर्माण कार्यों के अल्प अधिनिर्णय और निर्माण कार्यों की पूर्णता में विलम्ब के कारण कम्पनी स्कीम के अंतर्गत ₹ 2.14 करोड़ का अनुदान प्राप्त करने से वंचित रही तथा अधिनिर्णय में विलम्ब के कारण ₹1.31 करोड़ की मूल्य वृद्धि भी हुई (परिशिष्ट 3.3)।

3.1.10 पेनल्टी का अनुद्ग्रहण

33 किलो वोल्ट, 11 किलो वोल्ट एवं इससे नीचे के पैकेजों के सम्बंध में बोलीकर्ताओं को दिये गये निर्देशों के भाग II का खण्ड 35.4 अनुबद्ध करता है कि सफल बोलीकर्ता लैटर आफ अवार्ड में उल्लिखित समस्त औपचारिकताओं का निर्वाह करेंगे जिसमें विफल रहने पर निर्धारित समय के बाद विलम्ब के लिए बोली प्रतिभूति/बयाना धन जमा के 1 प्रतिशत प्रति सप्ताह की पेनल्टी उद्ग्रहित होगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 13 पैकेजों में संविदाकारों ने संविदा अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के 15 दिनों के भीतर विस्तृत पी0ई0आर0टी0 चार्ट⁴ प्रस्तुत नहीं किया था जैसा कि अवार्ड लैटरों के खण्ड 14.5 एवं 10.5 (आपूर्ति एवं उत्थापन) में अनुबद्ध था और 12 संविदाकारों ने बोलीकर्ताओं को दिये गये निर्देशों के भाग II के खण्ड 35 तथा अवार्ड लैटरों के खण्ड 41 एवं 47 के अनुसार विस्तृत लैटर ऑफ अवार्ड की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर संविदा-अनुबंधों पर हस्ताक्षर नहीं किये थे। आगे 12 संविदाकारों ने अवार्ड से 15 दिनों के भीतर संविदा मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर निष्पादन प्रत्याभूति उपलब्ध नहीं करवाई थी, जैसा कि अवार्ड लैटर के खण्ड 42 एवं 54 के अंतर्गत प्रावधान था, जिसमें विफल रहने पर प्रति सप्ताह निष्पादन प्रत्याभूति की 0.35 प्रतिशत की दर पर अथवा उसके मूल्य के एक भाग की पेनल्टी का प्रावधान था, जब तक संविदाकार द्वारा उपर्युक्त प्रस्तुत नहीं की जाती।

अतः निर्धारित तिथियों के भीतर अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा न करने के लिए संविदाकार ₹ 2.43 करोड़ की पेनल्टी का भुगतान करने के लिए दायी थे। तथापि, चूककर्ता संविदाकारों से ऐसी कोई पेनल्टी उद्ग्रहीत तथा वसूली नहीं गई थी।

3.1.11 अनियमित आधिक्य भुगतान

स्कीम के भाग-ख से सम्बंधित संविदा की सामान्य शर्तों के भाग-III का खण्ड 25 अनुबद्ध करता है कि संविदाकार नगरपालिका, राज्य अथवा राष्ट्रीय सरकारी प्राधिकारियों द्वारा संविदाकारों, उनके उप-संविदाकारों अथवा उनके कर्मचारियों पर निर्धारित किए गए समस्त करों, शुल्कों, आरोपित राशियों तथा प्रभारों का वहन एवं भुगतान करेंगे। हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर अप्रैल 2010 में आरम्भ किया गया था। प्रवेश कर आरम्भ किए जाने के पश्चात् शिमला शहर के तीन निर्माण कार्यों तथा पांवटा साहिब

⁴ पी0ई0आर0टी0 का अर्थ है कार्यक्रम मूल्यांकन समीक्षा तकनीक। पी0ई0आर0टी0 चार्ट एक परियोजना प्रबंधन उपकरण है जिसका प्रयोग परियोजना के भीतर कार्यों की सूची, संगठन एवं तालमेल बनाने के लिए होता है।

शहर के दो निर्माण कार्यों के सम्बंध में निविदाएं अप्रैल 2011 में जारी की गई थी। सम्बंधित संविदाकारों ने निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु राज्य के बाहर से सामग्री का परिवहन करते हुए देय प्रवेश कर जमा नहीं करवाया था। सम्बंधित संविदाकारों ने अप्रैल 2012 से दिसम्बर 2015 के मध्य कम्पनी की टी0आई0 एन0 संख्या का प्रयोग करते हुए राज्य के बाहर से ₹ 43.61 करोड़ मूल्य की सामग्री (परिशिष्ट 3.4) की आपूर्ति की थी। कम्पनी स्टॉक माप-तोल पुस्तक में प्रविष्टियों को रिकार्ड तथा संविदाकारों के बिलों को पारित करते समय संविदाकारों द्वारा प्रवेश कर के गैर-भुगतान को पकड़ने में विफल रही और कम्पनी द्वारा देय प्रवेश कर की कटौती किये बिना भुगतान राशि अवमुक्त कर दी गई। निर्धारण प्राधिकरण ने शिमला शहर⁵ के प्रति अप्रैल 2012 से दिसम्बर 2015 की अवधि के लिए सामग्री मूल्य ₹ 36.82 करोड़ पर ₹ 1.84 करोड़ का प्रवेश कर निर्धारित किया था (मार्च 2016), इसके अतिरिक्त ₹ 1.59 करोड़ की पेनल्टी एवं ब्याज भी निर्धारित किया था (पेनल्टी ₹ 0.93 करोड़ तथा ब्याज ₹ 0.66 करोड़)। तथापि, राशि मई 2016 तक जमा नहीं करवाई गई थी। अतः संविदाकारों द्वारा राज्य के बाहर से खरीदे गए माल पर प्रवेश कर के गैर-भुगतान को पकड़ने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.59 करोड़ की पेनल्टी एवं ब्याज की परिहार्य देयता के साथ-साथ ₹ 2.18 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

3.1.12 निष्फल व्यय

कम्पनी ने स्कीम के भाग-ख के अंतर्गत विशेष पैकेज के विभिन्न निर्माण कार्यों की समकालिक पूर्णता सुनिश्चित नहीं की जिससे पूर्ण हो चुके निर्माण कार्यों पर किया गया ₹ 8.87 करोड़ का व्यय निष्फल रहा जैसा कि **परिशिष्ट 3.5** में वर्णित किया गया है। आगे 33/11 किलो वोल्ट रामपुर घाट तथा बट्टीपुर सब-स्टेशनों की अक्रियाशीलता के कारण कम्पनी ₹ 1.20 करोड़ वार्षिक मूल्य की संचरण एवं वितरण हानियों को कम करने के लाभ से वंचित रही थी।

निष्कर्ष

पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम निर्माण कार्यों की पूर्णता में हुए विलम्ब के परिणामस्वरूप विभिन्न शहरों के परिकल्पित हानि कटौती लक्ष्यों की प्राप्ति न होने के कारण ₹ 73.06 करोड़ की सम्भावित राजस्व हानि हुई, इसके अतिरिक्त ₹ 17.92 करोड़ के अनुदान की जब्ती हुई जो भारत सरकार द्वारा अनुमोदित समय सीमा के भीतर परियोजनाओं के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर स्वीकार्य था। 2015-16 के अंत में 14 शहरों के सम्बंध में सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली द्वारा उत्सर्जित डाटा के अनुसार कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियां 15 प्रतिशत के लक्ष्य के प्रति 16.42 से 75.54 प्रतिशत के मध्य थीं। कम्पनी संविदाकारों से प्रवेश कर काटने में विफल रही और उसको कर प्राधिकारियों द्वारा मांगे गए ब्याज एवं पेनल्टी के साथ ₹ 8.64 करोड़ जमा करवाने होंगे। आगे कम्पनी ने संविदाकारों से संविदा करारों की अपेक्षित औपचारिकताओं को पूर्ण न करने जैसे पी0ई0आर0टी0 चार्ट और निष्पादन बैंक प्रत्याभूति प्रस्तुत न किये जाने के लिए ₹ 2.43 करोड़ की पेनल्टी वसूल नहीं की थी। संविदाकारों द्वारा सम्बद्ध कार्यों को समय पर पूर्ण नहीं करने के कारण ₹ 8.87 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष जुलाई 2016 में राज्य सरकार/प्रबंधन को प्रेषित कर दिये गए थे, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2016)।

⁵ नवम्बर 2016 तक पावंटा साहिब शहर के सम्बंध में निर्धारण नहीं किया गया था।

3.2 विद्युत प्रभारों की अवसूली

कम्पनी सरकार के निर्देशों में निर्धारित की गई राशि से कम बैंक प्रत्याभूति स्वीकार करने और चूकों की पुनरावृत्ति के बावजूद उपचारात्मक कार्रवाई करने में विलम्ब के कारण ₹ 18.46 करोड़ के ऊर्जा प्रभारों की वसूली करने में विफल रही।

राज्य सरकार ने नागरिकों को सार्वजनिक सेवा केन्द्रों के माध्यम से सुविधाजनक तथा त्वरित सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य के साथ सेवा केन्द्र अभिकरण के रूप में एक फर्म के साथ अनुबंध का निष्पादन किया था (सितम्बर 2008)। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित (कम्पनी) ने सेवा केन्द्र अभिकरण और सूचना एवं प्रौद्योगिकी तथा ई-गवर्नेंस की प्रोन्नति हेतु सोसाइटी, जो सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संरक्षण के अंतर्गत कार्य कर रही है, के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे (मई 2010)। समझौता ज्ञापन के अनुसार सेवा केन्द्र अभिकरण को 2,070 सार्वजनिक सेवा केन्द्रों का संचालन करने हेतु प्राधिकृत किया गया था जो राज्य के आठ⁶ जिलों को कवर करते हैं। आरम्भ में समझौता ज्ञापन की वैधता दो वर्षों के लिए थी और साथ में यह प्रावधान भी था कि उपयोक्ता कम्पनी द्वारा निष्पादन के मूल्यांकन के आधार पर वैधता का वार्षिक नवीकरण किया जायेगा जो सितम्बर 2015 तक पांच वर्षों के लिए बढ़ाई जाने योग्य थी।

समझौता ज्ञापन के खण्ड 9 के अनुसार, सेवा केन्द्र अभिकरण संगृहीत बिलों की कुल राशि को समेकित करेगा और सम्पूर्ण राशि को 24 घण्टों के भीतर कम्पनी के निर्दिष्ट खाते में जमा करवायेगा। जमा करवाने में चूक के मामले में कम्पनी द्वारा कुल देय राशि के 20 प्रतिशत के बराबर परिसमाप्त क्षतियां लगाई जानी थी (खण्ड-13)। आगे, तीन दिनों से अधिक निरन्तर चूक के मामले में निष्पादन बैंक प्रत्याभूति का आश्रय लेने की दिशा में कार्रवाई आरम्भ की जानी थी (खण्ड 13.2)।

सेवा केन्द्र अभिकरण ने अक्टूबर 2010 से विद्युत प्रभारों का संग्रहण आरम्भ कर दिया था और मार्च 2013 तक नियमित रूप से लघु विलम्बों हेतु लगाई गई परिसमाप्त क्षति के साथ राशि जमा करवाई थी। तथापि, अप्रैल 2013 से नवम्बर 2013 के मध्य यद्यपि सेवा केन्द्र अभिकरण द्वारा संगृहीत राशि जमा करवा दी गई थी, तथापि उक्त अवधि के दौरान विलम्बों हेतु लगाई गई ₹ 175.86 लाख राशि की परिसमाप्त क्षति जमा नहीं करवाई गई थी। दिसम्बर 2013 में सेवा केन्द्र अभिकरण ने ₹ 7.01 करोड़ की कुल संगृहीत राशि में से मात्र ₹ 4.77 करोड़ जमा करवाये थे और तत्पश्चात् अप्रैल 2014 तक नियमित रूप से चूक करता रहा। परिसमाप्त क्षति सहित कुल वसूली योग्य राशि ₹ 20.56 करोड़ तक बढ़ गई। सेवा केन्द्र अभिकरण को अप्रैल 2014 में बिलों की राशि के संग्रहण से रोक दिया गया तथा इसे अगस्त 2014 में राज्य सरकार के साथ व्यापार करने के लिए आयोग्य घोषित कर दिया गया। अक्टूबर, 2015 में बैंक प्रत्याभूति के नकदीकरण पर प्राप्त ₹ 2.10 करोड़ की राशि का समायोजन करने के पश्चात् ₹ 18.46 करोड़ राशि की वसूली शेष रही। सेवा केन्द्र अभिकरण ने मार्च 2014 से अप्रैल 2015 के दौरान ₹ 15.25 करोड़ राशि के चैक भी प्रस्तुत किये थे जो पर्याप्त निधियों के अभाव में भुनाये नहीं गये थे और कम्पनी ने इसकी वसूली हेतु नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अधिनियम, 1881 के अंतर्गत विभिन्न न्यायालयों⁷ में छः मामले दायर किये थे।

⁶ शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर, बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू तथा मण्डी।

⁷ शिमला, गुडगांव तथा दिल्ली।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में निम्नवत् पाया गया:

- राज्य सरकार के दिशानिर्देशानुसार न्यूनतम बैंक प्रत्याभूति या तो चार वर्षों की अवधि के लिए अपेक्षित कुल राजस्व सहायता की 15 प्रतिशत अथवा प्रति मण्डल कम से कम ₹ 65 लाख होनी चाहिए। तथापि, कम्पनी ने अपेक्षित ₹ 22.75 करोड़⁸ की राशि के प्रति मात्र कुल ₹ 2.10 करोड़ की निष्पादन बैंक प्रत्याभूति स्वीकार की थी। मार्च 2014 में कम्पनी ने बैंक प्रत्याभूति को ₹ 10 करोड़ तक बढ़ाने का अनुरोध किया जो अब भी न्यूनतम निर्धारण से कम था और वह भी जब बकाया राशि की गणना ₹ 19.94 करोड़ की गई थी;
- सेवा केन्द्र अभिकरण अप्रैल 2013 से भुगतान करने में लगातार चूक कर रहा था। तथापि, समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अनुसार अक्टूबर 2014 तक बैंक प्रत्याभूति का आश्रय लेने के लिए कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की थी; और
- समझौता ज्ञापन आरम्भ में दो वर्षों की अवधि के लिए अर्थात् सितम्बर 2012 तक वैध था जिसे नवम्बर 2014 तक बढ़ाया गया था, यद्यपि सेवा केन्द्र अभिकरण भुगतान जमा करवाने में लगातार चूक कर रहा था।

अतः बैंक प्रत्याभूति के प्रत्याह्वान में विलम्ब के साथ बैंक प्रत्याभूति की अपर्याप्त राशि की स्वीकृति और सेवा केन्द्र अभिकरण को चूकों की पुनरावृत्ति के बावजूद विद्युत प्रभारों के संग्रहण की स्वीकृति के परिणामस्वरूप ₹ 18.46 करोड़ के विद्युत प्रभारों की वसूली नहीं हुई।

राज्य सरकार ने बताया (अक्टूबर 2016) कि बैंक प्रत्याभूति सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पास थी और एक बार चूक पाई जाने पर कम्पनी ने त्रिपक्षीय अनुबंध के खण्ड 3 एवं 24 की शर्त के अनुसार परिसमाप्त क्षति खण्ड का आश्रय लेने तथा बैंक प्रत्याभूति के तुरंत नकदीकरण हेतु सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग से बार-बार अनुरोध किया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यद्यपि कम्पनी ने परिसमाप्त क्षति खण्ड का आश्रय लेने हेतु सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग से अनुरोध किया था, बैंक प्रत्याभूति के नकदीकरण का अनुरोध केवल मार्च 2014 में किया गया था जब सेवा केन्द्र अभिकरण द्वारा चूक की राशि बैंक प्रतिभूति की राशि से अधिक हो चुकी थी।

3.3 औद्योगिक उपभोक्ता को अधिक ब्याज भुगतान

एक औद्योगिक उपभोक्ता को देय ₹ 39.49 लाख के प्रतिदाय पर कम्पनी द्वारा साधारण ब्याज के स्थान पर मासिक चक्रवृद्धि (कम्पाउंडिंग) आधार पर ब्याज के भुगतान के परिणामस्वरूप ₹ 1.24 करोड़ के ब्याज का अधिक भुगतान हुआ।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियमन 2006 के विनियम 7 (1) (ख) (झ) के अनुसार लाईसेंसधारक द्वारा उपभोक्ता मीटर या तो उपभोक्ता प्रांगणों अथवा उपभोक्ता प्रांगणों के बाहर प्रतिष्ठापित किये जायेंगे। बिलिंग उद्देश्य हेतु उपभोक्ता प्रांगण के बाहर अर्थात् सब-स्टेशन पर प्रतिष्ठापित उपभोक्ता मीटर की रीडिंग को आधार बनाया जाना था।

⁸ बैंक प्रत्याभूति की न्यूनतम राशि: 65 लाख x आठ जिलों में 35 मंडल = ₹ 22.75 करोड़

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित, विद्युत उप-मण्डल, काला अम्ब के अंतर्गत 132 किलोवोल्ट स्वतंत्र फीडर के माध्यम से एक वृहद आपूर्ति औद्योगिक श्रेणी उपभोक्ता को विद्युत की आपूर्ति कर रहा था। विद्युत मीटर फीडर के दोनों तरफ अर्थात् उपभोक्ता प्रांगण तथा सब-स्टेशन पर प्रतिष्ठापित किये गये थे। फील्ड यूनिट उपभोक्ता की बिलिंग उपभोक्ता के प्रांगण पर प्रतिष्ठापित मीटर अथवा सब-स्टेशन मीटर द्वारा रिकार्ड की गई दो रीडिंगों में से उच्चतर रीडिंग के आधार पर कर रही थी। उपभोक्ता ने विरोधस्वरूप बिल जमा करवाये और अपनी शिकायतों के निवारण हेतु उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (एफ0आर0जी0सी0) के समक्ष मामला दायर किया। एफ0आर0जी0सी0 ने कहा (सितम्बर 2013) कि समस्त विद्युत बिल सब-स्टेशन पर प्रतिष्ठापित मीटर के आधार पर जारी किये जाने चाहिये थे तथा कम्पनी को निर्देश दिये कि आधिक्य को भविष्य के बिलों में समायोजित कर प्रतिदाय किया जाये।

तदनुसार कम्पनी ने नवम्बर 2013 से जनवरी 2014 की अवधि के दौरान उपभोक्ता को जारी किये गये बिलों के माध्यम से उपभोक्ता को ₹ 39.49 लाख राशि प्रतिदाय की। चूंकि एफ0आर0जी0सी0 द्वारा इस राशि पर कोई ब्याज स्वीकृत नहीं किया गया था, उपभोक्ता ने कम्पनी द्वारा उससे प्रभारित अधिक राशि पर ब्याज की स्वीकृति हेतु विद्युत लोकपाल के पास एक अपील दायर की विद्युत लोकपाल ने अगस्त 2014 के अपने आदेश में उपभोक्ता के पक्ष में ब्याज की अदायगी की स्वीकृति दे दी तथा कम्पनी को आदेश दिए कि उस अवधि, जिसके लिए विवादित राशि रोकी गई थी तथा अधिक राशि समायोजित एवं आवेदक को लौटाई गई थी, के लिए ब्याज की गणना सम्बंधित वित्त वर्ष के अप्रैल माह की पहली तिथि को भारतीय स्टेट बैंक में प्रचलित अल्पावधि प्राइम लेंडिंग दर (एस0टी0पी0एल0आर0) की दोगुनी दर से की जाए। इन आदेशों के अनुसरण में, कम्पनी ने फरवरी 2005 से दिसम्बर 2014 की अवधि हेतु ₹ 2.01 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया और इसे जनवरी 2015 में भुगतान के लिये देय दिसम्बर 2014 के महीने के विद्युत बिल में समायोजित किया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा (जनवरी 2016) में पाया गया कि कम्पनी ने उस अवधि जिसके लिए कथित राशि रोकी गई थी, हेतु साधारण दर के स्थान पर मासिक कम्पाउंडिंग आधार पर एस0टी0पी0एल0आर0 के दोगुने को लागू करके ब्याज की गणना की थी। आगे यह कम्पाउंडिंग भी दिसम्बर 2014 तक की गई थी, यद्यपि उपभोक्ता को देय प्रतिदेय राशि नवम्बर 2013 से जनवरी 2014 के मध्य उपभोक्ता को जारी किए गए बिलों में समायोजित की गई थी। फरवरी 2005 से जनवरी 2015 की अवधि हेतु एस0टी0पी0एल0आर0 के दोगुने पर साधारण दर लागू करके निकाले गए उपभोक्ता को देय ₹ 76.98 लाख के कुल ब्याज के प्रति कम्पनी ने मासिक कम्पाउंडिंग द्वारा ₹ 2.01 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया था। इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार प्रतिदत्त ₹ 39.49 लाख की अधिक बिल राशि पर उपभोक्ता को ₹ 1.24 करोड़ के ब्याज का अधिक भुगतान हुआ।

मुख्य अभियंता ने बताया (जुलाई 2016) कि ब्याज की गणना भारतीय स्टेट बैंक की काला अम्ब शाखा से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के पश्चात् की गई थी। मुख्य अभियंता का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इस मामले में बैंक द्वारा ब्याज की गणना करने की पद्धति संगत नहीं थी क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज के लिए कोई प्रावधान नहीं था।

मामला सरकार/प्रबंधन को प्रतिवेदित किया गया था (अप्रैल 2016); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2016)।

3.4 संविदा के प्रवर्तन निबन्धनों में विलम्ब के कारण हानि

कम्पनी को अनुबंध की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार परिसमाप्त क्षति की सम्पूर्ण राशि की वसूली न करने के साथ चूककर्ता संविदाकार की बैंक प्रत्याभूतियों के नकदीकरण हेतु समयोचित कार्रवाई आरम्भ नहीं करने के कारण ₹ 41.58 लाख की परिहार्य हानि हुई।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित (कम्पनी) ने परिचालन सर्कल नाहन के अंतर्गत मानव-रहित बर्मा पापरी में 33/11 किलोवोल्ट सब-स्टेशन की आपूर्ति एवं उत्थापन हेतु दो संविदाएं ₹ 2.23 करोड़ में एक संविदाकार को नवम्बर 2012 तक निर्धारित पूर्णता अवधि के साथ दी थी (जून 2012)। अनुबंध की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार संविदाकार को उपर्युक्त दो संविदाओं के प्रति निष्पादन प्रतिभूति के रूप में ₹ 16 लाख तथा ₹ 6.33 लाख की दो भिन्न बैंक प्रतिभूतियां उपलब्ध करवानी थीं। तदनुसार संविदाकार ने 28 फरवरी 2014 तक वैधता वाली अपेक्षित राशि की दो भिन्न बैंक प्रत्याभूतियां उपलब्ध करवाई थी। संविदा अनुबंध में आगे प्रावधान है कि यदि दिये गये काम में अनुबंधित समय सीमा से अधिक विलम्ब होता है तो प्रति सप्ताह विलम्ब हेतु 0.5 प्रतिशत की दर से या उसका भाग जो अधिकतम कुल संविदा मूल्य के पांच प्रतिशत के बराबर परिसमाप्त क्षतियां वसूल की जाएंगी। लैटर ऑफ एवार्ड (जून 2012) के खण्ड 12.4 के अनुसार यदि संविदाकार निर्धारित अवधि में कार्य को पूर्ण करने में विफल रहता है तो कम्पनी को संविदा निरस्त करने तथा संविदाकार के जोखिम और लागत पर शुरू करने का अधिकार होगा।

संविदाकार ने आंशिक लघु निर्माण कार्यों को पूरा करने के पश्चात् जनवरी 2014 में निर्माण कार्य छोड़ दिया। कम्पनी ने जून 2014 में अर्थात् निर्धारित पूर्णता अवधि से 18 महीनों के पश्चात् संविदाकार को नोटिस जारी किया तथा बिल राशि के पांच प्रतिशत पर ₹ 1.01 लाख की परिसमाप्त क्षतियां घटाने के पश्चात् संविदाकार को मार्च 2014 में ₹ 19.25 लाख का भुगतान भी अवमुक्त किया। इस बीच संविदाकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई ₹ 22.33 लाख की दोनों बैंक प्रत्याभूतियों की वैधता समाप्त हो गई क्योंकि कम्पनी वैधता समाप्ति से पूर्व उनका नवीकरण अथवा नकदीकरण करवाने में विफल रही। अंततः कार्य को अक्टूबर 2014 में रद्द कर दिया गया तथा शेष कार्य को नवम्बर 2016 तक की निर्धारित पूर्णता अवधि पर एक अन्य संविदाकार को ₹ 2.37 करोड़⁹ में सौंपा गया जिसकी लागत रद्द किए गए कार्य की तुलना में ₹ 34.07 लाख अधिक थी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि कम्पनी को पता था कि संविदाकार निर्माण कार्य छोड़ चुका था और वैधता समाप्ति से पूर्व बैंक प्रत्याभूतियों के नवीकरण अथवा नकदीकरण हेतु समयोचित कर्रवाई की जानी चाहिए थी। आगे, संविदा के अनुसार संविदाकार से ₹ 11.17 लाख की कुल वसूली योग्य परिसमाप्त क्षतियां थी। अतः ₹ 1.01 लाख की सीमा तक परिसमाप्त क्षतियों की कटौती और ₹ 19.25 लाख की शेष राशि की अवमुक्ति न्यायोचित नहीं थी। इस राशि को ₹ 34.07 लाख के जोखिम एवं लागत के समायोजन के लिए रोका भी जा सकता था। अतः, बैंक प्रत्याभूतियों के नकदीकरण हेतु समयोचित कार्रवाई करने में कम्पनी की विफलता के साथ संविदाकार को अवमुक्त की गई राशि में से परिसमाप्त क्षतियों की सम्पूर्ण राशि की वसूली न होने के परिणामस्वरूप ₹ 41.58 लाख की परिहार्य हानि हुई।

⁹ सामग्री की आपूर्ति: ₹ 1.95 करोड़ तथा आपूर्ति सामग्री का परिनिर्माण: ₹ 0.42 करोड़।

प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2016) कि कार्य को रद्द कर दिया गया था तथा एक अन्य संविदाकार को सौंपा था तथा सौंपे गए पहले एवं दूसरे कार्य में ₹ 14 लाख का अंतर था। उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं है क्योंकि जोखिम तथा लागत राशि की गणना पहले संविदाकार के शेष कार्यों के मूल्य पर की जानी चाहिए न कि वास्तविक संविदा की निर्धारित लागत पर।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया था (मई 2016); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2016)।

3.5 संविदाकार को अस्वीकार्य भुगतान

जी0आई0 तार के किलोग्राम आधार के स्थान पर संख्या आधार पर कम्पनी द्वारा बोलियों के गलत मूल्यांकन के परिणामस्वरूप संविदाकार को ₹ 2.55 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित (कम्पनी) ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत सड़क के दोनों ओर गार्डिंग पॉवर लाइन हेतु प्रति किलोमीटर 26 किलोग्राम जी0आई0 तार के प्रावधानों सहित परिचालन सर्कल, सोलन के अंतर्गत पांच खण्डों हेतु 11 किलोवोल्ट एच0टी0 लाइनों के निर्माण के लिए मार्च 2008 में ₹ 28.90 करोड़ के लागत आकलनों को स्वीकृति दी। निर्माण कार्य मार्च 2009 के दौरान विभिन्न संविदाकारों को सौंपे गए थे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में दर्शाया गया कि दो खण्डों अर्थात् धर्मपुर और सोलन से सम्बन्धित बोली प्रलेखों में प्रयोग में लाए जाने वाले जी0आई0 तार की इकाई का वर्णन इकाई कॉलम में 'किलोग्राम' के बजाए 'नम्बर' में किया गया था। शेष तीन खण्डों में इकाई को उचित रूप से किलोग्राम में दर्शाया गया था। तार की मात्रा संख्या में परिमाणित नहीं की जा सकती हैं। कम्पनी द्वारा बोलियों का मूल्यांकन करते हुए एक किलोमीटर की लाइन के प्रति जी0आई0 तार की 26 किलोग्राम की मात्रा हेतु संविदाकार द्वारा उद्धृत दरों का ध्यान रखना चाहिए था। तथापि, कम्पनी ने एक किलोमीटर लाइन की लागत पर पहुंचने के लिए 26 संख्याओं के साथ 26 किलोग्राम हेतु उद्धृत दरों की गणना द्वारा बोली का मूल्यांकन गलत किया था जबकि इसका मूल्यांकन खड़ी की जाने वाली किलोमीटरों की वास्तविक लाइन संख्या के साथ 26 किलोग्राम प्रति एक किलोमीटर लाइन हेतु उद्धृत दर के साथ गुणा द्वारा किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त पूर्ण निर्माण कार्य हेतु संविदाकार को अवमुक्त वास्तविक भुगतान का मिलान उद्धृत दरों को लागू करते हुए वास्तविक अवमुक्त राशि से नहीं किया गया। इस प्रकार से किए गए वास्तविक भुगतान की तुलना अपेक्षित/देय भुगतान की दरों से करने पर जनवरी 2010 और फरवरी 2014 की अवधि के दौरान इन दो खण्डों में संविदाकारों को ₹ 2.55 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ था। इस प्रकार जी0आई0 तार को किलोग्राम के बजाय संख्या में मानते हुए बोलियों के गलत मूल्यांकन के परिणामस्वरूप संविदाकार को ₹ 2.55 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया गया।

प्रबंधन ने बताया (अगस्त 2016) कि प्रयुक्त जी0आई0 तारों की इकाइयों के सम्बंध में सड़क क्रासिंग के माप में अंतर गलती से प्रति किलोमीटर संख्या में उल्लिखित था। तथापि परवाणू तथा सोलन के सम्बंध में अंतिम भुगतान के समय पर वास्तविक माप के अनुसार संविदाकार को किए गए ₹ 42.58 लाख अधिक भुगतान की वसूली पहले ही की जा चुकी है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि वसूली मात्र आवश्यकता से अधिक प्राप्त मात्रा के सम्बंध में की गई थी जबकि लेखापरीक्षा ने निर्माण कार्यों में प्रयुक्त जी0आई0 तार की मात्रा हेतु अधिक भुगतान पर टिप्पणी की थी।

मामला मई 2016 में सरकार को प्रेषित किया गया था; उसका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2016)।

3.6 मांग प्रभार की अल्प वसूली

कम्पनी टैरिफ अनुसूची के निबन्धनों के अनुसार वास्तविक संस्वीकृत मांग के 50 प्रतिशत तक संविदा मांग को सीमित करने में विफल रही जिसके परिणामस्वरूप एक औद्योगिक उपभोक्ता से ₹ 56.70 लाख के निर्धारित मांग प्रभारों की अल्प वसूली हुई।

टैरिफ अनुसूची के खण्ड V में प्रतिपादित है कि उपभोक्ता जिनके लिए दो भाग टैरिफ लागू होता है, 01 जुलाई 2013 से प्रभावी एक वित्तीय वर्ष में दो बार अपनी संविदा मांग को इस शर्त पर संशोधित करने के हकदार होंगे कि इसे वास्तविक संस्वीकृत मांग के 50 प्रतिशत से कम नहीं किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित (कम्पनी) ने 22,214 किलोवोल्ट एम्पीयर की वास्तविक संस्वीकृत मांग सहित 19,991.7 किलोवाट के कनेक्टड भार वाले वृहद् आपूर्ति औद्योगिक उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति संस्वीकृत की जिसे तदनुसार नवम्बर 2012 में 10,214 किलोवोल्ट एम्पीयर तक अस्थाई रूप से कम कर दिया गया था। बकाया देयों का भुगतान न किये जाने के कारण मार्च 2013 में कनेक्शन अस्थाई रूप से काट दिया गया। तथापि, सितम्बर 2013 में स्थाई रूप से विद्युत आपूर्ति काट दिये जाने के पश्चात् कम्पनी ने 10 अप्रैल 2013 से 30 जून 2013 की अवधि के लिए अक्टूबर 2013 में 10,214 किलोवोल्ट एम्पीयर से 250 किलोवोल्ट एम्पीयर संविदा मांग में कटौती संस्वीकृत की। तदुपरांत इसे वास्तविक संस्वीकृत मांग के 50 प्रतिशत तक पुनर्स्थापित किया गया था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि जुलाई 2013 से सितम्बर 2013 की अवधि हेतु संशोधित विद्युत बिलों को तैयार करते समय निश्चित प्रभार 11,107 के0वी0ए0 अर्थात् 22,214 के0वी0ए0 की मूल संस्वीकृत मांग का 50 प्रतिशत के स्थान पर 5,107 के0वी0ए0 की कम की गई मांग के आधार पर उद्ग्रहीत किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता से निश्चित मांग प्रभारों के आधार पर ₹ 56.70 लाख¹⁰ की कम वसूली हुई। हालांकि कम्पनी ने स्थायी रूप से कनेक्शन काटने के पश्चात् उपभोक्ता के विरुद्ध ₹ 1.52 करोड़ की वसूली का मामला दायर किया था जिसमें उपर्युक्त अवधि हेतु निश्चित मांग प्रभारों की अल्प-वसूली के आधार पर ₹ 56.70 लाख सम्मिलित नहीं थे।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2016) कि 10,124 के0वी0ए0 से 250 के0वी0ए0 तक की अनुबंध मांग इस शर्त पर स्वीकृत की गई थी कि 250 के0वी0ए0 की अनुबंध मांग अप्रैल 2013 से जून 2013 तक लागू होगी और स्वीकृत मांग का 50 प्रतिशत जुलाई 2013 से लागू होगी। इसके दृष्टिगत 5,107 के0वी0ए0 की अनुबंध मांग (10,214 का 50 प्रतिशत) पर जुलाई 2013 से सितम्बर 2013 तक मांग प्रभारों हेतु विचार किया गया है। प्रबन्धन ने आगे बताया कि यह हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के दिसम्बर 2013 के निर्णय के अनुसार किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि दर सूची संविदा मांग में मूल संस्वीकृत मांग के 50 प्रतिशत से अधिक की कटौती की अनुमति नहीं देती। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग की घोषणा लेखापरीक्षा द्वारा उद्धृत अवधि को सम्मिलित नहीं करती तथा इसने याचिकाकर्ता को बोर्ड के साथ केवल गणना के अन्तर को ठीक करने सम्बन्धी निर्देश देने के साथ याचिका को बन्द कर दिया।

¹⁰ 6,000 के0वी0ए0 (11,107 के0वी0ए0-5,107 के0वी0ए0) x 90 प्रतिशत x ₹ 350x3 महीने= ₹ 56,70,000।

मामला सरकार को प्रेषित किया गया था (जुलाई 2016); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2016) ।

3.7 सरकार द्वारा प्रदत्त छूट पर कार्रवाही करने में विलम्ब के कारण निष्फल व्यय

कम्पनी द्वारा अपनी क्षेत्रीय इकाइयों को जल विद्युत परियोजनाओं पर रियल टाइम ऑनलाइन वाटर डिस्चार्ज मॉनिटरिंग सिस्टम के प्रतिष्ठापन हेतु राज्य सरकार द्वारा दी गई छूट के सम्बंध में सूचित करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप आवश्यकताहीन उपकरणों के प्रतिष्ठापन पर ₹ 2.19 करोड़ का व्यय निष्फल हुआ ।

हिमाचल प्रदेश सरकार, प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के भाग-5 के अंतर्गत दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए जुलाई 2005 में अधिसूचना जारी की जिसके द्वारा समस्त विद्यमान तथा आगामी जल विद्युत परियोजनाओं के लिए यह आवश्यक कर दिया कि वे सम्पूर्ण वर्ष परियोजना के अपवर्तन ढांचे की डाउनस्ट्रीम में जल का न्यूनतम 10 प्रतिशत प्रवाह बनाए रखेंगी । राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सितम्बर 2005 में संशोधन द्वारा 10 प्रतिशत न्यूनतम प्रवाह की शर्त को 15 प्रतिशत कर दिया गया इसके अतिरिक्त समस्त विद्यमान तथा आगामी परियोजनाओं के लिए यह आवश्यक कर दिया (जुलाई 2009) कि वे 31 दिसम्बर 2009 तक रियल टाइम ऑनलाइन निरंतर प्रवाह माप तथा डाटा लॉगिंग उपकरणों का प्रतिष्ठापन कर लें । हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित (कम्पनी) द्वारा मांगी गई छूट पर राज्य सरकार ने स्वीकृति दी थी (अप्रैल 2012) कि 9 सितम्बर 2005 के पश्चात् आरम्भ की गई परियोजनाओं पर अधिसूचना का प्रत्याशित प्रभाव होगा । राज्य सरकार का यह निर्णय कम्पनी को 21 अप्रैल 2012 को सूचित कर दिया गया था ।

वाटर डिस्चार्ज मॉनिटरिंग सिस्टम के प्रतिष्ठापन की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया (दिसम्बर 2014) कि कम्पनी ने मार्च 2012 तक कुल 21 जल विद्युत परियोजनाएं आरम्भ की थीं । इनमें से लारजी जल विद्युत परियोजना के सम्बंध में रियल टाइम ऑनलाइन वाटर डिस्चार्ज मॉनिटरिंग सिस्टम पूर्वतः प्रतिष्ठापित था तथा बस्सी जल विद्युत परियोजना के लिए यह आवश्यक नहीं था क्योंकि यह परियोजना पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड की शानन जल विद्युत परियोजना की टेल रेस विकास परियोजना है । शेष 19 जल विद्युत परियोजनाओं में से 18 जल विद्युत परियोजनाओं को जुलाई 2005 से पहले आरम्भ किया गया था, केवल खौली जल विद्युत परियोजना ही मार्च/अप्रैल 2007 में आरम्भ की गई थी । अप्रैल 2012 में कम्पनी को सूचित राज्य सरकार के निर्णय के दृष्टिगत, अधिसूचना जुलाई 2005 से पहले आरम्भ की गई 18 जल विद्युत परियोजनाओं पर लागू नहीं होनी थी । तथापि, निगम कार्यालय द्वारा सम्बंधित फील्ड इकाई को निर्णय 28 महीनों के विलम्ब के बाद अगस्त 2014 में अवगत करवाया गया । इस बीच सभी 19 जल विद्युत परियोजनाओं में वाटर डिस्चार्ज मॉनिटरिंग सिस्टम के प्रतिष्ठापन के लिए टेंडर प्रक्रिया अक्टूबर 2012 में पूरी की गई थी तथा मार्च 2013 में आपूर्ति एवं प्रतिष्ठापन का कार्य एक संविदाकार को ₹ 2.50 करोड़ में प्रदान किया गया था । कम्पनी ने संविदाकार को मार्च 2016 तक ₹ 2.19 करोड़ की अदायगी कर दी थी । लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि समस्त 18 जल विद्युत परियोजनाओं में ये उपकरण या तो बेकार थे या अक्रियाशील थे ।

इस प्रकार राज्य सरकार के उपर्युक्त निर्णय से फील्ड इकाइयों को अवगत करवाने में 28 महीनों के विलम्ब के कारण जुलाई 2005 से पहले आरम्भ की गई 18 जल विद्युत परियोजनाओं में वाटर डिस्चार्ज मॉनिटरिंग सिस्टम के प्रतिष्ठापन पर ₹ 2.19 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ ।

प्रबन्धन ने स्वीकार किया (जून 2016) कि 18 जल विद्युत परियोजनाओं में प्रतिष्ठापित उपकरण या तो बेकार थे या अक्रियाशील क्योंकि अनिवार्य रूप से 15 प्रतिशत पानी छोड़ने की क्रिया को अप्रैल 2012 में राज्य सरकार के निर्देशानुसार बंद कर दिया गया था। राज्य सरकार ने आगे बताया (अक्टूबर 2016) कि आपूर्तिकर्ता के साथ न्यूनतम प्रवाह को मापने से भिन्न उद्देश्य हेतु सिस्टम को प्रयोग करने की सम्भावना पर चर्चा की गई थी जिसने विश्वास दिलाया था कि उपकरण में कुछ संशोधनों के पश्चात् संयंत्र की क्षमता की निगरानी करने के उद्देश्य से टर्बाइन तक न्यूनतम प्रवाह को मापने हेतु इसका प्रयोग किया जा सकता है।

उत्तर को इस तथ्य के दृष्टिगत देखा जा सकता है कि जुलाई 2015 के दौरान आपूर्तिकर्ता के साथ मामले पर चर्चा की गई थी और 16 महीने बीत जाने पर भी नवम्बर 2016 तक 18 जल विद्युत परियोजनाओं के सम्बंध में यह उपकरण व्यर्थ/अक्रियाशील थे।

हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित

3.8 संविदाकार के साथ परस्पर समझौते के समय सभी भागों पर विचार करने में विफलता के कारण वसूली न होना

संविदा में स्पष्ट प्रावधानों एवं माननीय न्यायालय के दिशा-निर्देशों के बावजूद एक्सट्रा न्यूट्रल एल्कोहल की खरीद से संबंधित चूककर्ता फर्म के साथ एक परस्पर समझौता करते हुए वैकल्पिक स्रोत से जोखिम एवं लागत तथा उत्पादन हानि पर विचार करने में कम्पनी की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 81.95 लाख की वसूली नहीं हुई।

हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित (कम्पनी) ने मई 2012 में एक फर्म को ₹ 36.99 प्रति बल्क लीटर की दर से 25 लाख बल्क लीटर एक्सट्रा न्यूट्रल एल्कोहल की खरीद हेतु आदेश दिए थे। इसके कन्ट्री लिक्कर बॉटलिंग प्लांट (सी0एल0बी0पी0) मैहतपुर तथा परवाणु हेतु एक्सट्रा न्यूट्रल एल्कोहल अपेक्षित था। खरीद आदेश में यह अनुबंधित था कि आपूर्ति अनुसूचि के अनुसार सामग्री की आपूर्ति करने में चूक होने और किसी अन्य निबंधन और शर्तों का उल्लंघन करने पर प्रतिभूति जब्ती योग्य हो जाएगी। यह किसी अन्य पेनल्टी अथवा नुकसान, जिसकी गणना अपेक्षित मात्रा की आपूर्ति न किए जाने पर कम्पनी द्वारा अन्य स्रोतों से खरीद करने पर की जाती है, के अतिरिक्त होगी। कम्पनी आपूर्ति आदेश के प्रति ₹ 20 लाख की प्रतिभूति जमा रोककर रखने के लिए हकदार थी।

आदेशित मात्रा की आपूर्ति प्रेषिती की आवश्यकता के अनुसार मई/जून 2012 से मई 2013 तक करनी थी। फर्म मात्र 5.40 लाख बल्क लीटर एक्सट्रा न्यूट्रल एल्कोहल की ही आपूर्ति कर सकी थी। फर्म बार-बार जारी किए गए स्मरण पत्रों¹¹ के बावजूद अपनी वचनबद्धता पूर्ण नहीं कर पाई तथा कम्पनी के दोनों संयंत्रों पर देशी शराब का उत्पादन अगस्त से अक्टूबर 2012 के मध्य 12 दिनों¹² तक पूर्णतया बंद रहा जिसके कारण ₹ 19.55 लाख के उत्पादन की निवल हानि हुई। कम्पनी ने अंत में 7 नवम्बर 2012 को ₹ 20 लाख की प्रतिभूति जमा करके करने के बाद खरीद आदेश को निरस्त कर दिया। इस बीच

¹¹ जुलाई 2012 तथा अक्टूबर 2012 के मध्य जारी।

¹² 4/8/2012, 6/08/2012, 7/08/2012 तथा 17/10/2012 से 25/10/2012 (12 दिनों)।

कम्पनी ने उत्पादन जारी रखने के लिए एक दूसरी फर्म को अक्टूबर 2012 (1.60 लाख बल्क लीटर) तथा नवम्बर 2012 (13.40 लाख बल्क लीटर) में ₹ 41.15 प्रति बल्क लीटर की दर पर दो खरीद आदेश दिए थे। एक्सट्रा न्यूट्रल एल्कोहल की कुल 15 लाख बल्क लीटर की खरीद पर कम्पनी ने पहली फर्म की दरों की तुलना में ₹ 62.40 लाख का अतिरिक्त व्यय किया।

फर्म ने क्रय आदेश की निरस्तता के विरुद्ध माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में एक दीवानी याचिका दायर की तथा माननीय न्यायालय ने कम्पनी को चार सप्ताह की समय अवधि के भीतर खरीद आदेश के अनुसार एक्सट्रा न्यूट्रल एल्कोहल की अनुपलब्धता के कारण उत्पादन हानि सहित जोखिम तथा लागत की वसूली हेतु उचित निर्णय लेने के निर्देश दिए (अप्रैल 2013)। कम्पनी ने सुरक्षा जमा के ₹ 20 लाख जब्त करने के बाद जुलाई 2013 में ₹ 16.35 लाख का बकाया भुगतान जारी करके मामले का निपटारा किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया (मार्च 2015) कि कम्पनी प्रतिभूति जमा को जब्त करने के अतिरिक्त जोखिम तथा लागत व उत्पादन हानि के लिए ₹ 81.95 लाख¹³ वसूल करने हेतु पात्र थी लेकिन परस्पर समझौते के समय इस पर विचार नहीं किया गया। इसे लेखापरीक्षा द्वारा उजागर करने पर कम्पनी ने क्षतियों का दावा करते हुए जुलाई 2015 में क्रय आदेश की शर्तों को भंग करने हेतु फर्म को कानूनी नोटिस जारी किया। कम्पनी के कानूनी सलाहकार ने राय दी (सितम्बर 2015) कि फर्म के साथ हुए परस्पर समझौते को ध्यान में रखते हुए अब दायर किए हुए किसी भी मुकद्दमें के सफल होने की संभावना नहीं थी, इसलिए राशि को माफ करते हुए मामले को बन्द करने की सलाह दी।

इस प्रकार आपूर्तिकर्ता के साथ उत्पादन क्षति तथा अन्य स्रोतों से एक्सट्रा न्यूट्रल एल्कोहल की खरीद पर जोखिम व लागत से सम्बन्धित परस्पर समझौते के दौरान क्रय आदेश के निबन्धनों एवं शर्तों का पालन करने में विफल रहने के कारण ₹ 81.95 लाख की वसूली नहीं हो सकी।

प्रबंधन ने बताया (मई 2016) कि प्रदेश सरकार के विधि विभाग ने राय दी है कि परिसीमा की अवधि के अंदर मुकद्मा दायर करके फर्म से जोखिम और लागत की वसूली की जा सकती थी जो कि पहले ही पूरी हो चुकी है तथा अब वसूली के लिए मुकद्मा दायर करना निष्फल होगा।

मामला सरकार को प्रेषित किया गया था (अप्रैल 2016); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2016)।

¹³

15 लाख बल्क लीटर एक्सट्रा न्यूट्रल एल्कोहल की खरीद पर जोखिम खरीद लागत: ₹ 62.40 लाख तथा एक्सट्रा न्यूट्रल एल्कोहल की अनुपलब्धता के लिए जब उत्पादन बंद रहा, उन 12 दिनों के दौरान हुई हानि: ₹ 19.55 लाख।

हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम

3.9 लाभार्थियों को ऋणों की स्वीकृति तथा उनकी वसूलियों की लेखापरीक्षा

कम्पनी अल्पसंख्यक समुदाय एवं कमजोर वर्गों के पात्र लाभार्थियों तथा दिव्यांगों को सहायता वितरण का लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रही। कम्पनी अपेक्षित सरकारी प्रत्याभूति का प्रबन्ध न कर पाने के कारण ₹1.94 करोड़ के संस्वीकृत ऋण के वितरण में विफल रही और शीर्षस्थ संस्थान द्वारा ₹1.20 करोड़ के आबंटन के बावजूद महिला समृद्धि योजना का कार्यान्वयन नहीं कर सकी थी। इसके अतिरिक्त, सॉफ्टवेयर में चूककर्त्ताओं से सामान्य ब्याज की गणना का प्रावधान न होने से ₹1.44 करोड़ के ब्याज की अल्प वसूली हुई।

3.9.1 परिचय

सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों तथा अन्य कमजोर वर्गों के साथ-साथ 40 प्रतिशत या अधिक विकृति वाले दिव्यांग लोगों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान पर केन्द्रित स्कीमें आरम्भ करने हेतु सितम्बर 1996 में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम (कम्पनी) को समाविष्ट किया गया था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कम्पनी उक्त श्रेणियों तथा वर्गों को व्यवसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध करवा कर वित्तीय सहायता तथा व्यवसायिक जानकारी उपलब्ध करवाती है। कम्पनी, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एन0एम0डी0एफ0सी0) तथा राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम (एन0एच0एफ0डी0सी0) जोकि अल्पसंख्यकों तथा दिव्यांगों के सहायतार्थ भारत सरकार द्वारा स्थापित शीर्ष स्तर की वित्तीय एवं विकास संस्थाएँ हैं, की राज्य संयोजक संस्था के रूप में कार्य कर रही है।

2013-16 की अवधि में लाभार्थियों को ऋण की स्वीकृति और उनकी वसूली की लेखापरीक्षा निगमित कार्यालय के अभिलेखों की नमूना-जांच के माध्यम से मार्च 2016 से मई 2016 के मध्य की गई थी। लेखापरीक्षा निष्कर्षों की आगामी परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

3.9.2 निधियन

लाभार्थियों को राज्य सरकार की गारंटी पर कम्पनी के माध्यम से एन0एम0डी0एफ0सी0 तथा एन0एच0एफ0डी0सी0 द्वारा निधियां उपलब्ध करवाई जाती है। राज्य सरकार ने मार्च 2016 तक कम्पनी में प्रदत्त पूंजी शेयर के रूप में ₹ 10.59 करोड़ का निवेश किया था। इन शीर्ष संस्थाओं द्वारा समय-समय पर प्रभारित ब्याज के अतिरिक्त कम्पनी ने "आवधिक ऋण स्कीम तथा शिक्षा ऋण स्कीम" के अंतर्गत 2 तथा 3 प्रतिशत ब्याज दरों पर सहायता उपलब्ध करवाई थी।

कम्पनी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एन0एम0डी0एफ0सी0 से तथा दिव्यांगों के मामले में एन0एच0एफ0डी0सी0 से निधियां प्राप्त करती है। कम्पनी ने मार्च 2016 को समाप्त विगत पांच वर्षों के दौरान एन0एम0डी0एफ0सी0 द्वारा उपलब्ध करवाए गए ₹ 16.41 करोड़ तथा एन0एच0एफ0डी0सी0 द्वारा उपलब्ध करवाए गए ₹ 16.25 करोड़ के ऋण वितरित किए थे।

3.9.3 लाभार्थियों की पहचान


कम्पनी ने वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने हेतु निर्धारित मानदण्ड के अनुसार पात्र लाभार्थियों की पहचान के लिए किसी डाटा वेस का अनुरक्षण नहीं किया था। 2011 की जनगणना के अनुसार अल्पसंख्यक वर्ग तथा दिव्यांगों की प्रतिशतता क्रमशः 4.71 तथा 2.26 थी। कम्पनी ने इसके आरम्भ से 3,444 लाभार्थियों को (अल्पसंख्यक समुदाय: 2,139 लाभार्थी - ₹ 30.72 करोड़ तथा दिव्यांग: 1,305 लाभार्थी - ₹ 26.35 करोड़) ₹ 57.07 करोड़ की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई थी जोकि 2011 की उनकी जनगणना की तुलना में अल्पसंख्यक समुदाय का 0.66 प्रतिशत तथा दिव्यांगों का 0.84 प्रतिशत था।

प्रबंधन ने बताया (मई 2016) कि विभिन्न स्कीमों के सम्बंध में लाभार्थियों को शिक्षित करने हेतु राज्य में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, न्यून व्याप्ति का कारण कम्पनी में स्टॉफ की कमी के अतिरिक्त कुछ योग्यता शर्तों को पूर्ण न कर पाना था।

3.9.4 लक्ष्यों की अनुपलब्धि

एन0एम0डी0एफ0सी0 तथा एन0एच0एफ0डी0सी0 ने ऋणों के वितरण तथा लाभार्थियों की संख्या को समाविष्ट करने हेतु लक्ष्य निर्धारित किए थे। ₹ 32.96 करोड़ के निर्धारित लक्ष्यों के प्रति 2011-16 के दौरान कम्पनी ने ₹ 32.66 करोड़ वितरित किए लेकिन समाविष्ट किए जाने वाले लाभार्थियों की संख्या के सम्बंध में लक्ष्य की प्राप्ति में विफल रही। मार्च 2016 को समाप्त विगत तीन वर्षों में समाविष्ट किए जाने वाले तथा वास्तव में समाविष्ट किए गए लाभार्थियों को निम्नांकित **ग्राफ 3.1** में दर्शाया गया है।

ग्राफ 3.1: लाभार्थियों की समाविष्टि



(कोष्ठक में दी गई संख्या करोड़ ₹ में ऋण की राशि को प्रदर्शित करती है)

शीर्ष संस्थाओं द्वारा लक्षित लाभार्थियों की संख्या 2013-14 में 878 से बढ़कर 2015-16 में 1,206 हो गई लेकिन उक्त अवधि में लक्ष्यों की तुलना में कम्पनी द्वारा वास्तविक समाविष्टि 226 से 291 लाभार्थियों (19 तथा 52 प्रतिशत) के बीच रही। तथापि संवितरित ऋण की राशि, 2015-16 को छोड़कर, लक्षित राशि से अधिक थी। कम्पनी ने लक्ष्यों की अनुपलब्धता के कारणों का विश्लेषण नहीं किया था। इस प्रकार लाभार्थियों की अधिकतम संख्या को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में वास्तविक

निष्पादन की आवधिक समीक्षा/सूचना के लिए कोई भी प्रणाली नहीं थी ताकि समय पर उपचारात्मक कार्रवाई की जा सके।

प्रबंधन ने बताया (मई 2016) कि लक्ष्यों की अनुपलब्धि का कारण न्यून आय पात्रता मानदण्ड था अर्थात् ग्रामीणों के लिए ₹ 81,000 तथा शहरी निवासियों के लिए ₹ 1,03,000, जिसके कारण इस सीमा से बाहर के निवासी सहायता के लिए पात्र नहीं थे। आगे, बौद्ध और गुज्जर समुदाय कम्पनी द्वारा प्रभारित 6 प्रतिशत की ब्याज दरों की तुलना में अन्य स्रोतों से 4 प्रतिशत की दर पर सहायता पाने के पात्र हैं जिसके कारण वे वित्तीय सहायता के लिए आवेदन नहीं करते हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि लक्ष्यों का निर्धारण इन सभी बातों पर विचार करके किया जाना चाहिए था।

3.9.5 निधियों का संवितरण

3.9.5.1 स्वीकृत ऋणों का संवितरण न करना

राज्य सरकार ने एन0एम0डी0एफ0सी0 के ₹ 15 करोड़ के ऋण को समाविष्ट करने हेतु प्रत्याभूति दी थी (अगस्त 2015)। जिसका अक्टूबर 2015 तक पूर्ण उपयोग हो चुका था। एन0एम0डी0एफ0सी0 ने अतिरिक्त वितरण करने के लिए कम्पनी को राज्य सरकार प्रत्याभूति में वृद्धि हेतु सूचित किया (अक्टूबर 2015) तथा उसके बाद कोई भी निधि अवमुक्त नहीं की। तदनुसार, कम्पनी ने ब्लॉक प्रत्याभूति को ₹ 15 करोड़ से ₹ 25 करोड़ तक बढ़ाने हेतु मामले को राज्य सरकार के समक्ष उठाया (मार्च 2016) लेकिन अभी तक (मई 2016) इसमें वृद्धि नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप नवम्बर 2015 से मार्च 2016 के मध्य लाभार्थियों के अंश के रूप में ₹ 9.71 लाख की राशि प्राप्त करने के पश्चात् भी 60 लाभार्थियों को ₹ 1.94 करोड़ के स्वीकृत ऋणों को अवमुक्त नहीं किया जा सका।

प्रबंधन ने बताया (मई 2016) कि ब्लॉक प्रत्याभूति में वृद्धि का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है तथा प्रत्याभूति में वृद्धि के पश्चात् ही ऋण प्राप्त/वितरित किए जाएंगे।

3.9.6 ऋण मामलों का विश्लेषण

वितरण प्रक्रिया के अनुसार कम्पनी द्वारा करार विलेखों, बंधक विलेखों तथा लाभार्थियों के पोस्ट-डेटेड चैकों, तथा ऋण के लिए सरकारी कर्मचारियों की गारंटी, वार्षिक आय प्रमाण पत्र तथा सम्पत्तियों के बीमें के लिए पॉलिसी दस्तावेज को निष्पादित/प्राप्त करना अपेक्षित था।

सितम्बर 2006 से फरवरी 2016 के मध्य संवितरित ₹ 8.11 करोड़ की ऋण राशि से अंतर्ग्रस्त 243 मामलों की नमूना-जांच में निम्नलिखित त्रुटियां पाई गईं:

- 15 मामलों में करार की तिथि, वसूले जाने वाले ब्याज व दाण्डिक ब्याज की दर को नहीं दर्शाया गया था। ऐसे विवरणों के बिना कम्पनी के लिए चूक के मामले में वसूले जाने वाले ब्याज/दाण्डिक ब्याज को प्रमाणित करना कठिन होगा।
- 155 लाभार्थियों द्वारा प्रथम वर्ष के दौरान ₹ 4.08 करोड़ के ऋण तथा इसके बाद के वर्षों में ₹ 6.47 करोड़ के ऋण से खरीदी गई सम्पत्तियों के 222 मामलों में बीमा कवर की प्रतियां प्राप्त नहीं की गईं। इस प्रकार आग तथा बाढ़ में सम्पत्तियों के नष्ट होने की स्थिति में कम्पनी के वित्तीय हितों की सुरक्षा नहीं हो पाएगी।

- सम्पत्तियों की ग्राऊंडिंग तथा समस्याओं के निराकरण, यदि कोई हो, हेतु सहायता उपलब्ध करवाने के लिए प्रत्येक लाभार्थी का निरीक्षण कम से कम दो बार अर्थात् वित्तीय सहायता के तीन माह बाद पहला तथा वित्तीय सहायता के छः माह बाद दूसरा अपेक्षित था। तथापि ऋण की वास्तविक उपयोगिता की जांच हेतु ऐसा कोई भी निरीक्षण नहीं किया गया जिस उद्देश्य के लिए ऋण उपलब्ध करवाया गया था।

3.9.7 शिक्षा ऋण का वितरण

3.9.7.1 लाभार्थियों की ओर से अंशदान की अनियमित अदायगी

एन0एम0डी0एफ0सी0 एस0सी0ए0 को एक प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाती है तथा एस0सी0ए0 इसे लाभार्थियों को तीन प्रतिशत वार्षिक दर पर उपलब्ध करवाती है। 2012-13 तक शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाने का वित्तीय तरीका एन0एम0डी0एफ0सी0, एस0सी0ए0 तथा लाभार्थी द्वारा 85:10:5 के अनुपात में अंशदान के रूप में था तथा 2013-14 से यह अनुपात क्रमशः 90:5:5 था। इसके अतिरिक्त ऋण की अदायगी कोर्स की पूर्णता की तिथि या जीविका के प्रारम्भ होने की तिथि, जो भी पहले हो, से छः महीनों के बाद प्रारम्भ करना था तथा अदायगी में चूक के मामले में लाभार्थियों से सामान्य ब्याज के अतिरिक्त तीन प्रतिशत वार्षिक दण्डक ब्याज की अदायगी करना भी अपेक्षित था। कम्पनी ने 2009-10 से 2015-16 की अवधि के दौरान 16 लाभार्थियों को ₹ 26.02 लाख का शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया (मई 2016) कि कम्पनी ने लाभार्थियों को उनके 5 प्रतिशत के अंशदान के लिए नहीं कहा तथा निदेशक मण्डल की अनुमति के बिना, दिशा-निर्देशों के विरुद्ध अपनी ही निधि से अंशदान किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.30 लाख की ऋण राशि का अधिक संवितरण हुआ। इसके अतिरिक्त जुलाई 2010 से अक्टूबर 2014 के मध्य 10 लाभार्थियों को संवितरित ₹ 16.63 लाख के ऋण के प्रति कम्पनी ने देय तिथि से 6 से 23 महीनों के विलम्ब के बाद ऋण वसूली की मांग की। कम्प्यूटर प्रणाली में अद्यतन डाटा प्रविष्टि के अभाव में चूककताओं को सूचनाएं नहीं दी जा सकी।

प्रबंधन ने बताया (मई 2016) कि लाभार्थियों से 5 प्रतिशत अंश की वसूली उनको भविष्य में दिए जाने वाले ऋण में से की जाएगी।

3.9.7.2 अधिस्थगन अवधि के लिए ब्याज उपदान

एन0एम0डी0एफ0सी0 ने (मई 2014) भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम0एच0आर0डी0) द्वारा (मई 2010) लाभार्थियों पर ब्याज के भार को कम करने के उद्देश्य से शिक्षा ऋण के अंतर्गत अधिस्थगन अवधि के लिए ब्याज उपदान प्रदान करने हेतु प्रमोचित स्कीम को परिचालित किया। स्कीम के अनुसार अधिस्थगन अवधि¹⁴ में लाभार्थियों से एस0सी0ए0 द्वारा प्रभारित ब्याज राशि एम0एच0आर0डी0 से प्रतिपूर्ति की प्राप्ति पर एन0एम0डी0एफ0सी0 द्वारा प्रतिदेय थी। स्कीम को वित्तीय वर्ष 2010-11 से कार्यान्वित किया गया था।

¹⁴ अधिस्थगन अवधि कोर्स अवधि में एक वर्ष जोड़कर या नौकरी प्राप्ति के छः माह बाद, जो भी पहले हो, से बनती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया (मई 2016) कि कम्पनी ने उन 11 लाभार्थियों जिन्हें अक्टूबर 2014 तक ₹ 17.05 लाख का ऋण वितरित किया गया था तथा जिन्होंने अपने कोर्स को मार्च 2015 तक कोर्स सारणी के अनुसार पूर्ण कर लिया था, के बारे में एन0एम0डी0एफ0सी0 को कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई थी। इसके कारण 11 लाभार्थी ₹ 1.82 लाख के ब्याज उपदान के लाभ से वंचित रहे।

प्रबंधन ने बताया (मई 2016) कि अधिस्थगन अवधि के लिए ब्याज उपदान की प्रतिपूर्ति हेतु मामला एन0एम0डी0एफ0सी0 के समक्ष उठाया जाएगा।

3.9.8 प्रमोशनल क्रियाकलापों का गैर-क्रियान्वयन

एन0एम0डी0एफ0सी0 ने 2013-16 के दौरान महिला समृद्धि योजना हेतु ₹ 1.20 करोड़ का अनुमानित वार्षिक आबंटन स्वीकृत किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कम्पनी ने महिला समृद्धि योजना का कार्यान्वयन नहीं किया गया था जिसके फलस्वरूप अल्पसंख्यक समुदाय की गरीब महिलाओं को ₹ 1.20 करोड़ की वित्तीय सहायता का प्रावधान नहीं हो पाया।

प्रबंधन ने स्कीम का कार्यान्वयन न होने का कारण स्टॉफ की कमी बताया (मई 2016)।

3.9.9 दिव्यांग व्यक्तियों को ऋण की स्वीकृति

कम्पनी दिव्यांगों को छोटे व्यापार आरम्भ करने हेतु एन0एच0एफ0डी0सी0 से प्राप्त सावधि ऋण¹⁵ उपलब्ध करवाती है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने दिव्यांगों को लाभ पहुंचाने के लिए एक एकीकृत योजना "सहयोग" अधिसूचित की (दिसम्बर 2008) जिसमें स्वरोजगार उपक्रम/लघु उद्योग स्थापित करने हेतु परियोजना लागत का 20 प्रतिशत या ₹ 0.10 लाख जो भी कम हो, पूंजी उपदान के रूप में अतिरिक्त वित्तीय सहायता की अदायगी का प्रावधान था। योजना के अनुसार ऋण अवधि में उपदान को सावधि जमा के रूप में रखना था तथा अंतिम भुगतान के समय इसे ब्याज सहित लाभार्थी के ऋण खाते में डालना था।

राज्य सरकार से 2008-16 की अवधि के लिए "सहयोग" के अंतर्गत 767 पात्र लाभार्थियों के सम्बंध में प्रायः ₹ 76.70 लाख के प्रति कम्पनी ने 2015-16 के दौरान 735 दिव्यांग लाभार्थियों के लिए पूंजी उपदान के रूप में ₹ 73.50 लाख की राशि प्राप्त की। कम्पनी द्वारा राज्य सरकार से ₹ 3.20 लाख की बकाया राशि के लिए कोई मांग नहीं की गई। इसके अतिरिक्त 2008-09 से 2010-11 तक की अवधि हेतु प्राप्त पूंजी उपदान की ₹ 31.80 लाख की राशि को मार्च 2011 तक चालू खाते में रखा गया जिस पर कोई भी ब्याज प्राप्त नहीं किया गया। निर्देशानुसार इस राशि को ब्याज धारक सावधि जमा में निवेश न करने के परिणामस्वरूप ₹ 4.13 लाख के ब्याज की हानि हुई जिसे सम्बन्धित लाभार्थियों के ऋण खातों में जमा करना था। इसके अतिरिक्त 735 लाभार्थियों में से 91 लाभार्थियों ने 2013-16 के दौरान अपने खाते बंद कर दिए थे। कम्पनी ने पूंजी उपदान के उनके हिस्से के ₹ 15.60 लाख (ब्याज के ₹ 6.50 लाख¹⁶ सहित) उनके खाते में नहीं डाले।

¹⁵ सावधि जमा में ₹ 50,000 तक 5 प्रतिशत की ब्याज दर, ₹ 5.00 लाख तक 6 प्रतिशत तथा ₹ 5.00 लाख से ₹ 25.00 लाख तक की परियोजना लागत का 8 प्रतिशत शामिल है।


¹⁶ ऋण की अदायगी हेतु ब्याज की गणना 8 प्रतिशत की औसत ब्याज दर से 7 वर्षों तक वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर की गई है।

प्रबंधन ने बताया (मई 2016) कि जिन लाभार्थियों ने ऋण की पूरी अदायगी कर दी है तथा ऋण की अवधि पूरी कर दी है, उनको पूंजी उपदान तुरंत जारी कर दिया जाएगा।

3.9.10 लाभार्थियों से ब्याज की वसूली

3.9.10.1 लाभार्थियों का विश्लेषण

कम्पनी ने ऋण मामलों का नियमित रूप से विश्लेषण करने हेतु कोई भी प्रणाली विकसित नहीं की थी। 2012-13 से 2014-15 की अवधि के दौरान कुल लाभार्थियों की संख्या, अदायगी के चूककर्ता लाभार्थी तथा वे लाभार्थी जिन्होंने कोई भी किस्त जमा नहीं की, निम्नांकित **ग्राफ 3.2** में दर्शाए गए हैं:



ग्राफ 3.2: लाभार्थियों द्वारा ऋण अदायगी में चूक

जहां लाभार्थियों की संख्या 2012-13 में 1,729 से बढ़कर 2014-15 में 1,984 हो गई वहीं इसी अवधि में अदायगी के मामले में चूककर्ता लाभार्थियों की संख्या भी 1,491 से बढ़कर 1,658 हो गई और एक भी किस्त जमा नहीं करवाने वाले लाभार्थियों की संख्या 458 से बढ़कर 681 हो गई।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 31 मार्च 2015 को कुल 1658 चूककर्ता जिन्होंने ₹ 7.03 करोड़ की अदायगी में चूक की थी, के प्रति कम्पनी ने ₹ 1.26 करोड़ की वसूली के लिए नेगोशिएवल इन्स्ट्रुमेंट एक्ट, 1881 के अंतर्गत 254 मामले तथा ₹ 2.15 लाख के पांच मामले हिमाचल प्रदेश लोक धन (वसूली एवं बकाया) अधिनियम 2013 के अंतर्गत दर्ज किए। तथापि ₹ 5.75 करोड़ की राशि में शामिल 1,399 चूककर्ताओं के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की गई।

प्रबंधन ने अपने उत्तर में इसका कारण स्टॉफ की कमी के साथ-साथ सॉफ्टवेयर में तकनीकी कमियों से लाभार्थियों के खातों को अद्यतन करने में विलम्ब बताया (मई 2016)।

3.9.10.2 वसूली का निष्पादन

2012-15 की अवधि में कुल देय राशि के प्रति अल्पसंख्यकों तथा शारीरिक रूप से दिव्यांगों के मामले में वसूली के निष्पादन की स्थिति तालिका 3.2 में दर्शायी गयी है:

तालिका 3.2: वसूली के निष्पादन की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अथ शेष	देय राशि	कुल	प्राप्ति	निश्चित समय से पूर्व प्राप्त	कुल देयता के प्रति प्राप्ति की प्रतिशतता	इति शेष
अल्पसंख्यक समुदाय							
2012-13	2.86	1.72	4.58	1.83	0.05	39.96	2.80
2013-14	2.80	1.53	4.33	1.79	0.38	41.34	2.92
2014-15	2.92	2.30	5.22	1.99	0.10	38.12	3.33
शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति							
2012-13	2.36	1.73	4.09	1.45	0.08	35.45	2.72
2013-14	2.72	1.76	4.48	1.65	0.36	36.83	3.19
2014-15	3.19	2.33	5.52	1.73	0.14	31.34	3.93

स्रोत: कम्पनी सॉफ्टवेयर के माध्यम से तैयार प्रतिवेदनों से संकलित आंकड़े

2012-15 के दौरान कुल देय राशि की वसूली की प्रतिशतता अल्पसंख्यकों के मामले में 38.12 तथा 41.34 के बीच तथा शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के मामले में 31.34 तथा 36.83 के बीच रही। विश्लेषण से यह भी पता चला कि 2013-14 की तुलना में 2014-15 में दोनों वर्गों से वसूली की प्रतिशतता घटी है। प्रबंधन ने वसूली की प्रतिशतता में कमी/कम वसूली के कारणों की छानबीन नहीं की थी।

प्रबंधन ने कम वसूली का कारण पर्याप्त स्टॉफ की अनुपलब्धता (मई 2016) तथा अतिरिक्त पदों के सृजन का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन बताया।

3.9.10.3 ब्याज की अल्प-वसूली

कम्पनी द्वारा लाभार्थियों के साथ किए गए ऋण करारनामे के अनुसार आवधिक ऋणों पर ब्याज 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वसूला जाना था। इसके अतिरिक्त किसी किस्त अथवा ब्याज की देय तिथियों को अदायगी न करने की स्थिति में ऐसे बकायों पर कम्पनी के विवेकानुसार (खण्ड 2) तब तक दण्डिक ब्याज लगता रहेगा जब तक देय ब्याज या किस्त की अदायगी नहीं की जाती। दण्डिक ब्याज की दर मार्च 2010 से पूर्व 12 प्रतिशत थी जो अप्रैल 2010 से निदेशक मण्डल द्वारा कम करके 3 प्रतिशत की गयी। दण्डिक ब्याज की दर समय-समय पर वसूली जा रही सामान्य ब्याज की दर के अतिरिक्त थी।

लेखापरीक्षा जांच में पाया गया (अप्रैल 2016) कि कम्पनी ब्याज की गणना हेतु प्रयुक्त खराब सॉफ्टवेयर के कारण लाभार्थियों से चूक की राशि पर सामान्य ब्याज नहीं वसूल रही थी और केवल 3 प्रतिशत वार्षिक दर से दण्डित ब्याज ही वसूला गया था। इसके कारण चूककर्ता लाभार्थियों से अप्रैल 2010 तथा मार्च 2015 के मध्य ₹ 1.44 करोड़ के ब्याज की कम वसूली हुई।

प्रबंधन ने कहा (मई 2016) कि सॉफ्टवेयर में चूक की राशि पर सामान्य ब्याज की गणना करने का कोई प्रावधान नहीं था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सामान्य तथा दण्डित ब्याज की गणना के प्रावधान रहित सॉफ्टवेयर स्थापित करने का कोई औचित्य नहीं है।

3.9.10.4 ब्याज की अल्प-गणना

राज्य चैनलाइजिंग अभिकरण (कम्पनी) को एन0एम0डी0एफ0सी0 तथा एन0एच0एफ0डी0सी0 द्वारा निधियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। इन संस्थानों द्वारा घटते शेष पद्धति पर ब्याज प्रभारित किया जाता है। इसी तरह कम्पनी अपने लाभार्थियों को घटते शेष पद्धति द्वारा ऋण पर कुल ब्याज की गणना करके ऋण देती है तथा मूलधन और ब्याज की अदायगी हेतु जोड़ी हुई किस्तों को निर्धारित करने के लिए इसको किस्तों की संख्या से भाग देती है।

निर्धारित अवधि से पहले अपने खाते बंद कर चुके 118 लाभार्थियों के दस्तावेजों की नमूना-जांच में पाया गया कि कम्पनी ने अंतिम भुगतान के समय ब्याज की राशि की पुनर्गणना नहीं की तथा उस तिथि तक के ब्याज के बराबर की किस्तों की ही वसूली की। इसके परिणामस्वरूप निर्धारित अवधि से पूर्व ऋण के पुनर्भुगतान के मामलों में ब्याज की पुनर्गणना न करने के कारण 47 लाभार्थियों से ₹ 3.18 लाख के ब्याज की अल्प-गणना हुई।

प्रबंधन ने बताया (मई 2016) कि सॉफ्टवेयर द्वारा तैयार विवरणी में दर्शाए गए ब्याज के आंकड़ों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता था। तथापि, उन्होंने विश्वास दिलाया कि घटते शेष पद्धति पर ब्याज की गणना के लिए सॉफ्टवेयर को बदलवाने के प्रयास किए जाएंगे।

3.9.10.5 लाभार्थियों से अधिक वसूली

कम्पनी ने ऋण के बकाया शेष तथा ब्याज की विवरणी तैयार करने हेतु एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है। लेकिन किस्तों की प्राप्ति के संदर्भ में अद्यतन डाटा का इन्द्राज न करने के कारण अंतिम किस्त के समय ब्याज की अंतिम गणना हाथ से करनी पड़ी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि लाभार्थी से अंतिम किस्त की प्राप्ति के समय अतिदेय राशि पर हाथ से की गई ब्याज की गणना की तुलना डाटा फीड करने के बाद सॉफ्टवेयर द्वारा परिकलित राशि से करने पर कम्पनी ने मार्च 2015 तक ₹ 19.59 लाख की राशि की अधिक वसूली की। कम्पनी ने अधिक वसूली गई राशि को लाभार्थियों को लौटाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी इससे लाभार्थियों पर अतिरिक्त ब्याज का बोझ पड़ा।

प्रबंधन ने स्वीकार किया (मई 2016) कि हाथ से की गई गणना के कारण लाभार्थियों से अधिक राशि वसूली गई तथा सॉफ्टवेयर के अद्यतनीकरण के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

निष्कर्ष

कम्पनी, योग्य लाभार्थियों को सहायता के वितरण के लक्ष्य को पूरा करने में विफल रही। कम्पनी अपेक्षित सरकारी प्रत्याभूति की व्यवस्था न कर पाने के कारण ₹ 1.94 करोड़ के स्वीकृत ऋण का वितरण करने में विफल रही तथा शीर्ष संस्थान द्वारा ₹ 1.20 करोड़ आबंटित करने पर भी महिला समृद्धि योजना का कार्यान्वयन नहीं कर सकी। पुनः, सॉफ्टवेयर में चूककर्ताओं से सामान्य ब्याज की गणना के प्रावधान के अभाव में ₹ 1.44 करोड़ के ब्याज की कम वसूली हुई।

मामला सरकार को प्रेषित किया गया था (जून 2016); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2016)।

हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित**3.10 संचरण परियोजनाओं को सौंपने व उनके निष्पादन की लेखापरीक्षा**

कम्पनी ने परियोजना पर हुए वास्तविक व्यय के संदर्भ के बिना अधिक ऋण निधियों का आहरण किया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.52 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा। लागत अंशदान हेतु उधार इक्विटी अनुपात के मापदण्डों की गैर-अनुपालना के परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष ₹ 3.80 करोड़ की इक्विटी पर प्रतिफल की हानि होगी। इसके अतिरिक्त, ब्याज मुक्त मोबीलाइजेशन अग्रिम को स्वीकृति देने में उदासीन रवैये से ₹ 5.11 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित (कम्पनी) राज्य संचरण यूटिलिटी के रूप में अगस्त 2008 में स्थापित की गई थी जिसका उद्देश्य अतिरिक्त उच्च वेग वाली ट्रांसमिशन लाइनों व उप-स्टेशनों के ट्रांसमिशन नेटवर्क को सुदृढ़ करना तथा उदीयमान जल विद्युत परियोजनाओं से विद्युत उत्सर्जन को सुगम बनाने के लिए संचरण मास्टर प्लान की रचना, अद्यतनीकरण और निष्पादन था।

एशियाई विकास बैंक हिमाचल प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा संचरण निवेश कार्यक्रम (ट्रैज्व-1) के अंतर्गत शामिल निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार के माध्यम से \$113 मिलियन अर्थात् ₹ 592.57 करोड़¹⁷ उधार देने के लिए सहमत हुआ (अगस्त 2011)। निवेश कार्यक्रम का उद्देश्य उद्यमिता संसाधन योजना व्यवस्था के माध्यम से कम्पनी को उसके अधिदेश समर्थन हेतु पर्याप्त परिसम्पत्तियां एवं क्षमता उपलब्ध करवाना था।

परियोजना के कार्यान्वयन हेतु लेखापरीक्षा समीक्षा निम्नवत् है:-

क निर्माण कार्य के निष्पादन में बिलम्ब

आरम्भ में ट्रैज्व-1 के अंतर्गत ₹ 649.64 करोड़ की अनुमानित लागत वाले तीन उप-स्टेशनों के निर्माण व एक ट्रांसमिशन लाइन को शामिल किया गया था। अप्रैल 2016 के दौरान ट्रैज्व-II से स्थानान्तरित करके ₹ 91.26 करोड़ की कुल लागत के दो निर्माण कार्यों अर्थात् चम्बी (₹ 49.40 करोड़) एवं पण्डोह में जी0आई0एस0 उप-स्टेशन के साथ 132 के0वी0 बजौरा-कांगू दोहरी

¹⁷ प्रथम आहरण (दिसम्बर 2011) के समय विद्यमान ₹ 52.44 प्रति \$ की विनिमय दर से।

सर्किट लाइन (₹ 41.86 करोड़) के एक सर्किट के लूप-इन लूप-आउट (एल0आई0एल0ओ0) के निष्पादन कार्य को ट्रेज्व-1 के साथ जोड़ा गया था। कम्पनी द्वारा इन कार्यों पर मार्च 2016 तक ₹ 167.98 करोड़ (संविदाकार को दी गई पेशगी को छोड़कर) खर्च किए गए थे।

मार्च 2016 के अंत तक आपूर्ति व प्रतिष्ठापन की वित्तीय उपलब्धि व कार्यों की वर्तमान प्रास्थिति तालिका 3.3 में दर्शायी गयी है:

तालिका: 3.3: 31 मार्च 2016 को कार्यों की प्रास्थिति

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	कार्य का नाम	अधिनिर्णीत राशि		कार्य सौंपने का मास	कार्य सौंपने के अनुसार पूर्णता का मास	मार्च 2016 तक व्यय		प्रतिशत उफलब्धि		पूर्णता की संशोधित तिथि	विलम्ब के कारण
		आपूर्ति	प्रतिष्ठापन			आपूर्ति	प्रतिष्ठापन	आपूर्ति	प्रतिष्ठापन		
1	उप-स्टेशन भोक्टू	21.13	5.31	दिसम्बर-11	जुलाई-14	20.01	2.24	94.70	42.18	दिसम्बर-16	2013 में भू-स्खलन
2	हाटकोटी प्रगतिनगर (गुम्मा) ट्रांसमिशन लाईन	37.66	24.65	सितम्बर-12	मार्च-14	26.00	0.13	69.04	0.53	जून-17	वन भूमि की अनुमति व भू-अर्जन
3	जी.आई.एस 0 उप-स्टेशन गुम्मा	104.94	38.65	अक्टूबर-13	अप्रैल-15	72.02	7.58	68.63	19.61	जनवरी-17	अपेक्षित भूमि का अर्जन
4	उप-स्टेशन वांगतू	232.43	76.12	सितम्बर-13	फरवरी-15	38.71	1.29	16.65	1.69	जून -17	वन भूमि की अनुमति

मार्च 2016 तक आपूर्ति तथा प्रतिष्ठापन में वित्तीय उपलब्धि की प्रतिशतता क्रमशः 16.65 व 94.70 तथा 0.53 व 42.18 के बीच थी। निधि प्रयुक्ति में कमी के मुख्य कारण निर्माण कार्य सौंपने, वन भूमि की अनुमति लेने में विलम्ब, कार्य स्थल सौंपने में विलम्ब तथा ले-आउट प्लान की परिधि में निजी भूमि अर्जित न करना था।

कार्यों को सौंपने तथा कार्यान्वित होने में विलम्ब के कारण ₹ 2.98 करोड़ के वचनबद्धता प्रभार भी आवश्यक हो जाते हैं जोकि एशियाई विकास बैंक के साथ इसके करारनामे के सम्बंध में भारत सरकार द्वारा वहन किये जाने थे।

ख निधियों के अधिक आहरण के कारण परिहार्य ब्याज भार

भारत सरकार व एशियाई विकास बैंक के मध्य निष्पादित ऋण अनुबंध की अनुसूची-3 के अनुसार कम्पनी द्वारा वाणिज्यिक बैंक में अग्रदाय खाता खोलना अपेक्षित था जोकि एशियाई विकास बैंक की ऋण संवितरण हस्त-पुस्तिका के प्रावधानों के अनुरूप प्रबंधित किया जाना था। अग्रदाय खाते में रोककर रखी गई अधिकतम राशि परियोजना कार्यान्वयन के प्रथम छः मास के अग्रदाय खाते से पोषित अनुमानित व्यय या ऋण राशि के 10 प्रतिशत के न्यूनतम से अधिक नहीं होगी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से उजागर हुआ कि कम्पनी ने दिसम्बर 2012 में ऋण के 10 प्रतिशत के बराबर ₹ 61.36 करोड़ की अग्रदाय राशि का आहरण किया था जबकि 2012-13 के दौरान व्यय मात्र ₹ 12 लाख था। मार्च 2016 तक ₹ 12.96 करोड़ की निधियां अग्रदाय खाते में पड़ी थी। यह राशि विभिन्न अवधियों के लिए 6.5 से 8.5 प्रतिशत तक ब्याज दर पर सावधि जमा में निवेश की गई थी अथवा 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर बचत खाते में रखी गई थी जबकि कम्पनी को आहरित ऋण निधियों पर राज्य सरकार को 10 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करना था। अतः वास्तव में किए गए व्यय के संदर्भ के बिना ऋण निधियों के आहरण के निर्णय से मार्च 2016 तक परियोजना लागत पर ₹ 1.52 करोड़ का अतिरिक्त ब्याज भार पड़ा।

ग लागत को बांटने हेतु उधार-इक्विटी अनुपात के मापदण्डों की गैर-अनुपालना

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (ट्रांसमिशन टैरिफ के निर्धारणार्थ शर्तें व निबंधन) विनियम, 2011 के नियम 14 में प्रावधान है कि निर्माण के दौरान ब्याज सहित किया गया या किया जाने वाला प्रस्तावित व्यय व ऋण एवं इक्विटी के वित्तीय प्रभारों में 70:30 का अनुपात होना चाहिए। 30 प्रतिशत निधि से अधिक नियोजित वास्तविक इक्विटी की स्थिति में आधिक्य को मानदण्डात्मक ऋण समझा जाएगा और निधि के 30 प्रतिशत से कम नियोजित इक्विटी को वास्तविकता के आधार पर समझा जाएगा। आगे विनियम 19 के अनुसार इक्विटी पर प्रतिफल की गणना 15.5 प्रतिशत की आधार दर पर निर्धारित इक्विटी पर की जायेगी और उधार/ऋण हेतु ब्याज की वास्तविक दर अर्थात् ऋण अनुबन्ध के अनुसार 10 प्रतिशत पर की जाएगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों में उधार एवं इक्विटी के माध्यम से प्रस्तावित लागत हिस्सेदारी 70:30 के स्थान पर 80:20 के अनुपात में थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 73.94¹⁸ करोड़ राशि के ऋण का अधिक आहरण हुआ। परिणामतः परियोजना की पूर्णता पर कम्पनी 15.5 प्रतिशत के स्थान पर मात्र 10 प्रतिशत की दर पर दर सूची के माध्यम से प्रतिफल प्राप्त करेगी जिसके परिणामस्वरूप अततः इक्विटी पर प्रतिवर्ष ₹ 3.80¹⁹ करोड़ प्रतिफल की हानि होगी।

¹⁸ दर सूची हेतु पात्र कुल परियोजना लागत में से ₹ 222.27 करोड़ की 30 प्रतिशत इक्विटी माइनस परियोजना लागत में वास्तविक रूप से उपलब्ध करवाई गई ₹ 153.22 करोड़ की 20 प्रतिशत इक्विटी = ₹ 69.05 करोड़।

¹⁹ ₹ 69.05 करोड़ पर इक्विटी पर प्रतिफल तथा ब्याज दर के मध्य 5.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष अंतर।

घ मोबिलाइजेशन अग्रिमों में अस्थिर रवैया

दिसम्बर 2011 व अक्टूबर 2013 के मध्य अधिनिर्णीत भोक्लू, हाटकोटी-प्रगतिनगर तथा गुम्मा परियोजनाओं के बोली प्रलेखों में संविदाकारों को ब्याजमुक्त मोबिलाइजेशन अग्रिमों का प्रावधान था जबकि वांगतू उप-स्टेशन के लिए 10 प्रतिशत ब्याज की दर पर मोबिलाइजेशन अग्रिम का प्रावधान था। इस प्रकार कम्पनी ने संविदाकारों को मोबिलाइजेशन अग्रिम देने के लिए अलग-अलग मापदण्ड अपनाए थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अक्टूबर 1997 में केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया था कि अग्रिम राशियां ब्याज पर दी जाएं ताकि संविदाकार अनुचित लाभ न ले सके। कम्पनी ने स्वयं ही ऐसे अन्य निर्माण कार्यों के लिए ब्याज पर मोबिलाइजेशन अग्रिम दिए थे। इस प्रकार ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन अग्रिम देने से ₹ 5.11 करोड़ के ब्याज की हानि हुई और इसके साथ-साथ संविदाकारों द्वारा शीघ्रतापूर्वक निर्माण कार्य आरम्भ किए जाने को सुनिश्चित करने का उद्देश्य भी क्षीण हुआ।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष जुलाई 2016 में सरकार/प्रबंधन को प्रेषित किए गए थे; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2016)।

हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित

3.11 उत्पाद शुल्क का परिहार्य भुगतान

एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं पर भारत सरकार द्वारा यथाप्रदत्त उत्पाद शुल्क छूट का दावा करने में कम्पनी की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 36.11 करोड़ के उत्पाद शुल्क का परिहार्य भुगतान हुआ।

एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित (कम्पनी) की सावड़ा-कुडडू, कशांग एवं सैंज जल विद्युत परियोजनाओं का सिविल निर्माण कार्य दो फर्मों को क्रमशः फरवरी/मार्च 2009 तथा जून 2010 में सौंपा गया था। बोली दस्तावेजों एवं संविदा अनुबन्धों में प्रावधान था कि कानून एवं विनियम के अनुसार समस्त शुल्कों एवं करों को मूल्य बोलियों में सम्मिलित किया जायेगा। संविदाकार संविदाओं के अन्तर्गत दिए जाने वाले अपेक्षित समस्त करों, शुल्कों एवं फीस का भुगतान करेंगे।

28 अगस्त 1995 को जारी व नवम्बर 1999 में संशोधित भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा पोषित व भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किसी परियोजना को आपूरित की जाने वाली सभी सामग्रियां जब केन्द्रीय उत्पाद टैरिफ अधिनियम, 1985 की अनुसूची के अंतर्गत आती हैं तो वे उत्पाद शुल्क व अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से मुक्त होंगी।


लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित सभी तीन जल विद्युत परियोजनाएं अपेक्षित औपचारिकताएं पूर्ण किये जाने की शर्तानुसार अप्रैल 2009 से दिसम्बर 2015 की अवधि के दौरान निर्माण में प्रयुक्त सीमेंट एवं स्टील पर ₹ 36.11 करोड़ के उत्पाद शुल्क छूट की दावेदारी हेतु पात्र थीं। किंतु कम्पनी अभिप्रेत लाभ प्राप्त करने में विफल रही जिसके परिणामस्वरूप

अप्रैल 2009 से दिसम्बर 2015 की अवधि के दौरान जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में प्रयुक्त सीमेंट एवं स्टील जैसी आबकारी वस्तुओं पर ₹ 36.11 करोड़ के उत्पाद शुल्क का परिहार्य भुगतान हुआ।

प्रबंधन ने बताया (अगस्त 2016) कि परिपत्र कहीं भी यह परिभाषित नहीं करता है कि नीति का लाभ उन सरकारी कम्पनियों/विभागों के लिए है जिनके निर्माण कार्यों में सामग्रियों का उपयोग किया जाना है। वास्तव में, परिपत्र स्पष्ट रूप से वर्णन करता है कि लाभ विनिर्माणकार/खरीददार द्वारा उठाया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि परिपत्र स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है कि कर्मों व शुल्कों की छूट भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं को न्यूनतम लागत पर पूर्ण करने की सुविधा हेतु उपलब्ध है।

मामला सरकार को प्रेषित किया गया था (अप्रैल 2016); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2016)।

शिमला
दिनांक: 21 फरवरी 2017


(राम मोहन जौहरी)


प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 23 फरवरी 2017



(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक



परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

(संदर्भ परिच्छेद 1.11)

**सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों में राज्य सरकार द्वारा किये गये निवेश को दर्शाने वाली विवरणी
जिनके लेखे बकाया में हैं**

(कॉलम 4 एवं 6 से 8 के आंकड़े ₹ करोड़ में हैं)

क्रमांक	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	वर्ष जब तक लेखों को अंतिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूंजी	लेखों की अवधि जिनके लेखे बकाया हैं	राज्य सरकार द्वारा उन वर्षों के दौरान किया गया निवेश, जिनके लेखे बकाया हैं		
					इक्विटी	ऋण	अनुदान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
क	क्रियाशील सरकारी कम्पनियां						
1	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित	2014-15	31.19	2015-16	-	-	7.00
2	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	2012-13	10.28	2013-14 2014-15 2015-16	0.72 0.80 0.67	- - -	- - -
3	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	2012-13	7.09	2013-14 2014-15 2015-16	0.60 0.65 0.75	- - -	- - 0.61
4	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	2011-12	7.45	2013-14 2014-15 2015-16	0.64 1.30 0.66	- - -	0.12 0.11 0.12
5	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित	2014-15	532.68	2015-16	191.25	-	-
6	हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित	2014-15	97.74	2015-16	23.75	85.00	-
7	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित	2013-14	490.78	2014-15 2015-16	62.50 50.00	-	330.00 0.70
8	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम सीमित	2014-15	9.22	2015-16	-	-	8.35
9	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	-	-	2015-16	0.01	-	0.99
10	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित	2014-15	12.30	2015-16	-	-	0.60
	योग क : (क्रियाशील सरकारी कम्पनियां)		1198.73		334.30	85.00	348.60
ख	क्रियाशील सांविधिक निगम						
1	हिमाचल पथ परिवहन निगम	2014-15	565.90	2015-16	41.20	-	-
	योग ख : (क्रियाशील सांविधिक निगम)		565.90		41.20	-	-
	कुल योग : (क + ख)		1764.63		375.50	85.00	348.60

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भ परिच्छेद: 1.11 तथा 1.15)

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के नवीनतम अन्तिम वित्तीय विवरणों/लेखाओं के अनुसार सारांशित वित्तीय स्थिति एवं कार्य चालन परिणाम

(कॉलम 5 से 12 के आंकड़े ₹ करोड़ में हैं)

क्रमांक	क्षेत्र /कम्पनी का नाम	लेखा अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूंजी	लम्बी अवधि के बकाया ऋण	संचित लाभ (+)/हानि (-)	कुल विक्री	निवल लाभ (+)/हानि (-)	लेखापरीक्षा टिप्पणियों ¹ का शुद्ध प्रभाव	नियोजित पूंजी ²	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	नियोजित पूंजी पर प्रतिशतता	जन शक्ति	ब्याज
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
क .	क्रियाशील सरकारी कम्पनियां													
	कृषि एवं समवर्गी													
1	हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित	2013-14	2016-17	18.85	6.23	(-)19.24	55.39	0.01	(-)17.05	25.08	0.08	0.32	103	0.07
2	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित	2014-15	2016-17	38.76	12.00	(-)77.00	52.08	(-)6.53	(-)11.56	50.76	(-)5.74	(-)11.31	256	0.79
3	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित	2013-14	2016-17	11.71	62.51	(-)48.66	183.76	(-)3.71	(-)49.98	74.22	(-)3.22	(-)4.34	1912	0.49
	क्षेत्रवार योग :			69.32	80.74	(-)144.90	291.23	(-)10.23	(-)78.59	150.06	(-)8.88	(-)5.92	2271	1.35
	वित्त													
4	हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	2012-13	2015-16	10.28	16.50	6.29	2.57	0.61	0.24	26.78	0.90	3.36	18	0.29
5	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	2012-13	2015-16	7.19	-	1.02	0.59	0.35	(-)0.17	7.19	0.35	4.87	2	-

(कॉलम 5 से 12 के आंकड़े ₹ करोड़ में हैं)

क्रमांक	क्षेत्र /कम्पनी का नाम	लेखा अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूंजी	लम्बी अवधि के बकाया ऋण	संचित लाभ (+)/हानि (-)	कुल बिक्री	निवल लाभ (+)/हानि (-)	लेखापरीक्षा टिप्पणियों ¹ का शुद्ध प्रभाव	नियोजित पूंजी ²	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल प्रतिशतता	जन शक्ति	ब्याज
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
6	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	2012-13	2015-16	8.09	10.23	(-)4.80	0.94	(-)1.50	--	18.32	(-)1.15	6.28	14	0.35
क्षेत्रवार योग :				25.56	26.73	2.51	4.10	(-)0.54	0.07	52.29	0.1	0.19	34	0.64
अवसंरचना														
7	हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित	2015-16	2016-17	25.00	-	-	-	- ⁴	-	25.00	-	-	2	-
8	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित	2014-15	2015-16	30.82	-	26.21	16.14	6.47	0.13	30.82	6.47	20.99	138	-
क्षेत्रवार योग :				55.82		26.21	16.14	6.47	0.13	55.82	6.47	11.59	140	-
विनिर्माण														
9	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित	2014-15	2015-16	7.16	4.63	8.78	51.61	4.93	(-)1.78	11.79	5.14	43.60	102	0.21
क्षेत्रवार योग :				7.16	4.63	8.78	51.61	4.93	(-)1.78	11.79	5.14	43.60	102	0.21
विद्युत														
10	ब्यास घाटी विद्युत निगम सीमित	2014-15	2015-16	300.00	586.80	-	-	- ⁵	-	886.80	-	-	187	-
11	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित	2014-15	2015-16	1393.92	1837.14	(-)41.06	30.42	(-)21.74	(-)8.12	3231.06	5.47	0.17	675	27.21
12	हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित	2014-15	2015-16	206.44	253.02	(-)3.66	12.47	0.95	7.38	459.46	0.95	0.21	111	0
13	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित	2013-14	2015-16	490.78	2280.73	(-)1875.61	5050.90	(-)136.09	(-)1977.60	2771.51	410.08	14.80	19216	546.17
क्षेत्रवार योग :				2391.14	4957.69	(-)1920.33	5093.79	(-)156.88	(-)1978.34	7348.83	416.50	5.67	20189	573.38

(कॉलम 5 से 12 के आंकड़े ₹ करोड़ में हैं)

क्रमांक	क्षेत्र /कम्पनी का नाम	लेखा अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूंजी	लम्बी अवधि के बकाया ऋण	संचित लाभ (+)/हानि (-)	कुल बिक्री	निवल लाभ (+)/हानि (-)	लेखापरीक्षा टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव	नियोजित पूंजी ²	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल प्रतिशतता	जन शक्ति	ब्याज
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
सेवा														
14	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित	2014-15	2015-16	3.51	-	30.69	1222.95	2.06	0.63	3.51	2.46	70.09	910	0.40
15	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम सीमित	2014-15	2015-16	3.72	1.20	3.12	56.54	1.01	-	4.92	1.01	20.53	57	-
16	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम सीमित	2014-15	2015-16	9.25	0	(-)15.83	31.17	0.60	(-)0.54	9.25	0.60	6.49	59	-
17	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित	2014-15	2015-16	12.30	-	(-)23.48	88.66	0.20	(-)38.14	12.30	0.45	3.66	1518	0.25
18	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम			-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
क्षेत्रवार योग :				28.78	1.20	(-)5.50	1399.32	3.87	(-)38.05	29.98	4.52	15.08	2552	0.65
योग क (सभी क्षेत्रवार क्रियाशील सरकारी कम्पनियाँ)				2577.78	5070.99	(-)2033.23	6856.19	(-)152.38	(-)2096.56	7648.77	423.85	5.54	25288	576.23
ख. सांविधिक निगम														
वित्त														
1	हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम	2015-16	2016-17	99.57	109.90	(-)154.66	4.57	(-)9.66	(-)0.20	209.47	3.16	1.51	54	12.82
क्षेत्रवार योग :				99.57	109.90	(-)154.66	4.57	(-)9.66	(-)0.20	209.47	3.16	1.51	54	12.82
सेवा														
2	हिमाचल पथ परिवहन निगम	2014-15	2015-16	581.34	143.49	(-)1020.36	704.98	(-)172.70	(-)49.24	724.83	(-)148.02	(-)20.42	9114	24.68
क्षेत्रवार योग :				581.34	143.49	(-)1020.36	704.98	(-)172.70	(-)49.24	724.83	(-)148.02	(-)20.42	9114	24.68
योग ख (सभी क्षेत्रवार क्रियाशील सांविधिक निगम)				680.91	253.39	(-)1175.02	709.55	(-)182.36	(-)49.44	934.30	(-)144.86	(-)15.50	9168	37.50
सकल योग (क+ ख)				3258.69	5324.38	(-)3208.25	7565.74	(-)334.74	(-)2146	8583.07	278.99	3.25	34456	613.73

(कॉलम 5 से 12 के आंकड़े ₹ करोड़ में हैं)

क्रमांक	क्षेत्र /कम्पनी का नाम	लेखा अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूंजी	लम्बी अवधि के बकाया ऋण	संचित लाभ (+)/हानि (-)	कुल बिक्री	निवल लाभ (+)/हानि (-)	लेखापरीक्षा टिप्पणियों ¹ का शुद्ध प्रभाव	नियोजित पूंजी ²	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल प्रतिशतता	जन शक्ति	ब्याज
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
ग.	अक्रियाशील सरकारी कम्पनियाँ													
कृषि एवं समवर्गी														
1	कृषि औद्योगिक पैकेजिंग इंडिया सीमित	2013-14	2014-15	17.72	60.15	(-78.23)	-	(-0.04)	(-5.58)	77.87	(-0.04)	(-0.05)	1	
क्षेत्रवार योग :				17.72	60.15	(-78.23)	-	(-0.04)	(-5.58)	77.87	(-0.04)	(-0.05)	1	
विनिर्माण														
2	हिमाचल वर्स्टेड मिल्लज सीमित	2000-01	2001-02	0.92	-	(-5.44)	-	(-0.01)	-	0.92	(-0.01)	(-1.09)	-	
क्षेत्रवार योग :				0.92	-	(-5.44)	-	(-0.01)	-	0.92	(-0.01)	(-1.09)	-	
योग-ग (सभी क्षेत्रवार अक्रियाशील सरकारी कम्पनियाँ)				18.64	60.15	(-83.67)	-	(-0.05)	(-5.58)	78.79	(-0.05)	(-0.06)	1	
सकल योग (क+ख+ग)				3277.33	5384.53	(-3291.92)	7565.74	(-334.79)	(-2151.58)	8661.86	278.94	3.22	34457	613.73

1. लेखा टिप्पणियों के प्रभाव में सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों का निवल प्रभाव शामिल है तथा लाभ (+) में वृद्धि/हानियों में कमी (-) लाभ में कमी/हानि में वृद्धि द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।
2. नियोजित पूंजी अंशधारक निधि एवं दीर्घावधि उधारों को प्रदर्शित करती है।
3. नियोजित पूंजी पर प्रतिफल की गणना लाभ एवं हानि लेखा को लाभ व प्रभारित ब्याज जमा करके की गई है।
4. आय से अधिक व्यय की राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है।
5. क्रम संख्या क-10 ब्यास घाटी विद्युत निगम सीमित में प्रदर्शित ने लाभ व हानि लेखे तैयार नहीं किए हैं।

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ परिच्छेद 2.11.1)

निगम की मार्च 2016 को समाप्त पांच वर्षों की समेकित वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
क. दायित्व					
इक्विटी शेयर पूंजी	439	501.34	541.34	581.34	625.49
आरक्षित (पूंजीगत तथा आरक्षित राजस्व सहित किन्तु मूल्यहास आरक्षित रहित)	8.91	7.52	5.81	121.51	195.83
उधारें	62.26	70.73	97	143.49	112.79
जमाओं सहित चालू दायित्व एवं प्रावधान	272.85	339.79	416.60	497.79	467.31
योग	783.02	919.38	1060.75	1344.13	1401.42
ख . परिसम्पत्तियां					
सकल ब्लाक (पूंजीगत प्रगतिरत कार्य सहित)	254.98	282.9	317.28	446.39	550.01
कम मूल्य हास आरक्षित निधि	157.25	163.99	183.3	189.68	220.97
निवल अचल परिसम्पत्तियां (1)	97.73	118.91	133.98	256.71	329.04
निवेश सहित चालू परिसम्पत्तियां (2)	31.84	36.07	79.10	67.05	53.74
संचित हानियां (3)	653.45	764.4	847.67	1020.37	1018.64
योग (1+2+3)	783.02	919.38	1060.75	1344.13	1401.42
निवल मूल्य	(-)214.45	(-)263.06	(-)306.24	(-)438.95	(-)393.15

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भ परिच्छेद 2.11.2)

मार्च 2016 को समाप्त पांच वर्षों के लिए निगम के समेकित क्रियाशील परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1	कुल राजस्व	481.71	578.59	666.03	751.44	930.95
2	प्रचालन राजस्व	479.89	576.38	663.28	745.68	925.40
3	कुल व्यय	562.36	689.54	749.30	924.13	929.23
4	प्रचालन व्यय	550.14	677.20	734.98	899.22	904.87
5	वर्ष के हानि/लाभ	(-)80.65	(-)110.95	(-)83.27	(-)172.69	1.72
6	ह्रास	18.85	20.58	23.74	32.53	31.63
7	व्याज (कैश क्रेडिट लिमिट, आवधिक ऋण, सामान्य भविष्य निधि आदि सहित)	12.22	12.34	14.32	24.91	24.35
8	निजी लागत (वेतन एवं कल्याण)	265.32	342.61	315.53	444.16	467.49
9	ईंधन एवं स्नेहक	186.51	205.54	247.29	265.24	237.84
10	भंडार एवं पूरक सामग्री	52.52	55.41	58.81	56.92	59.01
11	लाख किलोमीटर में कुल आच्छादन	1654.17	1665.03	1716.47	1793.96	1880.40
12	प्रति किलोमीटर यातायात राजस्व	22.96	23.61	26.39	29.22	29.58
13	प्रति किलोमीटर आय	29.12	34.75	38.80	41.89	49.51
14	प्रति किलोमीटर स्थायी लागत	19.05	25.26	25.52	32.68	32.69
15	प्रति किलोमीटर अस्थायी लागत	14.95	16.15	18.13	18.83	16.73
16	प्रति किलोमीटर लागत	34.00	41.41	43.65	51.51	49.42
17	प्रति लीटर किमी	3.61	3.61	3.58	3.61	3.67
18	प्रति किमी निवल हानि/लाभ (प्रति किलोमीटर व्यय-प्रति किलोमीटर लागत)	(-)4.88	(-)6.66	(-)4.85	(-)9.62	0.09
19	प्रति किलोमीटर प्रचालन हानि/लाभ	(-)4.25	(-)6.06	(-)4.18	(-)8.56	1.09

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भ परिच्छेद 2.12)

मार्च 2016 को समाप्त पांच वर्षों के लिए निगम का समेकित प्रचालन निष्पादन

क्रमांक	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1	वर्ष के अंत में पकड़े गए वाहनों की कुल संख्या (किराये के वाहनों सहित)	2048	2089	2252	2681	2827
2	प्रभावी किमी के अनुसार सड़क पर चलायमान बसें	1999	2017	2043	2141	2401
3	वाहनों की उपयोगिता की प्रतिशतता	97.59	96.56	90.74	79.88	84.93
4	वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या	8492	8419	8777	8662	9162
5	कर्मचारी वाहनों का अनुपात (4/2)	4.15	4.03	3.90	3.23	3.24
6	वर्ष के अंत में प्रचालित मार्गों की संख्या	2080	2077	2142	2197	2283
7	मार्ग किलोमीटर (लाख किलोमीटर में)	1696.36	1715.89	1755.49	1824.16	1882.21
8	प्रभावी किलोमीटर (लाख किलोमीटर में)	1627.7	1638.88	1691.33	1769.21	1853.63
9	निष्क्रिय कि०मी० (लाख किलोमीटर में)	26.47	26.15	25.16	24.75	26.77
10	कुल आच्छादन (लाख किलोमीटर में)	1654.17	1665.03	1716.49	1793.96	1880.40
11	कुल आच्छादन के निष्क्रिय किलोमीटर की प्रतिशतता	1.60	1.57	1.47	1.38	1.42
12	प्रतिदिन प्रति बस आवृत्त औसत किलोमीटर	222	215	221	206	184
13	यातायात राजस्व	379.88	393.13	453.03	524.13	556.17
14	प्रति किलोमीटर यातायात राजस्व	22.96	23.61	26.39	29.22	29.58
15	प्रचालित डिपुओं की संख्या	24	24	24	24	27
16	प्रति दस हजार किलोमीटर खराबी की औसत संख्या	0.15	0.16	0.15	0.12	0.25
17	प्रति लाख किलोमीटर दुर्घटनाओं की औसत संख्या	0.04	0.03	0.07	0.06	0.03
18	किलोमीटर प्रचालित सवारी (करोड़ में)	312.27	323.16	372.40	430.85	455.08
19	भार कारक अथवा धारणीयता अनुपात	57	58	55	60	60

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ परिच्छेद 3.1.9.1)

विभिन्न स्तरों पर कार्यों के अधिनिर्णीत करने में हुए विलंब के कारण मार्च 2016 तक नगर जहां कार्य पूर्ण नहीं हुए थे, का विवरण

क्रमांक	नगर का नाम	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुमोदन की तिथि	ई-निविदा की तिथि	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुमोदन की तिथि से निविदा में विलंब (महीनों में)	अधिनिर्णय की तिथि	ई-निविदा अधिनिर्णीत किए जाने में विलंब (महीनों में)	निर्धारित पूर्णता अवधि	मार्च 2016 की समाप्ति तक प्रास्थिति	निर्धारित पूर्णता अवधि के पश्चात विलंब (मार्च 2016 तक महीनों में)
1	बिलासपुर	8/12/2010	25/4/2011	4	21/5/2012	12	20/11/2013	अपूर्ण	28
2	चंबा	8/12/2010	6/5/2011	5	25/7/2012	14	24/1/2014	पूर्ण (30/6/2014)	5
3	कुल्लू	8/12/2010	25/4/2011	4	23/4/2012	12	22/10/2013	पूर्ण (20/2/2014)	4
4	नाहन	16/8/2010	6/4/2011	7	25/4/2012	12	24/10/2013	पूर्ण	
5	पांवटा	16/8/2010	6/4/2011	7	9/5/2012	13	8/11/2013	अपूर्ण	28
6	शिमला	16/8/2010 संशोधित अनुमोदन 20/1/2012	6/4/2011 से 2/12/2014	7 से 34	19/5/2012 से 4/8/2015	13 से 8	18/11/2013 से 3/8/2016	अपूर्ण	28
7	सोलन	16/8/2010	6/4/2011	7	19/4/2012	12	18/10/2013	अपूर्ण	29
8	सुंदर नगर	8/12/2010	25/4/2011	4	27/4/2012	12	26/10/2013	अपूर्ण	29
9	योल	8/12/2010	13/12/2011	12	3/5/2012	4	2/11/2013	अपूर्ण	29
10	धर्मशाला	8/12/2010	13/12/2011	12	1/5/2012	4	31/10/2013	अपूर्ण	29
11	ऊना	8/12/2010	6/5/2011	5	27/4/2012	12	26/10/2013	पूर्ण (7/11/2015)	24

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भ परिच्छेद 3.1.9.1)

सम्बन्धित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों में परिकल्पित एकीकृत तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि के लक्ष्यों की उपलब्धि न होने के कारण हुई महत्वपूर्ण राजस्व की हानि का विवरण

नगर का नाम	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (%) के अनुसार एकीकृत तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों के लक्ष्य	वास्तविक हानियां (प्रतिशत में)	हानि आधिक्य (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान राजस्व संग्रहण (बकाया बिना) (₹ करोड़ में)	राजस्व हानि (₹ करोड़ में)
चंबा	13.00(2014-15)	13.39	0.39	10.85	0.04
कुल्लू	15.00(2013-14)	30.14	15.14	10.97	2.37
	13.00 (2015-16)	15.59	2.59	9.22	0.28
पांवटा	11.50(2013-14)	19.24	7.74	111.25	10.66
	10.50(2014-15)	13.63	3.13	118.18	4.28
	10.50(2015-16)	15.14	4.64	115.67	6.32
शिमला	14.00(2013-14)	25.70	11.7	151.3	23.82
	11.00(2014-15)	16.55	5.55	186.51	12.40
सोलन	9.00(2013-14)	15.13	6.13	42.71	3.08
	9.00(2014-15)	13.96	4.96	53.94	3.11
सुंदरनगर	16.00(2013-14)	22.35	6.35	13.49	1.10
	13.00(2014-15)	19.58	6.58	15.79	1.29
	13.00(2015-16)	16.00	3.0	16.35	0.58
योल	16.00(2013-14)	30.43	14.43	3.44	0.71
	12.00(2014-15)	23.32	11.32	4.30	0.63
	12.00(2015-16)	19.83	7.83	3.63	0.35
धर्मशाला	12.00(2015-16)	16.24	4.24	23.17	1.17
ऊना	14.00(2015-16)	15.78	1.78	41.38	0.87
कुल					73.06

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भ परिच्छेद 3.1.9.2)

महत्वपूर्ण राजस्व हानि तथा अनुदान के जब्त किए जाने का विवरण

क्रमांक	स्कीम/कार्य का नाम	अधिनिर्णय की तिथि	पूर्ण होने की निर्धारित अवधि	पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	वार्षिक महत्वपूर्ण राजस्व हानि (₹ करोड़ में)	अनुदान की हानि (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
1	बढ़ी शहर	15.05.2012	नवंबर 2013	31.03.2016 तक अपूर्ण	2.69	0.63	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में मीटर बॉक्सेज के प्रतिष्ठापन का अल्प अधिनिर्णय (एकल फेज में 8000 तथा तीन फेज में 180), भवनों के बाहर 3000 विद्युत मीटरों का हस्तांतरण तथा ₹ 0.70 करोड़ कुल मूल्य के 169 टी डब्ल्यू ए सी एस मीटर का प्रावधान था।
2	पांवटा शहर	09.05.2012	नवंबर 2013	31.03.2016 तक अपूर्ण	8.76	1.51	56 की संख्या वाले 63 किलो वोल्ट एंपियर तथा 30 की संख्या वाले 16 किलो वोल्ट एंपियर के वितरण ट्रांसफार्मरों का अल्प अधिनिर्णय तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में उपलब्ध ₹ 1.67 करोड़ मूल्य के 8000 लो टेंशन तथा 60 हाई टेंशन मीटरों का भवन से बाहर हस्तांतरण।
3	सुंदरनगर एवं योल शहर	27.04.2012 और 03.05.2012	नवंबर 2013	31.03.2016 तक अपूर्ण	3.57	-	बोली की शर्तानुसार भाग-ख के अंतर्गत अधिकतम दो पैकेजों के लिए बोलीकर्ताओं की हकदारी थी और यदि कोई बोलीकर्ता एक से अधिक पैकेज के मामले में सबसे नीचे है तो कंपनी की सहमति से दूसरा पैकेज दिया जाएगा अर्थात् एक संविदाकार को अधिकतम दो पैकेज ही दिए जाने थे जबकि कंपनी ने ₹ 35.10 करोड़ मूल्य के छः पैकेज एक ही संविदाकार को दे दिए जिसके परिणामस्वरूप संविदाकार की प्रगति धीमी रही।
4	भराड़ी से ईदगाह लाइन 33 किलोवोल्ट, खलीनी एवं भराड़ी स्थित 33 किलोवोल्ट बे का निर्माण तथा टुटू से ईदगाह के 15 किलोवोल्ट से 33 किलोवोल्ट में रूपांतरण	04.08.2015	अगस्त 2016	31.03.2016 तक अपूर्ण	-	-	स्कीम के अनुमोदन के 24 महीनों के पश्चात् निविदाएं आमंत्रित की गई थी (20 जनवरी 2012) और उसके 8 महीने बाद कार्य अधिनिर्णीत किया गया। अधिनिर्णय में हुए असाधारण विलंब के परिणामस्वरूप न केवल समय अधिक लगा बल्कि परिणामस्वरूप प्रारम्भिक स्तर पर ₹ 1.31 करोड़ की लागत में भी वृद्धि हुई तथा निर्माण कार्य अभी भी प्रारम्भ करने थे (मई 2016)।
5	धर्मशाला, योल, हमीरपुर, पांवटा एवं सुंदरनगर	अप्रैल और मई 2012	अधिनिर्णय की तिथि से 18 महीने	31.03.2016 तक अपूर्ण	6.48	-	अधिनिर्णीत कार्यों में इन शहरों में वोल्टेज सुधार हेतु ₹ 0.30 करोड़ मूल्य के 670 शंट कैपिस्टर्स का प्रतिष्ठापन शामिल था। तथापि, निर्धारित पूर्णता अवधि से 28 महीने (मार्च 2016)व्यतीत हो जाने के पश्चात भी एकमात्र शंट कैपिस्टर भी प्रतिष्ठापित नहीं किया गया था।
	कुल					2.14	

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भ परिच्छेद 3.1.11)

संविदाकारों से वसूल न किए गए प्रारम्भिक कर का विवरण

(₹ करोड़ में)


क्रमांक	कार्यों का विवरण	संविदाकार का नाम	निविदाएं आमंत्रित करने की तिथि	आपूर्ति हिस्सा		राज्य के बाहर से आपूरित सामग्री
				अधिनिर्णय की तिथि	अधिनिर्णय की राशि	
1	11 किलोवोल्ट एवं नीचे के कार्य	श्याम इन्डस पावर सोल्यूशंस	6-4-2011	19.05.2012	30.51	25.90
2	तदैव	मैसर्स हिमाचल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	1.06.2012	8.03.2013	10.57	10.12
3	33 किलोवोल्ट के ए0सी0एस0आर0 कंडक्टर को बदलना 30/7/2.59 मि0मी0 से एक्स0एल0पी0ई0 केवल 500 मि0मी0 खलिनी से बरोक हस्ट	मैसर्स एक्वेरियन इंटरप्राइजिज नई दिल्ली	10.09.2012	6.03.2013	2.18	0.80
4	बदरीपुर स्थित 33/11 किलो वोल्ट, 2X10 मेगावोल्ट एम्पीयर विद्युत ट्रांसफार्मर, घोदनपुर से बदरीपुर तक 33 किलोवोल्ट की लाइन की रिंकंडक्टरिंग	मैसर्स यूबीटेक (प्रा0) लिमिटेड	6.4.2011	9.5.2012	3.84	3.45
5	रामपुर-घाट स्थित 2X6.3 मेगावोल्ट उप-स्टेशन, रामपुर घाट स्थित घोदनपुर से प्रस्तावित उप-स्टेशन तक 33 किलोवोल्ट की लाइन	मैसर्स कश्मीरीलाल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	1.6.2012	8.3.2013	3.16	3.34
	कुल					43.61


परिशिष्ट 3.5


(संदर्भ परिच्छेद 3.1.12)

निरर्थक व्यय का विवरण

क्रमांक	कार्य का नाम	निरर्थक व्यय (₹ करोड़)	टिप्पणियां
1	132/66 किलो वोल्ट उप-स्टेशन जतोग से 66 किलोवोल्ट उप-स्टेशन टूटू तक 132 किलो वोल्ट डाटा सेंटर टॉवरों पर 66 किलो वोल्ट डाटा सेंटर संचारण लाईन का निर्माण	0.64	लाइन कार्य 23 अगस्त 2015 को ₹ 1.27 करोड़ की लागत पर पूर्ण किया गया था किंतु 66/33/11 किलो वोल्ट जी आई एस उप-स्टेशन टूटू के पूर्ण न होने के कारण मात्र एक सर्किट (66 किलो वोल्ट) 66 किलो वोल्ट उप-स्टेशन टूटू की आपूर्ति अनुरक्षित करने हेतु मई 2016 में भारित किया जा सका। 33 किलो वोल्ट तारा देवी और 33 किलो वोल्ट समरहिल उप-स्टेशनों (निर्माणाधीन) की फीडिंग हेतु प्रयोग में लाया जाने वाला अन्य सर्किट जी आई एस उप-स्टेशन टूटू के पूर्ण होने तक अप्रयुक्त रहेगा।
2	33/11 किलो वोल्ट, 2X6.3 मेगा वोल्ट एम्पीयर उप-स्टेशन रामपुर घाट और गोंदपुर उप-स्टेशन से 33 किलो वोल्ट लाइन	3.81	यद्यपि उप-स्टेशन का कार्य सितम्बर 2015 में पूर्ण हो गया था तो भी स्कीम में प्रावधान किए गए आठ आउटगोइंग फीडर मार्च 2016 तक इस उप-स्टेशन से निर्मित नहीं किये गए थे। तथापि, अप्रैल 2016 के दौरान 8 आउटगोइंग फीडरों में से बाद में कम्पनी ने 4 का निर्माण छोटे संविदाकारों से करवाया। इस तथ्य के चलते कि मार्च 2016 तक कंपनी ने क्षेत्रीय इकाई को उप-स्टेशन के प्रचालनार्थ अनिवार्य जनशक्ति उपलब्ध न करवाने के इसको प्रयोग में नहीं लाया जा सका। इससे कम्पनी स्कीम में परिकल्पित हानियों को कम करने के आधार पर विद्युत की अतिरिक्त बिक्री के ₹ 0.23 करोड़ मूल्य के लाभ से वंचित रही।
3	बदरीपुर स्थित 33/11 किलो वोल्ट, 2X10 मेगा वोल्ट एम्पीयर उप-स्टेशन के साथ गोंदपुर से बदरीपुर तक की 33 किलो वोल्ट हाई टेंशन लाइन का पुनः संचालन	4.42	उप-स्टेशन एवं लाइन कार्य ₹ 4.42 करोड़ के व्यय के पश्चात क्रमशः दिसम्बर 2015 तथा फरवरी 2016 के दौरान पूर्ण किया गया था। इसके अतिरिक्त, चार आउटगोइंग फीडर भी निर्मित किये जाने थे जो अभी तक निर्मित नहीं किये गये थे (अन्य संविदाकार को अधिनिर्णित जिसकी संविदा अक्टूबर 2015 में रद्द कर दी गई थी) तथा अन्य 8 विद्यमान पहले से निर्मित फीडरों को भी उप-स्टेशन के साथ नहीं जोड़ा गया था और फरवरी 2016 से उप-स्टेशन खराब पड़ा है। उप-स्टेशन के काम न करने के कारण कम्पनी ने स्वयं को स्कीम में परिकल्पित हानियों में वार्षिक कटौती के आधार पर ₹ 0.97 करोड़ (2.629 मेगा यूनिट x ₹ 3.68 प्रति यूनिट) के अतिरिक्त विद्युत बिक्री लाभ से वंचित किया।
	कुल	8.87	







© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.aghp.cag.gov.in